हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

25 सितम्बर, 1979

खण्ड 2, अंक 2

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार, 25 सितम्बर, 1979

	पृश्ठ संख्या
तारांकित प्र न एवं उत्तर	(2)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों लिखित उत्तर	(2)31
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(2)52

हरियाणा पुलिस द्वारा सदन के एम.एल.एज. का अभिकथित नश्कासन तथा विधान सभा अमले के विरूद्ध हिंसा	(2)58
स्थगत प्रस्ताव	(2)64
ध्यानाकर्शध सूचना– नहरी पानी तथा बिजली आदि की अनियमित सप्लाई संबंधी	(2)65
वक्तव्य– उक्त ध्यानाकर्शाण सूचना पर सिंचाइ तथा बिजली मंत्री द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरूद्ध वि वास प्रस्ताव	(2)66
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(2)76
वाक आउट	(2)79
नियम 16के अधीन प्रस्ताव	(2)80
सदन की मेज पर रखे गये कागज पत्र	(2)80
दि हरियाणा बोर्ड आफ स्कूल एजुके ान (अमैडमेंट) बिल, 1979	(2)82
दि मैडिकल कालेज रोहतक (रिपीलिंग) बिल, 1979	(2)82

दि हरियाणा हाउसिंग बोर्ड (अमैडमेंट) बिल, 1979	(2)96
दि पंजाब खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड (हरियाणा अमैडमेंट) बिल, 1979	(2)98
दि हिन्दु सक्सै ान (हरियाणा अमैडमेंट) बिल, 1979	(2)101
दि हरियाणा लैण्ड होल्डिंग्ज टैक्स (अमैडमेंट) बिल, 1979	(2)103
दि इंडियन स्टाम्प (हरियाणा अमैडमेंट) बिल, 1979	(2)109
दि ईस्ट पंजाब वार अवाईज (हरियाणा अमैडमेंट) बिल, 1979	(2)111
दि पंजाब अरबन इम्मूवेबल प्रौपर्टी टैक्स (हरियाणा रिपीलिंग) बिल, 1979	(2)112
बैठक का समय बढ़ाना	(2)114
दि हरियाणा पब्लिक मनीज (रिकवरी आफ डयूज) बिल, 1979	(2)115
दि पंजाब कोआप्रटिव सोसाइटीज (हरियाणा अमैडमेंट एण्ड वैलिडे ान) बिल, 1979	(2)117
दि हरियाणा पब्लिक प्रिमसिज एण्ड लैण्ड (इविक ान एण्ड रैंट रिकवरी) अमैंडमैंट बिल, 1979	(2)119

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 25 सितम्बर, 1979

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ मे प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह)

ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र   न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः साहिबान, अब सवाल होंगे।

Civil Aviation Club at Bhiwani

***1258. Sh. Surrender Singh:** Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state—

a) whether there is any proposal under consideration of the Government to start a Civil Aviation Club at Bhiwani; and

b) if so, the time by which it is likely be started?

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (चौधरी गजराज बहादुर नागर):

(क) जी नही। परन्तु हिसार विमानन् क्लब का एक सहायक केंद्र भिवानी मे हवाई पटड़ी स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

(ख) आ ा की जाती है कि भिवानी मे विमानन् क्लब का प्रस्ताविक सहायक केंद्र इस वर्श के अंत तक कार्य प्रारम्भ कर देगा।

श्री सुरेन्द्र सिंहः क्या मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेंगे कि भिवानी मे जो हवाई पट्टी बनाई गई है, क्या यह औरिजनल प्लान के मुताबिक बनाई गई है या उसको काटकर छोटा किया गया है ?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः इस प्र न का ताल्लुक मूल प्र न से नही हैं अगर वे इस सवाल का जवाब लेना ही चाहते है तो नोटिस दे दे, जवाब दे दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः भिवानी मे तो सबसे बढ़िया हवाई पट्टी बनी हुई है।

श्री सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, वहां पर न तो पीने के पानी का प्रबंध है, न बैठने के लिये कोई कमरा है और नह ही कोई टैलीफोन सुविधा उपलब्ध है। हवाई पट्टी की सुविधा देने से पहले पीने के पानी का प्रबंध, टैलीफौन आदि की सुविधा होना बड़ा जरूरी है। क्या मंत्री महोदय ये सुविधाएं देने का कश्ट करेंगे, अगर करेंगे तो कब तक ?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः जिन सुविधाओ की वहां पर जरूरत होगी, जरूर देंगे।

श्री अध्यक्ष: जब फलाइंग क्लब की सर्विस भ्ुारू होगी तो पानी का इंतजाम भी किया ही जायेगा। लेकिन जब तक फलाइंग क्लब की रैगुलर सर्विस भ्ुारू नही होती, वहां पर रेगुलर हवाई जहाज उतरने की बात नही है, जब तक टैलीफोन वगैरा के इंतजाम करने के लिये खर्च करना मेरे ख्याल मे यह वेस्टेज आफ पब्लिक मनी होगा। जब सर्विस भ्ुारू हो जायेगी तो मंत्री महोदय इंतजाम कर देंगे।

District Level Co-ordination Committees

***1275. Sh. Mool Chand Jain:** Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state—

a) whether the Government has constituted District level Co-ordination Committees for Rural Industrialization for each district; if so, since when and their terms of reference;

b) whether leading public men of each district have been associated with these committees; if so the names of such public men so associated with each committee; and

c) whether any meetings of the afore said committees have been held; if so, the number of meetings so far held by each of them along with their dates and the recommendations made by them on the subject and if no meeting was held the reasons therefore?

Industries Minister (Dr. Mangal Seing):

a) Yes. The Government constituted District level co ordination Committees for Rural Industrialization in the first instance on 21-12-1977. Their terms of subsequently reconstituted on the Table of the House as Annexure ‘A’.

b) Yes. A statement containing the names of such public men is laid on the Table lf the House an Annexure ‘B’.

c) Yes. A statement containing the desired information is laid on the Table lf the House an Annexure ‘C’.

Annexure ‘A’

Terms of Reference of District Level Co-ordination Committees.

1. To review the progress of setting up of industrial units in the rural areas under the pilot Rural Industrialization Programme.

2. To review the advancement of loans under the State Aid to Industries Act pertaining to the rural areas of the district.

3. To review the advancement of stipends for training and subsidy for tools and sheds under the RAP programmes in district.

4. Provision of financial assistance in terms of loans, subsidy seed money etc.

5. Identification of rural entrepreneurs for the Pilot Project and rural artisans for rural Artisans Project in the district.

6. Selection of Industries suitable for the rural areas to the district.

7. To review the raw material arrangements.

8. To review to position of electricity supply to rural industries and make suitable arrangements.

9. To review the marketing arrangements and other allied matters.

Annexure 'B'

Names of publicmen associated with District Level Co ordination Committees.

Sr. No.	Name of District	Names of Publicmen
1	Karnal	1. Sh. Mohinder Singh Lether, Ex. M.P. 2. Sh. Shiv Ram Verma, M.L.A., Nilokheri. 3. Sh. Des Raj, M.L.A., Indri. 4. Sh. M. Mahajan Leading Industrialist, Panipat. 5. Sh. Multan Singh, Ex- Minister, V.P.O. Kutail. 6. Sh. Randhir Singh, V.P.O. Ahar, Teh. Panipat. 7. Sh. Yesh Paul Singh, V.P.O. Jundla, Karnal. 8. Sh. Brij Bhushan Gupta, Karnal
2	Sirsa	1. Sh. Ude Ram, Advocate, Sirsa. 2. Sh. Hari Ram, Advocate, Sirsa. 3. Sh. Rajinder Kumar Bishnoi, Sirsa. 4. Sh.Rajinder Singh, Vill. Kherolwali. 5. Sh. Bharat Singh, Ex-Sarpanch, Vill.

		Odhan. 6. Sh. Banwari Lal, Advocate, Dabwali.
3	Mohindergarh	1. Sh.Bishwar Dayal Bhargawa of M/s. Everest Metal, Jhajjar Road, Rewari. 2. Sh. Kanti Lal of M/s. Narnaual Metals, Industrial Estate, Narnaul.
4	Kurukshetra	1. Sh. Sant Ram Punia, Advocate, V.P.O. Bhagal. 2. Sh. Krishan Lal ?Washwa, Managing Director of M/s. Wadhwa Solvent, Kurukshetra. 3. Sh. G.C. Neogi C/o M/s Allied Chemical Industries, V.Shahbad, 4. Dr. Tilak Ram, M.L.A.
5	Sonepat	1. Sh. Rizak Ram, M.L.A.
6	Bhiwani	1. Sh. K.K. Mohata, M/s. Mohata Electro Steel Ltd. Bhiwani. 2. Sh. B.B. Jain, General Manager, Bhiwanil Textile Mill, Bhiwani.
7	Gurgaon	1. Sh. Sukhbir Singh Arya, Chairman, Gurgaon Central, Co-operative Bank, Gurgaon.

		2. Sh. Rahim Khan, Ex- Deputy Minister, resident of vill. Sultanpur Punahana, Firozepur Jhirka. 3. Sh. Puran Chand of Bar malt Factory, Vill. nharsa, Teh. & Distt. Gurgaon. 4. Sh. Rao Ram Jeewan, Ex- M.L.A. of Hailey Mandi.
8	Hissar	1. Sh. Radhu Ram Sarpanch, Vill, Kanheri. 2. Sh. Kailash Chand Balmiki, Advocate, Hansi.
9	Jind	1. Sh. Ram Dhari Shastri, Vill. Deola. 2. Sh Birja Singh, Advocate, Narwana.
10	Ambala	No Pubicman has been associated so far.
11	Rohtak	No Pubicman has been associated so far.

Annexure 'B'

Names of publicmen associated with District Level Co ordination Committees.

Sr. No.	Name of District	Date on which meeting held	No. of meeting of DLCC	Recommendations of Committee

			held	
1	Karnal	18-1-78 21-2-78 1-3-78 21-4-78 2-5-78 14-6-78 7-7-78 8-8-78 18-9-78 17-10-78 9-11-78 21-12-78 22-1-79 27-2-79 7-3-79 16-4-79 30-5-79	19	The difficult cases pending with the bankers were discussed and got financed the cases of providing Electric connections on priority basis were sorted out with Electricity authorities The celebration of special week campaign was discussed and programme chalked out regarding inauguration by the Hon'ble Minister of Haryana of R.I.S. units. The pending cases were discussed and finalized. The

		27-6-79 8-8-79		previous year's progress was reviewed and targets for the year 1979-80 were fixed for the District by Chairman. Seed money cases of 23 parties were considered in the Sub committee created out of the District Level coordination committee by the Deputy Commissioner and funds amounting. meeting of the District Level Coordination Sub Committee was held and 17 cases of seed money and 6 cases of seed money and 6 cases of seed money and 6 cases of

				interest subsidy wee sanctioned.
2	Sirsa	30-3-78 29-3-79 31-5-79	3	The formation of group under the rural Industries Scheme was reviewed and pending cases with various Banks were finalised and bankers were advised to take keen interest in early finalisation of R.I.S. cases. The capital subsidy cases of R.I.S units were considered. In all 12 applications for an aggregate sum of Rs. 56074/- were sanctioned by the Committee. The seed money applications of R.I.S units were considered. Seed

				money amounting to Rs. 40185/- was sanctioned in favour of twelve parties.
3	Jind	6-6-79	1	The progress of R.I.S. scheme in this District was reviewed. 17 Seed money cases for an amount of Rs. 37041.25 ware sanctioned in this meeting.
4	Hissar	31-5-79	1	26 cases for seed money loan wee considered and approved. 14 cases for subsidy advance for preoperative expenses wee considered and approved.
5	Rohtak	26-5-79 19-6-79	2	In the first meeting, the Committee recommended 52 cases of seed money

				involving an amount of Rs. 102950/-. In the first meeting, the Committee recommended 18 cases of seed money for Rs. 28970/-.
6	Kurukshetra	12-12-77 14-4-78 20-3-79	3	In the first meeting the R.I.S. scheme and the progress was reviewed and it was decided that efforts should be made to persuade the prospective entrepreneurs to set up industries in rural areas. In the second meeting, the progress of R.I.S. was reviewed. It was explained that 10 units out of 13 groups formed went

				into production upto 31-3-78. As the representatives of all the concerned Banks could not attend the meeting it was desired by the Chairman that Banks be asked to finalise the pending cases. It was further decided that the department should make arrangements for marketing the products manufactured by R.I. units. It was also felt that effective arrangements should be made so that entrepreneurs could run the units with confidence. In the third meeting 6 cased of 15% cash subsidy ivolving an amount of Rs.

				29000/- wee sanctioned.
7	Sonepat	23-6-79 9-8-79	2	It was desired by Chairman that cases concerning rural industrialisation be discussed in the Bankers Development Co ordination Committee and as such no separate meeting was held thereafter. a meeting of the Sub Committee was held on 9-8-79 and the following cases were approved by the Committee:- 1. Seed money case 10 cases 2. Interest subsidy 6 cases 3. 15% Capital Investment subsidy

				cases 4 cases
8	Gurgaon (including Faridabad)	6-6-79	1	In this meeting 7 cases of seed money amounting to Rs. 40937/- were sanctioned.
9	Ambala	26-6-79 17-8-79	2	In the first meeting seven cases of seed money amounting to Rs. 40937/- were sanctioned. In the first meeting seven cases for grant of 15% cash subsidy involving an amount of Rs. 27273/- were sanctioned by the sut- committee. In the second meeting 16 cased for seed money amounting to Rs. 48190/- two cased of

				15 per cent cash subsidy amounting to Rs. 4570/- and two cases of interest subsidy amounting to Rs. 774.50 were sanctioned by the Sub Committee.
10	Narnaul (Mohindergarh)			No meeting has held so far. The reasons for not holding these meetings are being looked into. The Deputy Commissioner has been asked to hold a meeting at the earliest.
11	Bhiwani			No meeting has held so far. The reasons for not holding these meetings are being looked into. The Deputy Commissioner has been asked to hold a meeting at the earliest.

श्री मूल चंद जैनः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उसके अनैक्चर (सी) से जाहिर होता है कि दो

जिलो मे इन कमेटियों की कोई मीटिंग नही हुई। इस नई सरकार के आने के बाद तीन ऐसे जिले है जिनमे सिर्फ एक एक बार मीटिंग हुई है। क्या इससे यह समझा जाये कि सरकार इन कमेटियों मे कोई कमेटियों मे कई दिलचस्पी नही ले रही है ?

डॉ. मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सदस्य महोदय को बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने एक योजना बनाई है कि राश्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जम्म तिथि आने से पहले पहले 12 जिलों मे, यानी हर जिले मे कम से कम 50–50 इंडस्ट्रियल यूनिट लगाए जायेगें। अब रही बात मीटिंग्ज की, जेसे आपने बताया कि मीटिंग्ज की, जैसे आपने बताया कि मीटिंग्ज क्यों नही हुई, इसके संबंध मे हमने जिलाधी ा महोदय को सख्त हिदायत कर दी है कि इस काम मे कोई चूक न की जाये।

श्री मूल चंद जैनः स्पीकर साहब, कमेटियों के बनाने के बारे मे जवाब के पैरा (ए) मे बताया हुआ है कि पहली बार 21.12. 27 को ये कमेटियां बनाई थी। इनको बने हुए पौने दो वर्श हो गये है और मंत्री महोदय पहली हकूमत मे भी मिनिस्टर थे। क्या पौने दो सालों मे मिनिस्टर साहब डिप्टी कमि नर को लिख नही सके कि इन कमेटियों की मीटिंग करे ? कया पहले ऐसी कोई कार्यवाही की है ?

डॉ. मंगल सैनः स्पीकर साहब, 21.12.77 को कमेटियां बनाने का अभियान वार्मअप हो रहा था और खूब तेजी से चलाया, जेकिन इस बीच मे हम हट गए थे और यह सारा मामला इनके पास चला गया। मुझे अपने मित्र की बुद्धि पर एक भाक नही है, मैं पूरा भरोसा करता हूं, लेकिन जो बीच मे ढील हुई है, यह मेरे कारण नही, नही, आपके कारण हुई है। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सदन को आ वासन देना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र मे उद्योगों के विकास के लिये, ग्रामीण जनता की भलाई के लिये भजन लाल की सरकार आगे से दुगना जोर लगा कर काम करेगी।

श्री जय नारायण वर्माः स्पीकर साहब, मैं उद्योग मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ग्रामीण औद्योगिकरण के नाम पर जो काम किया जा रहा है और जिला सतर पर जो कमेटियां बनाकर कलाकारों की भलाई के लिये जो काम किया जा रहा है, क्या इन कमेटियों के मैंबर पुलिटिकल लोग हे या कारीगरों और ि ाल्पियों का कोई नुमायंदा भी रखा हुआ है ?

श्री अध्यक्षः यह अच्छा सवाल है लेकिन आपके पास इसका जवाब नही होगा क्योंकि यह बेसिक सवाल से संबंधित नही हैं बेसिक सवाल कांस्टीच्यू ान आु कमेटीज का है, आप उन कमेटियों के नाम बता सकते है।

डॉ. मंगल सैनः स्पीकर साहब, जो कमेटियां बनाई गई थी उनमे कोई फेर बदल नही किया गया। मैं यह भी निवेदन

करना चाहूंगा कि समिति बनाने वाले जिलाधी ा महोदय है, सरकार डायरैक्टली यहां से कमेटी नही बनाती। आप कलाकारों मे मैंबर होने की बात कह रहे थे। इसके लिये आप सैप्रेट क्वै चन दे, मैं नाम बता दूंगा।

श्री अध्यक्षः इनका सुझाव बहुत अच्छा है, अगर कारीगरों के नाम कमेटियों मे नही है, इस सुझाव का मैं स्वागत करता हूं। जो भी कमेटिया बनाई जायेगी उन मे कारीगरों को, मेरा मतलब है वर्कर्ज ि ाल्पकार और इस किस्म का काम करने वाले ि ाल्पियों की नुमायंदगी का पूरा पूरा ध्यान रखा जायेगा।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने बताया कि वे इंडस्ट्रीज लगा रहे है और उन मे कारीगरों की ज्यादा तरक्की देने की को ि ाश करेंगे, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे एरिये मे इसप्रकार की इंडस्ट्रीज खुली हुई है जिन मे नौजवान लड़के काम करते हे, लेकिन उनको कच्चा माल नही मिलता और जो सौदा वे बनाते है वह मार्किट मे बिकता ही नही जिसकी वजह से उनका काम नही चल रहा। क्या इन लड़कों की हौसला पू ती के लिये सरकार कोई कार्यवाही करेगी ताकि वे कामयाब हो ?

डॉ. मंगल सैनः अगर ऐसा कोई केस उनके नोटिस मे हो कि किसी फैक्ट्री को कच्चा माल नही मिल रहा है, वह मेरे

नोटिस मे लाए। कच्चा माल पूरा मिलेगा और जिस उद्दे य के लिये यह ग्रामीण औद्योगिक योजना बनाई गई है, उसको किसी कीमत पर भी मौत नही होने देंगे, सियासी इखतलाफात की दूसरी बात है।

चौधरी उदय सिंह दलालः मैं आपको एक लिस्ट दूंगा जहां पर इंडस्ट्रीज को कच्चा माल नही मिल रहा। इसमे सियासत का क्या सवाल है ? आप मेरे मकान को भी गिरा दोंगे तो भी मुझें कोई तकलीफ नही होगी लेकिन बादली, झज्जर, मांडोठी फुलेउा और छारा गांवो मे लगी इंडस्ट्री को कच्चे माल की तकलीफ नही होनी चाहिए।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, सरकार ने एलान किया था कि जो इंडस्ट्रीज देहातो मे लगी हुई है, उनको 15 परसैंट सबसिडी मिलेगी। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि किसी देहात मे अब तक 15 परसैंट ग्रांट दी है या नही?

डॉ. मंगल सैनः मेरी जानकारी यह है कि सबसिडी दे रहे है। अगर आपके नोटिस मे यह बात नही है तो ला देता हूं। (व्यवधान) अगर गलती से कही कोई कमी रह गई है तो इनको मेरे नोटिस मे लाना चाहिए जो आज तक इन्होनें नही किया।

चौधरी हरि सिंह हुड्डाः मिनिस्टर साहब, ने अभी बताया कि कमेटियां बना दी गई है लेकिन स्पीकर साहब, इन कमेटिज का कोई फायदा नही है जबकि हम कदीमी सोसायटीज,

जो कि आलरेडी बनी हुई है, की तरफ ध्यान नही देते। उदाहरण के तौर पर मोची का अपना प्रोजैक्ट है और अपनी इंडस्ट्री है, वीवर का अपना प्रोजैक्ट है और अपनी इंडस्ट्री है, पोटर का अपना प्रोजैक्ट है और अपनी इंडस्ट्री है। सरकार को नई कमेटिज बनाने की बजाय इन पुरानी सोसायटीज की तरफ ध्यान देना चाहिए। स्पीकर साहब, डॉ. साहब ने पटल पर जो इंफर्मे ान रखी है वह मेज पर ही रहा जाती है गांव तक नही पहूंचती। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः यह कोई सवाल नही है।

चौधरी राम कि ानः स्पीकर साहब, डॉ. साहबन पहले भी उद्योग मंत्री थे और अब भी है। मैंने पहले भी एक कवै चन किया था कि सफीदो को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड डिकलेयर किया जायेगा और मंत्री जी ने कहा था कि बहुत जल्दी ही सफीदों को बैकवर्ड करार दिया जायेगा लेकिन अभी तक कुछ नही हुआ। क्या वह बात अभी विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्षः इस प्र न का मेन क्वै चर से कोई संबंध नही है।

श्री जय नारायण वर्माः स्पीकर साहब, इंडस्ट्रीयल यूनिटस की प्रोडक ान को मार्किटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का प्रोग्राम था लेकिन आज पोजी ान यह है कि सरकारी कागज के कोटे मार्किटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइज करने का प्रोग्राम था लेकिन आज पोजी ान यह है कि सरकारी कागज के कोटे से

बहुत से यूनिटस ऐक्सरसाइज बुक्स बना कर बैठे है । (विघ्न) ये कहते है कि ि ाक्षा विभाग मार्किटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा लेकिन ि ाक्षा विभाग कहता है कि माल सरप्लस है। दूसरी तरफ स्कूल के बच्चों से जब पूछते है तो वे कहते है कि कापियां मिलती नही है। क्या मंत्री महोदय की जानकारी मे यह है, यदि है तो क्या वे ि ाक्षा विभाग और अन्य संबंधित विभागों से मिल कर इसकी कोई व्यवस्था करने की कोि ा ा करेंगे ?

श्री अध्यक्षः यह प्र न मेन क्वै चन से संबंधित तो नही है लेकिन यदि डाक्टर साहब इसका जवाब दे सकते है तो कृपाया दे दे।

(इस प्र न का उत्तर नही दिया गया।)

श्री मूल चंद जैनः अध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्री जी ने जो लिस्ट मेज पर रखी है, इसको पढ़ने से पता चहता है कि किसी जिले मे कमेटी बनी है किसी मे बनी ही नही है, किसी कमेटी मे 8 मैंबर हे, किसी मे 6 मैंबर है और किसी मे दो ही है। तो मैं उद्योग मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कभी इन्हे इस बात पर विचार करने का टाईम मिला है कि ये चीजे क्यों अलग अलग ढंग से चल रही है ?

डॉ. मंगल सैनः स्पीकर साहब, ये जो कमेटियां बनी है ये मेरे माननीय मित्र के जमाने मे ही बनी थी। उस समय मेन सलाहकार यही थे। स्पीकर साहब, ऐसा है कि हमने यह काम

डिप्टी कमि नर पर छोड़ा हुआ है क्योंकि वह कमेटी का चेयरमैन होता है। वह जितने चाहे मैंबर्ज बना लें, हमें इसमे कोई आपत्ति नही है। हां, यह मैं जरूर मानता हूं कि अभी मैं इन द्वारा किए गए गलत काम को ठीक नही कर सका हूं, इसे मैं जरूर ठीक करा दूंगा।

श्री मूल चंद जैनः मैं उद्योग मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या ये इन कमेटीज की मीटिंग्ज को कार्यवाही की नकल अपने पास मंगवाते है ताकि ये उसे पढ़ सकें और क्या इन्हें कार्यवाही को पढ़ने का टाईम मिलता भी है या नही ?

डॉ. मंगल सैनः स्पीकर साहब, टाईम का जहां तक संबंध है वह तो जितना ये मुझे देंगे उतना मिल जायेगा। जहां तक दूसरी बात का संबंध है, इस मामले मे बड़ा सीरियस हूं और मेरी यह कंविक ान है कि अन एम्पलायमैंट को दूर करने का लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के अतिरिक्त कोई साधन नही है। कार्यवाही की नकल मंगवाने के बारे मे बात यह है कि बड़ी इररैगुलर मीटिंग्ज हुई है और हमने डिप्टी कमि नर्ज को हिदायतें दी है कि आगे से इस तरह की बात नही होनी चाहिए। फिर भी आयंदा हम और चौकसी से काम करेंगे ताकि दूबारा जब कभी ये सवाल करें तो मैं उसका अच्छी तरह से जवाब दे सकूं।

श्री अध्यक्षः इस सवाल के संबंध मे जो बाते यहां आई है उनको ध्यान मे रखते हुए मैं गवर्नमैंट को रिकमैंड करूंगा कि

डिस्ट्रिक्टस की कमेटीज को पूरे तौर पर आगे नाइज किया जाये, उनकी रैगुलर मीटिंग्ज हो और मीटिंग्ज की कार्यवाही के ऊपर गवर्नमैंट लैवल पर या डिस्ट्रिक्ट लैवल पर जो भी ऐक ान लेना होता है, उसकी प्रोग्रैस को वाच किया जाये।

डॉ. मंगल सैनः ऐसा ही होगा।

श्री अध्यक्षः धन्यवाद।

Lining of watercourses in Ratia Constituency

***1306. Chaudhri Peer Chand:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether there is any scheme under consideration of the Government for lining the watercourses in Ratia Constituency; and

(b) if so, the time by which the aforesaid lining work on all the watercourses is likely to be completed?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी रिजक राम):

(क) जी हां, हरियाणा राज्य लघु सिंचाई नलकूप निगम ने वि व बैंग परियोजना के अंतर्गत रतिया निर्वाचन क्षेत्र के जल मार्गों को पक्का करने का कार्य पहले से भुारू कर दिया है।

(ख) रतिया निर्वाचन क्षेत्र मे इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 88 जलमार्गो को पक्का करने का प्रस्ताव है और वर्ष 1982 तक इस कार्य के मुकम्मल हो जाने की संभावना है।

चौधरी पीर चंदः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अभी बताया कि 88 जलमार्गो को पक्का करने का काम सन् 1982 तक पूरा करने की प्रपोजल है। लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं मंत्री जी से आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि रतिया हल्के के अंदर चूंकि सैलाव से जमीन खराब होती जा रही है इसलिये क्या वे इन जलमार्गो को सन् 1979 तक पक्का करवाने की कृपा करेंगे ताकि उस जमीन को सैलाब से बचाया जा सके ?

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, इस क्षेत्र मे कुल 180 जल मार्ग है जो पक्के किये जाने है। (विघ्न) इनमे से अभी 88 टेक अप दिये है। जितना पेसा वर्ल्ड बैंक से मिलता है उसके मुताबिक हो प्रस्ताव करना पड़ता है क्योंकि सारे हरियाणा मे पक्के खाल बनाने का प्रोग्राम चालू है। चूंकि एक ही क्षेत्र मे सारा काम नही किया जा सकता इसलिये आहिस्ता आहिस्ता ही यह सारा काम पूरा किया जायेगा।

चौधरी हर स्वरूप बूराः स्पीकर साहब, देखने मे आया है कि किसान तो कहते है कि हम अपने खाल पक्के नही बनाना चाहते लेकिन गवर्नमैंट बनाना चाहती है। तो मैं मंत्री जी से

जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नमैंट उन किसानो को छूट देगी जो नही चाहते कि उनके खाल पक्के बनाए आए ?

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, जो बूरा साहब ने प्र न किया है इसमे कुछ सच्चाई है। सरकार की जो पहली नीजि थी उसके अनुसार कुल खर्चा किसानों से वसूल किया जाता था। उसमे लोग रजामंद नही थे क्योंकि खर्च बड़ा भारी था। एक मील खाल पक्का करने मे एक लाखा रूपया खर्च आता है और इसकी अदायगी 9 सालों मे कि तों मे करनी होती है। इस पर 72–73 हजार रूपया सूद का भी हो जाता है। खर्चा ज्यादा होने की वजह से लोग इससे सहमति नहीं रखते थे लेकिन अब जबकि सरकार ने अपनी पालिसी बदली है और मुख्य मंत्री जी ने भी इसका एलान 8 जुलाई के जलसा मे हिसार मे किया है, तब से लोगों के रूख मे तबदीली आई है। अब पालिसी यह है कि जे छोटे किसान है, बढ़ाई एकड़ तक जमीन वाले, उनके जिम्मे जो भी खर्च आएगा वह सरकार अपने पास से देगी और इस सीमा से ऊपर वाले जो बड़े बिस्वेदार है उनका पचास फीसदी खच्रा सरकार देगी। जिन लोगो ने पहले लिख कर दिया था कि वे खाल पक्का नही बनवाना चाहते अब वे भी बार बार कहते है कि उनके खाल जल्दी पक्के किये जाये।

चौधरी उदय सिंह दलालः क्या मंत्री जी हाउस को वि वास दिलाएंगे कि खालों को पक्का करने के लिये जयादा से ज्यादा अच्छा मैटीरियल लगाया जायेगा क्योंकि देखने मे आया है

कि कई जगह ईंटां की कमी की वजह से पीली ईंटे लगा दी गई है और आप जानते है कि अगर किसी काम मे एक दो पीली ईंट भी लगा दी जाये तो वह काम खराब हो जाता है ?

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, जो खाल पक्के किये जा रहे है उनके बारे मे ईंटों तथा दूसरे मैटीरियल के बारे मे ि ाकायत आई है। मैं खूद भी देहातों मे गया हूं और काम को चैक भी किया है। इसके बारे मे हमने चीफ इंजीनियर, एस.ईज. और ऐग्जैक्टिव इंजीनियर्ज आदि को हिदायत दी है कि वे काम की पड़ताल करें ताकि खराब मैटीरियल खालों मे इस्तेमाल न हो सके। लेकिन हमारी भी कुछ मुि कलात है। कोयला मिल नही रहा है। भट्ठे वालो से, जिनको हमने स्पौंसर्ड कोयला दिया था, हमने ऐग्रीमैंट्स किये हुए है लेकिन वे भी भाव ज्यादा बढ़ने की वजह से ईंटे सप्लाई नही कर रहे है। इसके बावजूद भी जो भी ज्यादा से ज्यादा निगरानी हो सकती है, वे हमारे अफसरान करेंगे।

चौधरी फतेह चंद विजः स्पीकर साहब, अभी मिनिस्टर महोदय ने कहा है कि सन् 1982 तक काम पूरा कर देंगे। इसी प्रकार से सरदार लछमन सिंह जी भी अपने जवाब मे यही कहा करते थे कि सन् 1982 तक काम को कर देंगे। यह कहते वे आज इस तरफ आ गये है। क्या हमारे इरीगे ान मिनिस्टर सहाब सन् 1982 की बजाए सन् 1980 तक कर देंगे ? (हंसी)

चौधरी जगदी ा कुमार बैनीवालः स्पीकर साहब, सिरसा, हिसार और भिवानी के जो सैंडी एरियाज है, क्या न एरियाज मे खाल पक्के करने मे प्रायरिटी देंगे ?

चौधरी रिजक रामः हिसार, भिवानी तथा सिरसा जिले मे सब से पहले यह प्रोग्राम भाुरू किया गया है। खालो को पक्के करने का फेज्ड प्रोग्राम सारे हरियाणा से चालू किया गया है।

चौधरी जगदी ा कुमार बैनीवालः स्पीकर साहब, मैंने तो सैंडी एरियाज मे प्रायरिटी देने के बारे मे सवाल किया है।

चौधरी रिजक रामः ज्यादातर हिसार, सिरसा, भिवानी और फतेहबाद के एरिया मे ही खाल पक्के करने का प्रोग्राम बनाया है। वे सभी सैंडी एरियाज है।

श्री कंवल सिंहः स्पीकर साहब, सरकार ने अनाउंस किया था कि जिन जमींदारो ने खाल पक्के करवाये है उनको कुछ राहत दी जायेगी। मैं मिनिस्टर महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिन जमींदारो ने अपनी पूरी कि ते दे दी या कुछ कि त बकाया है उनको भी इसमे राहत देने का प्रोविजन है या नही ?

चौधरी रिजक रामः मुख्य मंत्री जी ने एलान किया है कि सरकार ने फैसला यिका है कि जिन्होंने सारी कि ते अदा कर दी है या अभी कुछ कि तें बकाया है उनको भी राहत दी जायेगी।

चौधरी हर स्वरूप बूरा: स्पीकर साहब, मैं मत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब सरकार नहरों और माइनर्ज को पक्का करने पर करोड़ों रूपया खर्च करती है तो इन वाटर कोर्सिज को पक्का करने का खर्चा भी सरकार क्यों नही बरदास्त करती है ?

चौधरी रिजक राम: स्पीकर साहब, नहरे तो सरकार की मलकियत है, वाअर कोर्सिज सरकारकी मलकियत नही है। जिन खालो को पक्का किया जा रहा है उनके लिये वर्ल्ड बैंक और ए. आर.डी.सी. से पैसा लिया है। वर्ल्ड बैंक से एग्रीमैंट हुआ है कि जितना भ खालों पर पैसा खर्च होगा वह जमीदारो से वसूल किया जायेगा। यह फैसला हमारे से पहले वाली सरकार ने किया था। हमने इस बात की कोि ा ा की है कि इस खर्चे मे वर्ल्ड बैंक पचास परसैंट की राहत दे। वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों से बातचीत भी की है कि सरकार ने जो राहत दी है उसे वर्ल्ड बैंक दे और बैंक के नुमाइंदों ने यह तय भी कर लिया है कि यह राहत दी जाये।

चौधरी हरि चंद हुड्डा: स्पीकर साहब, खाल को पक्का करने के लिये दो डिपार्टमैंट को काम दिया हुआ है, एक तो एम. आई.टी.सी. खालों को पक्का करती है और दूसरा कैनाल डिपार्टमैंट भी इनको पक्का करता है। यह काम दोंनो डिपार्टमैंट की बजाए एक ही डिपार्टमैंट को दे दिया जाये तो सरकार की बचत हो सकती है। (विघ्न)

चौधरी सतबीर सिंह मलिकः स्पीकर साहब मिनिस्टर महोदय ने अपने जवाब मे बताया है कि खालों और नहरों को पक्का करने से पानी की बचत होती है। मैं मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूं कि एरियाज के खालों और नहरों को पक्का करने के बाद पानी की बचत होगी, वह पानी उन्ही एरियाज की नहरों को दिया जायेगा या अन्य इलाके की नहरों को दिया जायेगा ?

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब नहर को पक्का करने से 10 फीसदी पानी की बचत होती है और खाल को पक्का करने से 20–25 फीसदी पानी की बचत होती है। मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने फैसला किया है कि एक महीने या सवा महीने मे उन इलाकों की मोरियो को और वाटर कोर्सिस के साइज को बढ़ायेंगे जिन एरियाज मे खालों और नहरों को पक्का किया है। वेस्टर्न जमाना के ट्रैक मे पक्के हुए है इसलिये वह पानी वहीं दिया जायेगा।

श्री भाम ोर सिंहः मिनिस्अर महोदय ने जवाब मे कहा है कि एक किलोमीटर खाल को पक्का करने पर एक लाख रूपया खर्चा होता है। अगर सरकार को किसानो का ख्याल है तो वे अपने आप आधे खर्चे पर इस खाल को पकका बना सकते है। क्या मिनिस्टर महोदय इस बात पर विचार करेंगे कि किसानों को सिर्फ टैक्नीकल गाइडैंस दे दी जाये और उन खालों को गांवों की अपनी कमेटी पक्का करे ?

चौधरी रिजक रामः मेरे काबिल दोस्त ने जो सुझाव दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे लेकिन देहातों मो कम्यूनिटी वर्क होना संभव नही है इसलिये खालो को पक्का तो कार्पोरे ान को ही करना पड़ेगा।

चौधरी सतबीर सिंह मलिकः स्पीकर साहब, सरकार की तरफ से जो खाल पक्के किये जा रहे है उनमे सीमेंट और रेत की रे ाो ठीक तरह से नही मिलायी जाती । रेत अधिक मात्रा मे डाला जाता है। जमींदारों की यह आम ि ाकायत है। क्या मिनिस्टर महोदय इस बारे मे चैकिंग करायेंगे ?

चौधरी रिजक रामः इस बारे मे मेरे पास भी ि ाकायतें आयी है इस बारे मे सरकार ने फैसला किया है कि सीमेंट और रेत की जब रे ाो मिलायी जाती है तो उस वक्त गांव के नुमाइंदे मौके पर मौजूद होने चाहिए। अफसरान की हिदायत दी गई है कि गांव वालों की कोई ि ाकायत आती है तो एक्स–ई.एन, एस.ई. या चीफ इंजीनियर मौके पर जा कर पड़ताल करें और हमने हड़ताल करायी भी है।

श्री जय नारायण वर्माः स्पीकर साहब, मैं अपनी तरफ से और सब की तरफ से मिनिस्टर महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने हिन्दी मे सवालों के जवाब दिये है।

चौधरी राम कि ानः स्पीकर साहब, हमारे सफीदों के इलाकें मे जितने रजवाहों मे आउट लैट्स लगी हुई थी उन सब

को उखाड़ कर ऊपर लगा दिया गया है। तो मैं मिनिस्टर से जानना चाहता हूं कि वे आउट लैट्स ऊपर लगायी गई है या चीफ इंजीनियर साहब ने अपनी मर्जी से ही ऊपर लगवा दी है ?

श्री अध्यक्षः यह सवाल तो रतिया एरिया के बारे मे है। सफीदों के बारे मे सप्लीमेंटरी नही कर सकते। अगर मंत्री महोदय जवाब देना चाहे तो दे दे।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, जिस स्पैसिफिक रजबाहें का इन्होंने जिक्र किया है उसके बारे मे पड़ताल की जायेगी। ऐसी ि ाकायते मेरी जानकारी मे नही है। मैं जीन्द गया था लेकिन माननीय सदस्य वहां पर त ारीफ नही लाये और अब जब दुबारा जाऊंगा तो माननीय सदस्य को टाईम देकर जाऊंगा और यदि कोई ऐसी ि ाकायत होगी तो उस को दूर करूंगा।

Persons registered with the Employment Exchanges in the State

***1268. Rao Dalip Singh:** Will the Minister for Labour and Employment be pleased to state—

a. the district wise total number of persons registered with the employment Exchanges in the State at present'

b. the district wise and category wise total number of persons emplyed through Employment Exchanges in the

State during the years 1975-76, 1976-77, 1977-78 and 1978-79;

c. the district wise total number of M.As., M.Scs., and B.As., B.Scs. and B.Eds., J.B.Ts and Matriculates; non Matriculates, Diplima Holders and Graduates in Engineerings registered with the Employment Exchanges in the State at persent:

d. whether there is any proposal under consideration of the Governments to give employment alloeance to the un employed persons registered with the Employment Exchanges; and

e. the category wise total number of handicapped persons and ex-service men registered with the Employment Exchanges in the State?

श्रम मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी):

(ए), (बी), (सी) तथा (ई): वांछित सूचना विवरणी सहित के पटल पर रखी गई है।

(डी) जी नही।

(ए) जिला अनुसार दिनांक 30–6–79 को हरियाणा मे रोजगार कार्यालयों के सजीव रजिस्टर पर प्रतिक्षा कर रहे प्रार्थियों की संख्या निम्न हैः–

जिला का नाम	प्रार्थियों की संख्या

अम्बाला	48916
कुरूक्षेत्र	19053
करनाल	37916
रोहतक	37870
सोनीपत	21694
जींद	17287
भिवानी	20433
गुड़गांवां	53129
महेन्द्रगंढ़	19498
हिसार	24589
सिरसा	8141
योगः	308226

(बी) जिला तथा वर्ग अनुसार वर्श 1975–76, 1976–77, 1977–78 और 1978–79 मे राज्य के रोजगार कार्यालयों द्वारा लगाये गये प्रार्थियों के आंगड़ें नीचे दिये जाते है–

	1975–76					1976–77				
जिला का नाम	कुल नियुक्तियां	अनुसूचित जाति	भूतपूर्व सैनिक	अंगहीन	महिलायें	कुल नियुक्तियां	अनुसूचित जाति	भूतपूर्व सैनिक	अंगहीन	महिलायें
अम्बाला	2481	708	275	35	831	4967	1155	438	24	773
कुरूक्षेत्र	2079	388	111	20	354	3205	829	92	21	629
करनाल	2748	478	181	26	432	3560	700	285	48	659
रोहतक	2103	314	158	28	441	3208	688	281	57	574
सोनीप	1354	249	130	19	320	2444	431	163	29	399

त										
जींद	1270	144	113	17	228	1411	278	118	23	151
भिवानी	1616	228	180	16	270	3202	382	256	25	411
गुड़गांवां	4571	463	229	29	766	6236	608	296	33	414
महेन्द्रगढ़	2422	529	166	15	315	2574	483	177	37	339
हिसार	2578	451	181	20	324	2862	415	145	25	531
सिरसा	1262	169	37	6	211	1984	181	27	12	223
योग	25184	4116	1854	231	4492	34755	6150	2278	334	5103

	1977—78	1978—79

जिला का नाम	कुल नियुक्तियां	अनुसूचित जाति	भूतपूर्व सैनिक	अंगहीन	महिलायें	कुल नियुक्तियां	अनुसूचित जाति	भूतपूर्व सैनिक	अंगहीन	महिलायें
अम्बाला	5173	1051	343	31	812	4901	1234	336	50	891
कुरूक्षेत्र	3562	521	134	24	406	3688	613	123	25	830
करनाल	4115	921	263	52	465	3940	743	354	70	789
रोहतक	3817	574	257	67	800	3728	761	271	88	692
सोनीपत	2326	473	177	59	389	1947	268	138	59	491
जींद	1664	415	103	34	154	1732	505	105	23	172
भिवानी	2568	384	194	32	429	3151	469	178	31	633

गुड़गांवां	5407	644	203	59	481	5361	707	236	70	542
महेन्द्रगढ़	2931	565	222	40	400	3305	523	264	42	606
हिसार	3391	644	137	38	593	3670	575	204	46	797
सिरसा	1972	208	21	16	344	2705	392	47	25	538
योग	36926	2064	2064	452	5883	38128	6790	2227	529	7081

(सी) जिला अनुसार 31—12—78 को राज्य के रोजगार के सजीव रजिस्टर पर रोजगार सहायता हेतू, प्रतीक्षा कर, रहे एम.ए., एम.एस.सी., बी.ए., बी.एस.सी., बी.एड., जे.बी.टी., मैट्रिकुलेट, डिप्लोमा होल्डर, नान मैट्रिक और स्नातक इंजीनियरिंग प्रार्थियों की संख्या निम्न है—

जिला का नाम	एम. ए.	एम. एस. सी.	बी.ए.	बी. एस. सी.	बी.एड. /एम. एड.	जे.बी. टी.	मैट्रिकुलेट	डिप्लोमा होल्डर	स्नातक इंजीनियरिंग	नान मैट्रिकुलेट
अम्बाला	382	69	2682	228	1213	944	12210	268	134	10147
कुरूक्षेत्र	150	50	919	57	589	359	3957	68	53	2368
करनाल	163	33	1159	131	791	493	10639	173	85	6056
रोहतक	328	67	1479	114	1299	1319	6676	277	25	8020
सोनीपत	79	22	574	58	959	1020	4643	146	26	5156
जींद	90	17	891	46	490	392	4522	69	18	2889
भिवानी	83	9	845	65	803	245	5754	39	12	4717
गुड़गांवां	250	99	1392	249	1553	749	9863	266	50	14206
महेन्द्रगंढ़	158	26	913	58	932	273	5239	29	5	5505

हिसार	133	45	1109	51	950	346	6936	139	26	4245
सिरसा	45	8	481	33	268	83	2587	65	9	1319
योग	1861	445	12544	1091	9957	6223	73025	1519	443	64628

नौट– (1) उपरोक्त श्रेणियों के जो आंकड़े दिये गये है वह 31–12–78 से संबन्धित है न कि 30–6–79 से क्योंकि ये आंकड़े वर्श की समाप्ति तक के एकत्रित किये जाते है।

(2) मैट्रिकुलेट्स के आंकड़ों मे वे प्रार्थी भी सम्मिलित है जो कि मैट्रिक से अधिक तथा स्नातक से कम ि ाक्षित है।

(3) मैट्रिक से कम प्रार्थियो मे सभी पढ़े लिखे प्रार्थी भाामिल है।

(इ) अंगहीन तथा भूतपूर्व सैनिकों के वर्ग अनुसार रोजगार कार्यालयों मे दिनांक 30–6–79 को प्रतीक्षा कर रहे प्रार्थियों की संख्या निम्न हैः–

(i)	अंगहीन प्रार्थियों की संख्या	1181	
	अंधे	107	
	बहरे	2	
	भाारीरिक अक्षमयता वाले प्रार्थी		1072
(ii)	भूतपूर्व सैनिक	10560	
	भूतपूर्व कमी ान्ड आफिसर		21
	भूतपूर्व जे.सी.ओ.		714
	अन्य भूतपूर्व सैनिक		9825

राव दलीप सिंहः इस वक्त हरियाणा मे तीन लाख से भी अधिक बेरोजगार है। क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि उनके बारे मे ऐसी कोई स्कीम या प्लान सरकार बना रही है जिससे इन बेरोजगारो को सर्विस मिल सके ?

चौधरी मेहर सिंह राठीः स्पीकर साहब, बेरोजगारी को समाप्त करने की सरकार पूरी कोि ा ा कर रही है। देहातों मे छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाये जा रहे है ताकि बेराजगारी को दूर किया जा सके। सरकार ने कितने ही स्कूलों को अपग्रेड किया है और उन मे कितने ही जे.बी.टी. टीचर्ज को रोजगार दियागया है। गवर्नमैंट ज्यादा से ज्यादा कोि ा ा कर रही है कि अन एम्पलायमैंट को खत्म किया जाये।

चौधरी हर स्वरूप बूराः स्पीकर साहब आप ने कहा था कि हर सदस्य की मेज पर क्वै चन के जवाब की कापी रखी जायेगी परन्तु मेरे पास जवाब की कापी नही आयी है, केवल उसी सदस्य को दी गयी है जिसने सवाल पूछा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि क्वै चन के जवाब की कापी सभी सदस्यों की मेजो पर रखी जानी चाहिए। (ोर)

श्री अध्यक्षः हर एक सदस्य की मेज पर क्वै चन के रिप्लाईज की प्रति रखना सम्भव नही होगा। सदन के पटल पर सवालों के जवाब की कापी रखी हुई है।

श्री दीप चंद भाटिया: स्पीकर साहब लेबर मंत्री महोदय ने बेरोजगारी को खत्म करने की बात की है लेकिन फरीदाबाद मे दफा 144 लगा रखी है और वहां सैंकड़ों मजदूरों को निकाला जा रहा है। वहां के मजदूर मुजहारा कर रहे है। जब चौधरी खु र्शीद अहमद फरीदाबाद गए तो उन्होंने मेरे से वायदा किया था कि वे लेबर मंत्री महोदय से मिलेंगे और इस बारे मे बातचीत करेंगे लेकिन आज तक उस के बारे मे कुछ नही बताया कि क्या कुछ किया है।

श्री अध्यक्ष: इस सप्लीमेंटरी का मेन कवै चन से कोई संबंध नही है।

चौधरी राजेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से हैण्डीकैप्ड परसन की डैफिनी ान जानना चाहूंगा कि एक टांग टूटे हुए व्यक्ति को हैंडीकैप्ट मानते है या और कोई क्राइटेरिया है ? दूसरे क्या सरकार हैंडीकैप्ड परसन को एज मे रिलैक्से ान देती है या नही ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): इन्होंने अपंग लोगो को रोजगार देने के बारे मे कहा है।

श्री अध्यक्ष: मैंबर साहब रोजगार देने के बारे मे नही पूछना चाहते। वे तो हैण्डीकैप्ड की डैफिनी ान पूछ रहे है।

चौधरी राजेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मैं तो हैण्डीकैप्ड परसन की डैफिनी ान पूछ रहा हूं कि सरकार एक टांग या दो

टांग टूटे हुए व्यक्ति को हैण्डीकैप्ड परसन मानती है या कोई और क्राइटेरिया है।

चौधरी भजन लालः हैण्डीकैप्ड परसन्ज के बारे मे नोटिफिके ान हुई हुई है। ये उसको पढ़ सकते है। यह पब्लिक डाकुमैंट है।

चौधरी राजेन्द्र सिंहः इसके साथ ही मेरा प्र न यह भी है कि क्या उनको एज मे रिलैक्से ान दी जाती है ?

चौधरी मेहर सिंह राठीः अलग अलग व्यक्तियों के लिये अलग अलग रूल्ज बने हुए है। आप किस किस्म के आदमी की एज मे रिलैक्से ान के बारे मे पूछना चाहते है ? (हंसी)

श्री हीरा नंद आर्यः यह जो इतनी बड़ी फौज मंत्रियों की खड़ी की हुई है, क्या यह इन लोगो को रोजगार देने के लिये की गई है ? (हंसी)

राब दलीप सिंहः मंत्री महोदय ने अपने जवाब मे बताया है कि फिजिकली हैण्डीकैप्ड 1181, ब्लाइन्ड 107 और आर्थोपैडिक्स 1072 व्यक्ति रोजगार कार्यालयों की लिस्टर पर है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इन को एम्पलायमैंट देने के लिये प्रायरिटी दी जायेगी ?

चौधरी मेहर सिंह राठीः जिस तरह से हरिजनो की या एक्स सर्विस मैंन के लिये रिर्जे ान फिक्सड है इसी तरह से इनके

लिये भी रिजर्वे ान की परसैंटेज फिक्स की हुई है और नौकरियां दी जाती है।

राब दलीप सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि हैण्डीकैप्ड परसन्ज के लिये एप्वायंटमैंट मे कितनी परसैंटेज फिक्स की हुई है ?

चौधरी मेहर सिंह राठी: यह इनफर्मे ान मेरे पास नही है। अगर आप नोटिस देंगे तो बता दिया जायेगा वरना आप मेरे कमरे मे आ जाये, मैं यह इनफर्मे ान दे दूंगा।

श्री जय नारायण: अध्यक्ष महोदय, आदणीय मुख्य मंत्री जी या मंत्री महोदय यह बताने का कश्अ करेंगे कि सरकार नगरों या देहातो के बेरोजगार लोगो को रोजगार देने के लिये क्या कोई प्रि ाक्षण केंद्र खोलने की योजना बना रही है ? हरियाणा मे बेरोजगार लोगो की काफी लम्बी कतार बढ़ती जा रही है और उनमे वि ोशकर हरिजन और कमजोर वर्ग के व्यक्ति है।

श्री अध्यक्ष: इस सप्लीमेंटरी का मेन सवाल से कोई संबंध नही है।

श्री भाम ोर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने सवाल के पार्ट 'डी' के जवाब मे कहा है कि बेरोजगार लोगों को अन एम्पलायमैंअ अलाऊंस देने की कोई योजना नही है। मैं आपके द्वारा सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि आज बेरोजगार लोगों को नौकरी का फार्म प्राप्त करने के लिये 5 या 10 रूपये प्रति

फार्म की कीमत देनी पड़ती है और उसके साथ ही फीस भी देनी पड़ती है, तो क्या मंत्री महोदय इस खर्चे को समाप्त करने का विचार करेंगे।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, पिछले सै ान मे भी यह सवाल उठाया गया था । 3 लाख पढ़े लिखे बेरोजगार लोग, जिनके नाम एम्पलायमैंट एक्सचेंजिज मे दर्ज है, अगर उनको हम 50–50 रूपये महीने भी बेरोजगार अलाउंस दे तो सरकार के ऊपर 18 करोड़ रूपये का बोझ पड़ेगा जबकि 50 रूपये महीना देने से उनका कुछ बनने वाला नही है। इसलिये सरकारने यह फैसला किया है कि हम पढ़े लिखे नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे देहातों मे लगाने के लिये प्रेरित करे। सरकारउनको 15 प्रति ात सबसिडी देती है। 10 हजार से लेकर 1 लाख रूपये तक उनको सरकार लोन देती है और पांच साल तक टैक्स और सरचार्ज वगैरा से मुक्त करती है ताकि पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे देहातों मे लगाये और उनको देखकर, जो वहां के अनपढ़ आदमी है, उनमे भी जागृति आये और वे भी बेकार न रहे। अन एम्पलायमैंट अलाउंस देने के बारे मे सरकार का कोई विचार नही है।

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, मेरे सवाल का तो जवाब ही नही दिया गया है। मैंने तो उनसे यह पूछा था कि बेरोजगार लोगों को एप्लीके ान फार्म लेने के लिये 5 रूपये या 10 रूपये देने पड़ते है और इसके अलावा उन्हे फार्म के साथ

फीस देनी पड़ती है, क्या सरकार उनको माफ करने पर विचार करेगी ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो सुझाव दिया है, सरकार इस पर विचार करेगी और यदि ठीक समझा गया तो माफ करेगी।

Subsidy paid by Sugar Mills in the State

***1314. Ch. Des Raj:** Will the Minister for Agriculure be pleased to state—

(i) whether any subsidy is paid to the farmers for the sugar cane supplied by them to the Sugar Mills in the State; if so, the rate per quintal of sugar cane thereof;

(ii) the total amount of subsidy referred to in part (a) above paid to the farmers together with the period for which it has been paid during the year 1978-79 by each of the Sugar Mills in the State, separately;

(iii) whether any duration of crushing season has been fixed ny the Sugar Mills in the State; if so, the details thereof; and

(iv) whether subsidy referred to in part (a) above wa paid during the full crushing season; if no, the reason therefor?

Agriculture Minister (Sardar Tara Singh):

(i) Subsidy was paid to the cane growers on the cane supplied by them upto 31st March, 1979 in the crushing season 1978-79. The price of old and new sugarcane was fixed at the rate of Rs. 9 and Rs-12.50 per quintal respectively. The Sugar Mills were asked to pay Rs. 7 in case of old cane and minimum statutory price in case of new caneand the difference of Rs. 7.00 and Rs. 12.50 in the case of old cane and new cane respectively minus the transportation charges, if any, was subsidised by the State Government.

(ii) The details of subsidy paid from 14th November, 1978 to 31st March, 1979 is as under:-

S. No.	Name of Sugar Mill	Amount of Rupees
1	The Sarswati Sugar Mills, Yamunanagar	11665123.46
2	The Karnal Coop. Sugar Mills Ltd. Karnal	3093363.91
3	The Panipat Cooperative Sugar Mills Ltd. Panipat	3106342.05
4	The Sonepat Cooperative Sugar Mills Ltd. Sonepat	268544339
5	The Haryna Coop. Sugar Mills Ltd. Rohtak	2076571.23
	Total	2262684404

(iii) Yes. From 14th November, 1978 to 31st May, 1979.

(iv) No, because the price of Gur and Khandsari had started improving and the farmers could convert their cane into Gur and Khandsari after March, 1979.

चौधरी देस राजः स्पीकर साहब, सबसिडी की बाबत उन्होंने यह कहा है कि 31 मार्च क दी गयी है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक कोई कन्ना क्र ा नही किया गया, अगर किया गया तो उस पर सबसिडी क्यों नही दी गयी?

सरदार तारा सिंहः स्पीकर साहब, पहली गवर्नमैंट ने यह फैसला किया था कि 28 फरवरी तक जो गन्ना क्र ा किया जाता है, उस पर सबसिडी दी जाये लेकिन बाद मे यह मामला दोबारा कंसीडर किया गया क्योंकि अभी काफी गन्ना क्र ा करना बाकी रहता था। इसलिये सारी सोसाइटीज के साथ मिलकर यह फैसला हुआ था कि 31 मार्च तक सबसिडी दी जाये, इसलिये हमने 31 मार्च तक सबसिडी दी है।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, पिछले सै ान मे भी इस बात पर चर्चा हुई थी कि मिल मालिक किसान का पूरा गन्ना नही लेते और मजबूर होकर दूसरे लोगो को देना पड़ता है। दूसरे लोग उनकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाते है और उससे तीन तीन या चार चार रूपये क्विंटल के हिसाब से गन्ना लेते है जिस की वजह से किसान को काफी नुक्सान होता है। क्या

सरकार इस बात का प्रबंध करेगी कि गन्ने की जो मिनियम स्पोर्ट प्राईस फिक्स की जाये, उससे कम कीमत पर कोई क्र ार वाल गन्ना न खरीदे, अगर कोई खरीदता है, तो उसके खिलाफ कोई न कोई एक ान लिया जाये ? (व्यवधान व भाोर)

सरदार तारा सिंहः स्पीकर साहब, इन्होंने पिछले वक्त की बात बतायी है। अब मैं सरकार की तरफ से हाउस को यह वि वास दिलाता हूं कि सरकार ऐसा प्रबंधप करेगी कि जो भी गन्ने की स्पोर्ट प्राईस फिक्स की जाये, उससे कम कीमत पर गन्ना न खरीदा जाये। सरकार किसान का गन्ना कम कीमत पर किसी को भी खरीदने नही देगी।

श्री लहरी सिंह मेहराः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने यहां पर बताया है कि यमुनानगर भुगर मिल को पिछली दफा सरकार की तरफ से अढ़ाई रूपये प्रति क्विंटल सबसिउी के तौर पर दिये गये। लेकिन सरकार की तरफ से अढ़ाई रूपये मे 68 या 70 पैसे किसानो से काट लिये। क्या मंत्री महोदय यह बताने का कश्ट करेंगे कि क्या यह किसानों के साथ ज्यादती नही है, अगर है तो क्या इके आरे मे काई इंकवायरी की गयी, अगर की गई है तो मिल वालों के खिलाफ जो एक ान लिया गया है, यह बताया जाये ?

सरदार तारा सिंहः स्पीकर साहब, यह पैसे एक पालिसी के मुताबिक बांटे गये है जोकि जमींदार के फायदे की बात है। यह पैसे उनके नाम से जमा होते है।

चौधरी सतवीर सिंह मलिकः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने 5 मिलों को जितनी सबसिडी दी है, उसकी रकम यहां पर बतायी है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि किसानो ने जो गन्ना इन भूगर मिलों को सप्लाई किया है, उनके गन्ने की कीमत का कितना इन मिलों की तरफ अभी बकाया है ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, हरियाणा सरकार ने किसानो का खात तौर पर ध्यान रखा है। पिछली सरकारमे भी यह महकमा मेरे पास था। हमने अढ़ाई रूपये क्विंटल के हिसाब से किसानो को सबसिडी दी है। यह सबसिडी हम तो आखिर तक देना चाहते थे लेकिन हमें भारत सरकार ने मना कर दिया । भारत सरकार ने हम पर यह पाबंदी लगा दी कि अगर हम सबसिडी देंगे तो जो पैसा केंद्रीय सरकार ने देना है, उसमे से काट लिया जायेगा। उस वक्त के वित्त मंत्री चौधरी चरण सिंह ने हमे बुलाकर यह कहा कि अगर आप सबसिडी दोंगे तो हम यह पैसा आपके पैसे मे से काट लेंगे। लेकिन हमने इस के बावजूद भी 31 मार्च तक अपने खजाने पर बोझ डाल कर सबसिडी दी है। हम इस बात की भी पूरी कोि ा ा कर रहे है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा भाव उनके गन्ने का दिलाया जाये और सरकार किसानों को हर तरह से इसके लिये मदद देगी।

चौधरी सतवीर सिंह मलिकः स्पीकर साहब, मैंने तो सरकार से यह पूछा था कि मिल मालिकों को जो यह सबसिडी दी है, क्या उन्होंने यह सबसिडी किसानो को दे दी है, अगर किसानो को कोई पैसा अभी तक नही दिया है तो क्या सरकार मिल मालिको के खिलाफ कोई एक ान लेने का विचार रखती है ?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, एक पैसा भी किसी किसान का किसी मिल की तरफ बकाया नही है। अपनी मर्जी से अगर कोई किसान नही ले जाये तो अलग बात है। हमारे नोटिस मे एक भी ऐसी ि ाकायत नही आयीं मेरे भाई यहां पर खड़े होकर एक भी मिसाल अगर बता देंगे तो सरकार ऐसी मिल के खिलाु पूरी कार्यवाही करेगी जिसने पैसा न दिया होगा। हमारी इंफर्मे ान किसी भी मिल के खिलाफ किसी भी किसान का पैसा बकाया नही है।

श्री भले रामः मंत्री महोदय ने यह बताया कि जिन किसानों ने गन्ना मिल वालों को सप्लाई किया है, उनको उन्होंने सबसिडी दी है ? किसान जो गन्ना पैदा करते है, उनके साथ पांचवे हिस्से मे हरिजन भी होते है, उनको आज तक कोई सबसिडी नही दी गयी है, क्या सरकार उनको भी सबसिडी देने का कश्ट करेगी ? (व्यवधान व भाोर)

चौधरी भजन लालः माननीय सदस्य को मैं यह बता देना चाहता हूं कि जो इन्होंने कहा है कि हरिजनो को कोई

सबसिडी नही मिल रही है, हरिजनो को सबसिडी देने का कोई सवाल नही है। जिस किसान ने या हरिजन ने गन्ना मिल को सप्लाई किया है, उसको सबसिडी दी गयी है। गन्ना सप्लाई करने वालो को ही सबसिडी दी गयी है किसी दूसरे को नही। (व्यवधान व भाोर)

श्री भले रामः स्पीकर साहब, मेरा सवाल भाायद मुख्य मंत्री महोदय समझ नही पाये। मैंने यह कहा है कि किसानों को जो सबसिडी दी गयी है उनमे हरिजनों का भी पांचवां हिस्सा है क्योंकि वे भी उसके सीरी होते है। क्या सरकार उनको सबसिडी का पांचवा हिस्सा दिलाने का कश्ट करेगी ?

श्री अध्यक्षः यह कोई सवाल नही है।

चौधरी भजन लालः भाई भले राम जी ने जो यह बात की है कि किसानो के साथ हरिजन भाई भी सीरी होते है, वे पांचवें हिस्से के सांझीदार होते है। किसी भी गन्ना मिल वाले को उनके नाम का पता नही होता। गन्ना तो मालिक के नाम से जायेगा। मैं भले राम जी से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर किसी हरिजन के साथ कोई ज्यादती हुई है तो वे सरकार के नोटिस मे लाये, सरकार उनकी पूरी मदद करेगी।

श्री अध्यक्षः गन्ना जिसके नाम से मिल मे जायेगा, वह ही तो सबसिडी का हकदार होगा। किसी को क्या पता है कि कहां

पर कितने सीरी है। इन डिटल्ज मे मेरे ख्याल मे गवर्नमैंट नही जा सकती है।

श्री मूल चंद जैन: अभी मुख्य मंत्री जी ने यहां पर यह कहा है कि चौधरी चरण सिंह ने उनको बुलाकर यह कहा कि उनको सबसिडी बन्द करनी पड़ेगी। चौधरी चरण सिंह जनवरी, 1979 मे फाइनांस मिनिस्टर बने है उनसे पहले श्री एच.एम. पटेल फाइनांस मिनिस्टर थे। उनकी तरफ से पहले यू.पी. सरकार को चिट्‌ठी गई थी कि वह भाूगर केन की सबसिडी बंद करे। उसकी नकल हमारे एक अधिकारी को दिखाई गई कि हरियाणा को भी ऐसी चिट्‌ठी भेजी जा रही है। इस आधार पर हरियाणा ने स्वयं 4—4—79 से यह सबसिडी बंद कर दी। इन्होंने यह कहा कि चौधरी चरण सिंह ने बुलाकर इन्हें (मुख्य मंत्री को) कहा, यह सिर्फ चौधरी चरण सिंह को बदनाम करने के लिये कहा है। (व्यवधान एवं भाोर)

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने बकायदा (ाोर) आपने सवाल पूछा है तो जवाब भी सुनिये। स्पीकर साहब, मैं अता रहा था कि भारत सरकार ने एक मीटिंग बुलाई थी और खासतौर से हमें कहा कि जनवरी के बाद सबसिडी नही देनी है। उस वक्त चौधरी चरण सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। मजबूर होकर मार्च के बाद हमें सबसिडी देनी बंद करनी पड़ी (ाोर)। हमने मार्च तक सबसिडी दी है।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, रिकार्ड पर कोई चीज नही है। प्रधान मंत्री जी चर्चा हाउस मे करना कोई भाोभा की बात नही है। जो आदमी इतने बड़े पद पर होता है उसकी हम्मेदारी बनती है कि कोई गल्त बात न कहे। प्रधान मंत्री के खिलाफ हरियाणा असैम्बली मे इस किस्म के रिमार्क्स देना गल्त बात है। (ाोर)

चौधरी भजन लालः जो कुछ मैंने कहा हे वह बिल्कुल ठीक कहा है। (ाोर)

चौधरी सतबीर सिंह मलिकः स्पीकर साहब, * * * * * * * * * * *

श्री अध्यक्षः मेरी इजाजत के बगैर जो कुछ बोला जा रहा है वह रिकार्ड न किया जाए।

I.A.S. Cadre Posts

***1318. Chaudhri Birinder Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of I.A.S cadre posts in the State;

(b) whether any I.A.S. officers are working against ex-cadre posts;

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to give promotion to H.C.S. Officers against the I.A.S. Cadre and ex-cadre post in hte State; and

(d) whether there has been increase in the number of ex-cadre I.A.S. posts after the information of Janta Party Government in the State; if so, the number thereof?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) हरियाणा के आई.ए.एस. काडर की कुल अधिकृत संख्या 147 है। इसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:–

(1)	राज्य सरकार के अधीन वरिश्ठ पद	65
(2)	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व	26
(3)	प्रतिनियुक्ति रिजर्व	32
(4)	अवका ा रिजर्व	3
(5)	कनिश्ठ पद	14
(6)	प्रि ाक्षण रिजर्व	7
	कुल	147

*चेयर के आदे ाानुसार रिकार्ड नही किया गया।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नही।

(घ) जी, नही। वास्तव मे काडर की कुल अधिकृत संख्या 148 से घट कर 147 हो गई है और इस प्रकार इसमे 1 पद की कमी हुई है।

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री महोदय ने आई.ए.एस. की टोटल स्ट्रेंथ 147 बताई है। क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इनमे एच.सी. प्रोमोटी कितने है ?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, यह कोटा भारत सरकार मुकरर्र करती है। पहले यह कोटा 25 परसेंट था, अब भारत सरकार ने 33 परसेंट कर दिया है और भारत सरकार ने जो कोटा मुकरर्र किया है, उसके मुताबिक सारे का सारा कोटा पूरा किया हुआ है।

श्री ाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नही आया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस 147 की स्ट्रेंथ मे एच.सी.एस. से जो प्रोमोट है उनकी तादाद कितनी है। मैं अपने सवाल को और कलेरिफाई कर देता हूं कि जैसे इसमे कैटेगरी नंबर तीन और चार मे लिखा है–'डेपुटे ान रिजर्व' और 'लीव रिजर्व'। इस समय का दोनों कैटेगरीज को निकाल कर जो स्ट्रेंथ बनती है उसके बेसिज पर एच.सी.एस.को कोटा दिया है जबकि

एच.सी.एस. का कोटा टोटल स्ट्रेंथ की बिना पर निर्धारित होना चाहिए ताकि उनको ज्यादा भोयर मिल सके।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा है कि यह सारे का सारा कोटा भारत सरकार मुकर्रर करती है और भारत सरकार के निर्दे ा के मुताबिक जितना कोटा मुकर्रर होना चाहिए उतना कोटा पूरा किया है। भारत सरकार ने 33 परसेंट तया किया हुआ है और 3 परसेंट मे जितना उनको हक बनता है, उनको हक पूरा दे दिया है।

राव बीरेन्द्र सिंहः क्या यह दुरूस्त है कि एच.सी.एस. का नौमीने ान और प्रोमो ान का जो कोटा हे उसमे कुछ बेकेन्सीज खाली पड़ी है और उनको भरने के लिये केस आपके पास एक साल या डेढ़ साल से पेन्डि पड़ा है ? उसमे देरी की क्या वजह है और इन खाली वकेन्सीज को कब तक भर लिया जायेगा।

चौधरी भजन लालः राव साहब ने जो कुछ कहा, वह दुरूस्त है। अब नई सरकार आई है और उन खाली वेकेन्सीज को भरा जा रहा है। इसके आदे ा आज या कल मे किये जा रहे है।

Draftsman/Tracers in P.W.D. (B&R)

***1324. Shri. Lehri Singh Mehra:** Will the Minister for Public Warks be pleased to state—

(a) the number of Draftsmen and Tracers at present working int he Public Works Department (Builing and Roads Branch) separately;

(b) the number of Draftsmen and Tracers, out of those mentioned in part (a) above belonging to Sheduled castes and whether their number conforms to the percentage of reservations made for them in the services; if not, the reasons therefor; and

(c) whether any Tracers were promoted as Draftsmen, out of those mentioned in art (a) above during the last two years; if so, their number together with the number out of them belonging to the Scheduled castes?

लोक कल्याण मंत्री (कंवर राम पाल सिंह): स्पीकर साहब,

(क) (I) लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़क भााखा) मे ड्राफटसमैन का कोई पद नही।

(II) इस समय 131 ट्रेसरज कार्य कर रहे है।

(ख) (I) ड्राफ्टसमैन– ाून्य।

(II) ट्रेसरज–18 (अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल एवं रोजगार कार्यालय के माध्यम ससमे उम्मीदवार ने मिलने के कारण यह संख्या आरक्षण की

निर्धारित प्रति ातता से मेल नही खाती)

(ग) प्र न ही उत्पन्न नही होगा।

श्री लहरी सिंह मेहराः मंत्री महोदय ने बताया है कि कुल 131 ट्रेसर्ज है और उनमे से 18 केवल हरिजन है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस कमी को दूर करने के लिये उन्होंने एस.एस.एस. बोर्ड को लिखा है कि हरिजनों की कमी को दूर करने के लिये और हरिजन भर्ती किये जायें ?

कंवर राम पाल सिंहः स्पीकर साहब, इस वक्त एस.एस.एस. बोर्ड है ही नही एम्पलाएयेंट एक्चेंज को लिखा गया था लेकिन वहां से 'न' हो रही है कि आदमी नही है।

श्री लहरी सिंह मेहराः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब एस.एस.एस. बोर्ड नही है तो ऐम्पलाएमेंट ऐक्सचेंज के थ्रू हरिजन केंडीडेट्स भर्ती किये जायेंगे ?

कंवर राम पाल सिंहः स्पीकर साहब, मैंने पहले ही कहा है कि ऐम्पलाएमेंट ऐक्सचेंज के थ्रू मांगे है, ज्यो ही वहां से आ जायेगे उनका कोटा पूरा कर दिया जायेगा।

चौधरी पीर चंदः स्पीकर साहब, हरिजनों के लिये जे कोटा मुकर्रर है सरकार को पूरा करने मे कोई हिचकिचाहट नही है लेकिन जब कैंडिडेट्स ही न हमले तो कोटा कैसे पूरा करे।

श्री भागी राम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत चौधरी लहरी सिंह और चौधरी पीर चंद से पूछना चाहता हूं कि जब ये भारत द र्शन पर थे तो इन्होंने वहां जाकर हरिजनों का कितना ध्यान रखा था (व्यवधान) ?

Mr. Speaker: Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नो के लिखित उत्तर

Shifting of Haryna Board of School Educaiton to Bhiwani

***1259. Shri. Surrender Singh:** Will the Minister for Educaiton be plesed to state—

(a) whether it is a fact that the headquarters of the Haryana Board of School Education was proposed tobe shifted to Bhiwani;

(b) if si, whether it is also a fact that the building to house the said Board was partly constructed and later on hte construction was stopped; and

(c) if so, the time by which the building referred to in pat (b) above is likely to be completed?

शिक्षा मंत्री (स्वामी अग्निवेश):–

(क) जी, हां,।

(ख) जुलाई, 1977 में सरकार ने निर्णय लिया था कि शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय चण्डीगढ़ में ही रखा जाये और भिवानी में निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया था।

(ग) विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय भिवानी बदल दिया जाये। निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा और इसे शीघ्र ही निर्माण कराने के बारे में कदम उठाए जायेंगे।

Ad-hoc Committee

***1276. Sh. Mool Chand Jain**: Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state –

(a) whether the Ad-hoc Committee constituted by the Haryana Government on 17-2-1979 to consider the Ashoka Mehta Committee Report on Panchayati Raj Institutions has finalised/submitted its interim or final report to the Government; if so, a copy thereof be laid on the Table of the House alongwith the action taken thereon; and

(b) the names of members and Chairman of the afore-said Committee be also laid on the Table of the House?

Development Minister (Rao Ram Narain):

(a) The Ad-hoc Committee did not submit any report to the Government, so the question of taking any action on the report does not arise.

(b) The names of the Chairman and members of the Ad-hoc Committee are as under:-

1	Sh. Bir Singh, the then Development Minister.	Chairman
2	Sh. Mool Chand Jain, the then Finance Minister.	Member
3	Sh. Bhajan Lal, the then Cooperation and Dairy Development Minister.	Member
4	Sh. Lachhman Singh, the then Public Works Minister	Member
5	Sh. Udey Singh, M.L.A.	Member
6	Sh. Rajinder Singh, M.L.A.	Member
7	Sh. Harphool Singh, M.L.A.	Member
8	Kanwar Ram Pal Singh, M.L.A.	Member
9	Sh. Khurshid Ahmed, M.L.A.	Member
10	Sh. Ram Kishan Fairagi, M.L.A.	Member
11	Sh. Rizaq Ram, M.L.A.	Member
12	Sh. Shamsher Singh, M.L.A.	Member

13	Sh. Shiv Ram, M.L.A.	Member
14	Secretary to Government Haryana, Development and Panchayats Department.	Member-Secretary

Digging work on Rangoi Drain

***1307. Ch. Peer Chand**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to refer to Unstarred Question No. 255 answered on the 16th March, 1979, and to state –

(a) whether the approval of the Flood Control Board for digging work on Rangoi Drain has been received; and

(b) if so, the time by which the digging work on the aforesaid drain is likely to be started?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौ. रिजक राम):

(क) नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) अनुसार निर्माण कार्य सूची के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।

Employment made in the Central Cooperative Bank

***1269. Rao Dalip Singh**: Will the Minister for Cooperation be pleased to state –

(a) the total number of persons employed in the Central Co-operative Bank, Mohindergarh during the last the

years together with their names, addresses and the year of appointment; and

(b) the total number of persons out of those referred to in part (a) above employed through Employment Exchanges in the State?

Cooperation and Planning Minister (Thakur Bir Singh):

(a) The information is laid on the Table of the House.

(b) 56 persons.

Mahendragarh Central Cooperative Bank Ltd., Mahendergarh.

Year	S. No.	Name of the Employee with the full address	Designation	Date of appoint-ment	Mode of recruitment		Appointing authority	Remarks
					Through advertisement	Through E/Exchange		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1970	1	Satvir Singh S/o Jage Ram V&PO. Imlota Distt. M/Garh Now Bhiwani	Supervisor	12-6-70	Yes		Administrator	
	2	Partap Singh S/o Kishan Ram Orika Distt. Jhunjhuna, Rajasthan.	Clerk	14-11-70		Yes	Administrator	
	3	Jagdev Singh S/o Sharwan	Clerk	10-12-		Yes	Administrator	

		Ram V & PO. Bharonda Khurd via Ishlampur, Distt. Jhunjhunu, Rajasthan		70				
	4	Birju Singh S/o Mata Din Singh, V. Khundroth, Teh. Bahroar Distt. Alwar, Rajasthan.	Clerk	10-12-70		Yes	Administrator	
	5	Vijai Singh S/o Khubi Ram V & PO. Dahina, Distt. M/Garh.	Peon	10-12-70		Yes	Administrator	

	6	Rama Nand S/o Budh Ram Vill. Jonawas, Distt. Mohindergarh	Peon	9-12-70		Yes	Administrator	
	7	Om Parkash S/o Madhoo Parshand V & PO. narnaul, Distt. M/Garh.	Peon	13-11-70		Yes	Administrator	
	8	Ajit Singh S/o Sheo Chand V & PO. Changror, Distt. M/Garh.	Clerk	10-12-70		Yes	Administrator	
	9	Daya Ra S/o Buta Ram	Clerk	15-12-		Yes	Administrator	

		V&PO. Berla, Distt. Bhiwani		70				
	10	Suraj Bhan S/o Gopi Ram, V & PO. M. Garh	Peon	9-12-70		Yes	Administrator	
	11	Jai Pal Singh S/o Sheo Chand, V. Gagarwas, Distt. Bhiwani	Clerk	10-12-70		Yes	Administrator	
1971	12	Attar Singh S/o Harnarain Ram, VPO. Gagrawas, Distt. Bhiwani	Field Inspector	7-8-71		Yes	Administrator	
	13	Sahi Ram S/o Ramji Lal, V & PO. Dakora	Field Inspector	10-8-71	Yes		Administrator	

		(M.Garh)						
	14	Mahender Singh S/o Pat Ram, V & PO. Nakhrola, Gurgaon	Field Inspector	7-12-71	Yes		Administrator	
	15	Phool Singh S/o Behari Lal, V. Mandha Distt. Alwar, Rajasthan.	Clerk	8-12-71	Promoted from the post of peon		Administrator	
	16	Norang Rai S/o Mani Ram, V. Daulat Pura, Hissar	Supervisor	15-12-71	Yes (Advert)		Administrator	
1972	17	Hoshiar Singh S/o Parbhati	Supervisor	1-1-72			Administrator	

		Lal, V & PO. Sishot D.M. Distt. Mohindergarh.						
	18	Pritam Singh S/o Dhan Singh, V. Pandwan, Mohindergarh.	Peon	1-1-72			Administrator	
	19	Rajinder Singh S/o Manphool Singh, V & Po. Chandeni, Distt. Bhiwani.	Supervisor	27-7-72		Yes	Administrator	
1974	20	Babu Lal S/o Nang Ram, V & PO. Kukshi,	Driver	18-5-74	Yes		Board of Directors	

		Mohindergarh.						
1976	21	Mushadi Lal S/o Mohar Singh, V. Gagarwas, Distt. Mohindergarh.	Clerk	7-4-76		Yes	Board of Directors	
	22	Azad Singh S/o Kartar Singh, V & PO. Barwala, Distt. Hissar	Clerk	7-4-76		Yes	Board of Directors	
	23	Puran Chand S/o Harchand Ram, VPO. Narnaul Distt. Mohindergarh	Clerk	7-4-76		Yes	Board of Directors	
	24	Pritam Singh S/o Tara	Clerk	7-4-76		Yes	Board of Directors	

		Chand, V. Bharph, Mohindergarh						
	25	Bijinder Singh S/o Karam Singh, V & PO. Bahu-Akbarpur, Distt. Rohtak	Clerk	7-4-76		Yes	Board of Directors	
	26	Lal Singh S/o Madho Singh, VPO. Duloth Ahir, Distt. Mohindergarh	Peon	7-4-76		Yes	Board of Directors	
	27	Mahender Singh S/o Ram Chand, VPO. Jhojhu Kalan, Distt.	Supervisor	17-7-76		Yes	Board of Directors	

		Bhiwani						
	28	Phool Chand S/o Nathu Ram, V. Azampur, P.O. Dharshu, Mohindergarh.	Peon	15-4-76		Yes	Board of Directors	
	29	Krishan Lal S/o Nathu Ram, V & PO. Dhani Kodinja, Distt. Mohindergarh	Peon	19-4-76		Yes	Board of Directors	
	30	Madan Lal S/o Mool Chand, V. Dhanoda, Distt.	Peon	28-4-76		Yes	Board of Directors	

		Mohidergarh.						
1977	31	Balwant Singh Mohalla Bass Mohindergarh.	Clerk	8-8-77			Service of all the three clerks for the Board of Directors & they have been treated as now clerks.	
	32	Dalip Singh Mohalla Koka Bangri Mohindergarh.	Clerk	8-8-77				
	33	Thana Ram V&PO. Nangal-Sreohi District Mohindergarh.	Clerk	8-8-77				
	34	Muthra Parshad S/o Mange La, V. Kuti-Bandi, Kui Distt. Jaipur	Peon	26-5-77			Managing Director	

		(Rajasthan)						
	35	Rajinder Singh S/o Sh. Khima Nand, VPO. Fazabad, Distt. Mohindergarh	Driver	11-11-77	Yes		Board of Directors	
	36	Ved Pal S/o Harphool Singh, V&PO. Mandola, Distt. Mohindergarh.	S.Typist	18-11-77	-do-		Board of Directors	
1979	37	Dharam Pal C/o DFO Mohindergarh (belongs to Sonepat Distt.)	Jr. Acctt.	2-6-79	-do-	-do-	Selected by the Selection Committee constituted by RCS Haryana & appointment	

							approved by the Administrator of the Bank Vide item No. 6 dated 2-8-79.	
	38	Basant Lal S/o Dass Ram Faridabad (Faridabad)	Jr. Acctt.	2-6-79	-do-		-do-	
	39	Inder Singh S/o Gopi Ram V. Salimgarh (Hissar)	Jr. Acctt.	9-6-79	-do-		-do-	
	40	Jagdish Parshad S/o Krishan Lal Mohalla Frashkhana	Jr. Acctt.	9-6-79	-do-		-do-	

		Narnaul Mohindergarh						
	41	Balwant Singh S/o Pokar Ram V & PO. Gorkhpur, Distt. Hissar	Jr. Acctt.	12-6-79	-do-		-do-	
	42	Davinder Singh S/o Jagmal Singh V&PO. Duloth, Distt. Mohindergarh	Clerk	5-6-79	-do-		-do-	
	43	Suresh Kumar S/o Munshi Ram, Nai Basti Meham Road, Bhiwani.	Clerk	6-6-79	-do-		-do-	

	44	Murti Ram S/o Amar Singh, VPO. Mangali Kalan, Distt. Hissar.	Clerk	8-6-79	Through advertisement		-do-	
	45	Raja Ram S/o Bahal Singh, VPO. Sadalpur (Hissar)	Clerk	9-6-79	-do-		-do-	
	46	Mahavir Singh S/o Sahaj Ram, V. Nathuwas, PO. Palawas, Bhiwani.	Clerk	11-6-79	-do-		-do-	
	47	Sultan Singh S/o Kheta Ram, VPO.	Clerk	11-6-79	-do-		-do-	

		Sadalpur, Distt. Hissar						
	48	Sant Lal S/oSahi Ram, Vill. P.O. Sadulpur, Distt. Hissar.	Clerk	11-6-79	-do-		-do-	
	49	Subhash Chand S/o Jogi Ram Near Goel Kothi Hansi, Distt. Hissar.	Clerk	12-6-79	-do-		Selected by the Selection Committee constituted by RCS Haryana & appointment approved by the Administrator Vide item No. 6 dated 2-8-79	

	50	Shiv Narain S/o Jee Ram V. Bhana P.O. Sarangpur, Distt. Hisar	Clerk	12-6-79	-do-		-do-	
	51	Rohitas S/o Hira Lal C/o Sh. Shamsher Singh Sr. Accountant C.B. Gurgaon	Peon	13-8-79	-do-		-do-	
	52	Sh. Krishan S/o Shivchand Dass Bhairoon Chowak Rewari Mohindergarh.	Peon	16-8-79	-do-		-do-	

	53	Suman Kant S/o Narain Dass Mohalla Misharwara Narnaul Mohindergarh.	Peon	17-8-79	-do-		-do-	
	54	Ram Kumar S/o Sodi Ram V & PO. Surjanwas, Mohindergarh.	Gun-man	16-8-79	-do-		-do-	
	55	Kartar Singh S/o Rati Ram V&PO. Ghiraothi, Rohtak.	Gun-man	12-6-79	-do-		-do-	
	56	Chuni Lal S/o Sh. Kanshi Ram V&PO. Nihalawas,	Gun-man	17-8-79	-do-		-do-	

		Mohindergarh.						
1974	57	Murari Lal S/o Tota Ram, V. Niwaz Distt. Mohindergarh	Mini Bank Manager	4-1-74	Screening out of existing Secs. of C/S	-do-	Administrative Committee	
	58	Budh Ram S/o Ram Nath, V. Kanti Distt. Mohindergarh	Mini Bank Manager	4-1-74	-do-		-do-	
	59	Ram Singh S/o Phoosa Ram V. Mohanpur, Mohindergarh	Mini Bank Manager	4-1-74	-do-		-do-	
	60	Jagmal Singh S/o Mool Chand, V.	Mini Bank Manager	4-1-74	-do-		-do-	

		Sihma, Mohindergarh						
	61	Lila Ram S/o Parbhu Dayal, V. Turkiyawas, Mohindergarh	Mini Bank Manager	4-1-74	-do-		-do-	
	62	Dharam Pal S/o Siri Ram V. Turkiyawas, Mohindergarh	Mini Bank Manager	4-1-74	-do-		-do-	
	63	Chiranji Lal S/o Parbhu Dayal, V. Napla, Mohindergarh	Mini Bank Manager	4-1-74	-do-		-do-	
	64	Sheo Karan S/o Jai	Mini Bank Manager	4-1-74	-do-		-do-	

		Narain V. Rambass, Mohindergarh						
	65	Maru Ram S/o Chandu Ram, V. Subhash Nagar, Mohindergarh	Mini Bank Manager	4-1-74	-do-		-do-	
	66	Hardyal S/o Sh. Rambilash V. Nasibpur, Mohindergarh	Mini Bank Manager	4-1-74	-do-		-do-	
	67	Jai Singh S/o Mukh Ram, V. Mudain, Mohindergarh	Mini Bank Manager	4-1-74	-do-		-do-	
	68	Ram Pat S/o Bishamber	Mini Bank Manager	4-1-74	-do-		-do-	

		Dayal, V. Karira, Mohindergarh						
	69	Bhagwan Singh S/o Assa Ram Dongar, Mohindergarh	Mini Bank Manager	4-1-74	-do-		-do-	
	70	Daya Ram S/o Durga Ram, V. Bawal, Mohindergarh	Mini Bank Manager	4-1-74	-do-		-do-	
	71	Sheo Dutt S/o Mangtu Ram, V. Nangal, Mohindergarh	Mini Bank Manager	4-1-74	-do-		-do-	
	72	Dharam Pal S/o Ramdayal, V.	Mini Bank Manager	4-1-74	-do-		-do-	

		Mohindergarh						
	73	Ram Niwan S/o Umrao, V. Balacha, Mohindergarh	Mini Bank Manager	4-1-74	-do-		-do-	
	74	Mahabir Singh S/o Ganpat, V. Nimbhera, Mohindergarh	Mini Bank Manager	4-1-74	-do-		-do-	
	75	Amar Chand S/o Rameshwar Dayal V. Narnaul Mohindergarh	Mini Bank Manager	4-1-74	Screening out of existing secs. of C/S.		Administrative Committee	
	76	Ghisa Ram S/o Ganga Sahai, V.	-do-	-do-	-do-		-do-	

		Mokhuta Azambad, Mohindergarh						
	77	Jagmal Singh S/o Kura Ram, V. Hasanpur, Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	78	Amar Singh S/o Indraj V. Balaha Kalan, Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	79	Siri Ram S/o Ganpat, V. Koriawas, Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	80	Jaswant Singh S/o Harnarain V.	-do-	-do-	-do-		-do-	

		Khor, Mohindergarh						
	81	Pushkar Dutt S/o Ganpat, V. Pali, Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	82	Budh Ram S/o Babar Singh, V. Duloth Ahir, Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	83	Hari Singh S/o Harnarain, V. Mandhana, Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	84	Raghubir Singh S/o Bahadur, V.	-do-	-do-	-do-		-do-	

		Kariara, Mohindergarh						
	85	Net Ram S/o Jawahara, V. Kalba, Distt. Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	86	Chhaju Ram S/o Sadhu Ram, V. Goad, Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	87	Hawa Singh S/o Hem Raj, V. Dalanwas, Distt. Bhiwani	-do-	-do-	-do-		-do-	
	88	Ram Chander S/o Hari Ram V & PO. Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	

	89	Mahender Kumar S/o Shiv Kumar, Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	90	Ram Chander S/o Kundan Lal, V. Duloth Ahir, Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	91	Siri Chand S/o Mam Chand, V. Jatwas, Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	92	Narender Kumar S/o Raghunath Singh V. Shamnagar,	-do-	-do-	-do-		-do-	

		Distt, Rohtak.						
	93	Desh Raj S/o Gopal V. Jaswas Distt. Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	94	Om Parkash S/o Dat Ram Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	95	Amar Singh S/o Ram Chand, V. Distt. Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	96	Attar Singh S/o Sheotaj Singh V. Sigra Distt. Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	

	97	Rajinder Singh S/o Chaman Lal, Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	98	Rotas Singh S/o Sh. Chaman Ram Mohala, Khanpur, Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	99	Suresh Kumar S/o Sher Singh, V. Rattan Kalan, Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	100	Jagdish Parshad S/o Banwari Lal, V. Paiga,	-do-	-do-	-do-		-do-	

		Mohindergarh.						
	101	Ram Niwas S/o Balbir Singh, V. Panhihar Palri, Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	102	Hira Singh S/o Puran Chand, V. Bhalkhi, Mohindergarh	Mini Bank Manager	4-1-74	Screening out of existing Secs. of C/S.		Administrative Committee	
	103	Om Parkash S/o Ramji Lal, Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	104	Ram Nand S/o Tiru Ram Pali District Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	

	105	Babu Lal S/o Mangtu Ram V. Kothal Khurd, Mohindergarh	-do-	22-8-74	Advt.		-do-	
	106	Kanwar Singh S/o RamKumar, V. Budin, Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
1976	107	Ishwar Singh S/o Ram Dutt, V. Mandola, Distt. Mohindergarh	-do-	5-3-76	E/Exchange		-do-	
	108	Ram Phal S/o Shish Ram V. Chhitroli,	-do-	-do-	-do-		-do-	

		Mohindergarh						
	109	Dinesh Kumar S/o Ram Kishan, V&PO. Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	110	Dip Chand S/o Sampat, Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	111	Baldev Singh S/o Hari Chand, Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	112	Sohan Lal S/o Hazari Lal, Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	113	Bachan Singh S/o Hardyal, V. Paiga,	-do-	-do-	-do-		-do-	

		Mohindergarh						
	114	Sher Singh S/o Ghisa Ram, V. Riwasa, Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	115	Vir Bhan S/o Ram Dutt. Distt. Rohtak	-do-	-do-	-do-		-do-	
	116	Jyoti Sarup S/o Hans Raj, Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	117	Sita Ram S/o Man Singh V. Patikara, Distt. Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	118	Dalip Singh S/o Balbir	-do-	-do-	-do-		-do-	

		Singh V. Dongar Ahier, Mohindergarh						
	119	Raj Pal S/o Ldhu Ram V. Pali Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	120	Deep Chand S/o Balwant Singh V. Fazabad, Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	121	Krishan Kumar S/o Jorawar Singh. V. Fazabad, Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	122	Siri Chand	-do-	-do-	-do-		-do-	

		S/o Shiv Naryan, Silarpu, Mohindergarh						
	123	Balbir Singh S/o Mool Chand, V. Sohali, Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	124	Ram Niwas S/o Sultan Singh, V. Nangal Dargu, Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	125	Satya Pal S/o Jot Ram, V. Lukhi, Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	126	Jorawar Singh	-do-	-do-	-do-		-do-	

		S/o Brij Lal V. Nihawas, Mohindergarh						
	127	Net Ram S/o Mangal Singh, District Sirsa	-do-	-do-	-do-		-do-	
	128	Gurdial Singh S/o Sunda Ram, V. Mundia Khera, Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	129	Om Parkash S/o Laxman Singh, V. Rasul Pur, Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	130	Jagmal Singh S/o Mukh	-do-	-do-	-do-		-do-	

		Ram, V. Pali District Mohindergarh						
	131	Karan Singh S/o Jai Narain, V. Buthwal, District Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	132	Ramji Lal S/o Chander Bhan, V. Janjriawas, Mohindergarh	Mini Bank Manager	5-3-76	E/Exchange		Administrative Committee	
	133	Mahender Singh S/o Gokal Chand Village Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	

	134	Hanuman Singh S/o Basti, V. Mundia Khera, Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	135	Gayan Singh S/o Sohan Lal, V. Banhari, Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	136	Bishamber Dayal S/o Norotam Singh V. Kharri, Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	137	Rattan Singh S/o Richhapl Singh,	-do-	-do-	-do-		-do-	

		Mohindergarh						
	138	Rameshwar Dayal S/o Tota Ram, V. Partal, Mohindergarh	-do-	-do-	-do-		-do-	
	139	Sher Chand S/o Net Ram, Mohalla Peeraga Narnual, Mohindergarh	-do-	30-5-77	-do-		-do-	
	140	Ram Kumar S/o Total Ram, Mohalla Peeraga Narnual, Mohindergarh	-do-	2-6-77	-do-		-do-	
	141	Subash	-do-	25-8-77	Direct		-do-	

		Chander S/o Gulab Rai, V. Khori, Mohindergarh						
	142	Ram Pat S/o Gabdu Ram V. Bochariya, Mohindergarh	-do-	24-1-77	-do-		Board of Directors	
	143	Ram Singh S/o Taj Raj, V. Mohanpur, Mohindergarh	-do-	7-11-77	-do-		-do-	
	144	Ram Niwas S/o Ram Awtar, Vill. Dhani Bhathoteh Mohindergarh	-do-	19-11-77	-do-		-do-	
	145	Rama Nand	-do-		-do-		-do-	

		S/o Hukam Chand, V. Mirra Pur, Mohindergarh						
	146	Sawai Singh S/o Udmi Ram, V. Pawera, Mohindergarh	-do-	19-4-78	-do-		-do-	
	147	Laxmi Narain S/o Suraj Bhan, V. Darohi, Mohindergarh	-do-	4-1-78	-do-		-do-	
	148	Singh Ram S/o Sanwal Ram, V. Madhogarh, District	-do-	10-1-78	-do-		-do-	

		Bhiwani.						

Construction of Studs and Spurs

***1315. Ch. Des Raj**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) whether any studs and spurs were required to be constructed anew or renovated along river Januna from village Changama to Deenpur; and

(b) if so, the number thereof together with the number of those which were actually constructed or renovated during the period from August, 1978 to July, 1979?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौ. रिजक राम):

(क) हां।

(ख) 39 स्टड्स व स्पर्ज के निर्माण एवं नवीकरण की प्रस्तावना ळै। 14 नए को निर्माण तथा 6 का नवीकरण किया जा चुका है।

Fertilizer Plant, Panipat

***1319. Ch. Birinder Singh**: Will the Minister for Agriculture be pleased to state –

(a) whether any amount has been received by the State Government from the Government of India for the erection of the Fertilizer Plant at Panipat during the years 1976-77 to 1978-79; if so, the details thereof;

(b) whether the Fertilizer Plant referred to in part (a) above, started production; if so, the quantity of fertilizer

being produced daily together-with the installed production capacity of the Plant and the time by which full production capacity of the plant is likely to be achieved; and

(c) whether Haryana State will get priority in the allocation of fertilizer produced in the aforesaid Plant?

कृशि मंत्री (सरदार तारा सिंह):

(क) नहीं, पानीपत खाद का कारखाना पूर्णतया भारत सरकार का उपक्रम है।

(ख) कारखाना 16 मई, 1979 से परीक्षण उत्पादन के अन्तर्गत है। इन्सटालड उत्पादन क्षमता के बारे और इस बारे कि कितने समय में कारखाने को पूर्ण उत्पादन क्षमता उपलब्ध हो जायेगी, सूचना भारत सरकार से मांगी गई है और जब भी प्राप्त हो जाएगी दे दी जाएगी।

(ग) एलोकेशन पूर्ववत आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा की जाएगी, किन्तु हरियाणा को अपनी आवश्यकता का अधिकांश भाग इस कारखाने से प्राप्त हो जाने की आशा है।

Appointment of General Managers

***1325. Sh. Lehari Singh Mehra**: Will the Minister for Cooperation be pleased to state –

(a) whether any applications were invited by the Haryana Co-operative Consumers Federation for the posts of

General Managers in the month of July 1979; if so, the details of the qualifications prescribed in respect thereof;

(b) whether the candidates, if any selected for the posts referred to in part (a) above, fulfilled the prescribed qualifications;

(c) if not, whether the qualification were available and, if so, why such candidates were ignored; and

(d) whether the Government proposes to do justice with the candidates who fulfilled the prescribed qualifications?

Cooperation and Planning Minister (Thakur Bir Singh):

(a) Yes. The details of the qualifications prescribed are as under:-

(i) The applicant must be a second class Graduate in Arts/Science/Commerce form a recognised University. Preference will be given to candidates with higher qualifications.

(ii) Five years experience in any commercial organisation in the similar capacity.

(b) All the selected candidates except those belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes fulfilled the minimum educational qualifications of second class Graduate/post Graduate in Arts/Science/Commerce. However, they lacked the requisite experience of 5 years in similar capacity but they were otherwise found suitable on merit.

(c) The selection was made on merit and no injustice was done to any body.

Matching Grants for Rural Areas

***1225. Sh. Shamsher Singh**: Will the Chief Minister for be pleased to state –

(a) whether the Chief Minister has announced the policy of giving matching grants for any public purpose in the rural areas of the State;

(b) if so, the total amount spent by the Government on such grants during the year 1978-79 and from 1st April, 1979 to-date, togetherwith the amount given in each case alongwith its purpose; and

(c) whether it is in the notice of the Government that the amount stated to have been raised by the people of village Muana of Safidon Constituency was wrongly shown and thereby a matching grant of Rs. 25000/- was obtained under the policy referred to in part (c) above?

Development Minister (Rao Ram Narain):

(a) Yes. The policy of giving matching grants was announced by the Government in the Budget Speech for he year 1979-80. In pursuance of the announcement, Haryana Matching Grants for Development Work Rules, 1979, have been framed and circulated to the field officers.

(b) No amount was spent on this scheme during the year 1978-79. During the current year viz. 1979-80, intimation of announcing voluntary contribution totaling Rs.

16130705/- has been received so far from various districts but a sum of Rs. 4011419/- has actually been deposited in Post-offices and Treasuries upto 15th August, 1979 as required under rules, against this matching grant of Rs. 50 lacs has been released as per district-wise details given below:-

Sr. No.	Name of the District	Amount allocated
1	Ambala	20000
2	Bhiwani	1015000
3	Gurgaon	95000
4	Karnal	25000
5	Kurukshetra	5000
6	Jind	420000
7	Hissar	400000
8	Rohtak	700000
9	Sonepat	1200000
10	Sirsa	1100000
11	Narnual	20000
	Total Rs.:	5000000

The Balance amount of matching grant will be released shortly. the Scheme is a continuing one and as and when voluntary contributions are made by the people, matching grants will be released by the Government in accordance with the Rules.

(c) At the time of the visit of the Chief Minister to village Muana, the villagers presented an amount of Rs. 21000/- for development works in their village. The then Chief Minister announced a matching grant of Rs. 21000/-. The amount of voluntary contributions has been deposited in the Post Office, Safidon in the Joint account of Executive Officer, Panchayat Samiti, Safidon and Sarpanch Gram Panchayat, Muana. Matching grant of Rs. 21000/- has already been sanctioned by the Government.

Shifting of site of M.D. University, Rohtak

***1217. Ch. Har Swarup Bura**: Will the Minister for Education be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government of shift the present site of M.D. University, Rohtak; and

(b) if so, the details of the site so selected now and the steps so far taken in this behalf togetherwith the amount allocated for the purpose?

शिक्षा मंत्री (स्वामी अग्निवेश):

(क) हां।

(ख) रोहतक–गोहाना रोड पर एक स्थान पर चुनाव किया गया है। 860 एकड़, 7 कनाल, 15 मरले भूमि अभिग्रहण की जा चुकी है और इस उदेश्य के लिये 93 लाख रूपए ऐलोकेट किए गए हैं।

Octroi Duty

***1231. Sh. Mange Ram Gupta**: Will the Minister for Local Government be pleased to state –

(a) whether it is a fact that octroi duty is charged at the rate of Rs. 5.60 per quintal from those farmers who bring their Fenugreech (Methi) for selling in Jind Mandi;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative the reason for charging this duty at this excessive rate from the farmers; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to abolish or to reduce this octroi duty?

स्थानीय शासन मंत्री (चौ. खुरशीद अहमद):

(ए) हां।

(बी) चुंगी कर की दर अधिक नहीं है और यह 1961 से लागू है जबकि अम्तिम आक्ट्राय शिडयूल लागू हुआ था।

(सी) नहीं। इस समय सरकार के विचाराधीन इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Construction of Metalled Roads

***1237. Ch. Jagjit Sing Pohloo**: Will the Minister for Public Works be pleased to state the district-wise total kilometers of metalled roads constructed after the formation of Janata Party Government in the state upto 31st May, 1979?

Public Works Minister (Kanwar Ram Pal Singh): A statement is placed on the Table of the House.

Statement

Statement showing district-wise total kilometers of metalled roads constructed after the formation of Janata Government upto 31-5-79.

Sr. No.	Name of District	Length in Kms. Metalled from 1-6-77 to 31-5-79
1	Ambala	116
2	Bhiwani	76
3	Gurgaon	107
4	Karnal	141
5	Kurukshetra	55

6	Jind	80
7	Hissar	131
8	Rohtak	74
9	Sonepat	29
10	Sirsa	49
11	Narnual	210
	Total Rs.:	1068

Medical Re-imbursement claimed by the Ministers

***1241. Swami Adityavesh**: Will the Chief Minister be pleased to state the details of medical re-imbursement claimed by each Minister during the period from 4th July, 1977 to 15th June, 1979?

Chief Minister (Ch. Bhajan Lal): A statement (Annexure 'A') containing the requisite information is laid on the Table of the House.

Annexure 'A'

Statement showing the total expenditure on medical re-imbursement charges in respect of Chief Minister and other Minister during the period 4-7-77 to 15-6-79.

Sr. No.	Name	Amount
1	Sh. Devi Lal	47.00
2	Sh. Ran Singh	272.69
3	Sh. Verender Singh	1461.67
4	Sh. Mool Chand Jain	450.00
5	Sh. Hira Nand Arya	341.75
6	Sh. Satbir Singh Malik	174.93
7	Sh. Ram Singh	185.81
8	Sh. Tara Singh	97.90
9	Sh. Mangal Sein	207.65
10	Sh. Sher Singh	759.67
11	Sh. Gajraj Bahadur Nagar	4936.38

Note:- No other Minister claimed medical reimbursement during the period in question.

Railway Line for Jhajjar

***1335. Captain Mange Ram**: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to approach the Union Government for providing rail line to Jhajjar Town in Rohtak district; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be implemented?

Public Works Minister (Kanwar Ram Pal Singh):

(a) No.

(b) Question does not arise.

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Rural Artisan Centres and Industrial Training Institute, Mohindergarh

293. Rao Dalip Singh: Will the Minister for Industries be pleased to state –

(a) the district-wise number of Rural Artisan Training Centres & Industrial Training Institutions in the State;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government, to start Tractor Mechanic Trade in Rural Artisan Training Centre and Industrial Training Institution Mohindergarh; and

(c) whether there is also a proposal under consideration of the Government to start production wing in Rural Artisan Training Centre, Mohindergarh?

Industries Minister (Dr. Manbal Sein):

(a) District-wise break-up of the Rural Artisan Training Centres and the Industrial Training Institutions in the State is given below:-

District	No. of Rural Artisan Training Centres	No. of Industrial Training Institutions
Ambala		2
Karnal		2
Kurukshetra	1	1
Sonepat		2
Rohtak		2
Faridabad		2
Gurgaon	1	1
Mohindergarh	1	2
Hissar	1	1

Sirsa		2
Jind	1	1
Bhiwani		1

Note:-(a) The guest classes of I.T.I., Hissar are functioning at Tohana and that of I.T.I., Narnaul at Rewari.

(b) There is no proposal to start Tractor Mech. Trade at Rural Astisan Training Centre, Mohindergarh. However, a proposal to start Tractor Mechanic Trade at I.T.I. Mohindergarh is under consideration.

(c) No.

Drought Prone Area Programme Agency District Mohindergar

294. Rao Dalip Singh: Will the Minister for Revenue be pleased to state –

(a) the total amount spent on the Drought Prone Area Programme Agency District Mohindergarh at Narnaul in the eyar 1975-76, 1977-78 and 1978-79;

(b) the total number of vehicles owned and used by the Agency referred to in part (a) above togetherwith the total amount spent for the purchase and maintaenance of the vehicles during the year 1975-76 and 1978-79;

(c) the total number of employees recruited by the above said Agency during the years 1975-76 and 1978-79

together with the number out of those recruited from District Mohindergasrh;

(d) the scheme-wise total number of persons who received subsidies and grants during the years 1975-76 and 1978-79;

(e) the number of cases, if any, detected where the amount of subsidies and grants have been mis-utilised; and

(f) the total amount of rent paid for the office building togetherwith the amount of expenditure incurred on the pay and allowances of the staff employed by the above said Agency during the year 1975-76 and 1978-79, separately?

Agriculture Minister (Sardar Tara Singh):

(a)	Total amount spent year-wise is as under:-						
							(Rs. in lacs)
			1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	**Total**
			3.320	52.766	117.390	198.600	372.076
(b)	1.	Total No. of vehicles owned and used		9	2	2	13
	2.	Cost of vehicles purchased		451225	102457	120536	674218
	3.	Maintenance chages		2515	26244	36846	65605

(c)	1.	Total No. of employees recruited by Agency	6	82	79	52	219
	2.	Total No. of employees who belong to Mohindergarh District out of (a) above	6	77	70	49	202
(d)	Name of Scheme No. of persons to whom subsidy and grants released						
		Name of Scheme	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	**Total**
	(i)	Milch Cattle		297	2061	1975	4333
	(ii)	Camel & Camel carts				527	527
	(iii)	Blasting of Wells & Drilling		16	20	92	128
	(iv)	Agriculture Implements				506	506
	(v)	Land Levelling		35	206	214	455
	(vi)	Wells/T.Wells/Pump sets	1	144	249	291	685
	(vii)	Underground Pipelines		11	115	259	385

	(viii)	Heifer subsidy				16	16
	(ix)	Poultry Units				10	10
	(x)	Supply of Sheep Units		68	190	344	602
	(xi)	Demonstration Plots	677	650	868	3166	5361
	(xii)	Demonstration Centres	24	18	18	18	78
		Total	702	1239	3727	7418	13086
(e)	Nil.						
			Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
(f)	(i)	Rent paid for office building		5643	8301	13527	27471
	(ii)	Exp. on pay & allowances of the staff employed by the Agency	25330	384653	1040738	1321890	2772611

Recruitment in Cooperative Banks in the State

295. Rao Dalip Singh: Will the Minister for Co-operation be pleased to state –

(a) the total number of persons recruited in the State Co-operative Bank and Central Co-operative Banks in

the State during the last ten years alongwith their names and addresses; and

(b) the total number of persons out of those referred to in part (a) above recruited through Employment Exchanges, percentage thereof; and

(c) the district-wise percentage of recruited persons as referred to in part (a) above?

Co-operation and Planning Minister (Thakur Bir Singh):

(a) (i) 3798 persons. District-wise break-up of total number of persons recruited is given in the Statement.

(ii) The information regarding names and addresses of the persons recruited during the last ten years is a voluminous one and, therefore, the time and labour involved will not be commensurate with the likely purpose of this information.

(b) 956 persons, 25.17 percent

(c) The District-wise percentage is as under:-

Name of the Distt.	Percentage
Ambala	12.27
Kurukshetra	7.27

Karnal	9.43
Sonepat	5.69
Rohtak	7.85
Jind	7.68
Sirsa	5.85
Hissar	17.54
Bhiwani	8.43
Mohindergarh	6.20
Gurgaon	9.74
Places other than the State	2.13

Statement

Districtwise Break-up of total Number of Persons recruited during the Last Ten Years in the State/Central Cooperative Banks

S. No.	Name of District	Total number of persons recruited		
		Through Employment	Through other	Total

		Exchange	source	
1	2	3	4	5
1	Ambala	207	277	484
2	Kurukshetra	44	289	333
3	Karnal	33	296	329
4	Sonepat		222	222
5	Rohtak	116	146	262
6	Jind	164	116	280
7	Hissar	74	506	580
8	Sirsa	72	158	230
9	Gurgaon	36	362	398
10	Mohindergarh	90	187	277
11	Bhiwani	85	189	274
	State Co-operative Bank Ltd., Chandigarh	35	9494	129
	Total	956	2842	3798

Recruitment in the State Land Development Bank and Primary Land Development Banks

296. Rao Dalip Singh: Will the Minister for Co-operation be pleased to state –

(a) the total number of persons recruited in the State Land Development Bank and the Primary Land Development Banks in the State during the land ten years and their names and addresses alongwith district-wise percentage thereof; and

(b) the total number of persons out of those referred to in part (a) above recruited through Employment Exchanges in the State?

Co-operation and Planning Minister (Thakur Bir Singh):

(a) (i) 622 persons.

(ii) The information regarding names and addresses of the persons recruited during the last 10 years is voluminous one and the time and labour involved will not be commensurate with the likely purpose to be served by such information.

(iii) The distritwise percentage is as under:-

S. No.	Name of District	No. of employees recruited	Percentage
1	Ambala	45	7.2%

2	Karnal	35	5.6%
3	Kurukshetra	47	7.5%
4	Sonepat	39	6.3%
5	Rohtak	68	10.9%
6	Bhiwani	64	10.3%
7	Gurgaon	35	5.6%
8	Mohindergarh	38	6.1%
9	Jind	35	5.6%
10	Hissar	142	22.8%
11	Sirsa	18	2.9%
12	Other States	56	9%
	(b) 4 persons.		

हरियाणा पुलिस द्वारा सदन के एम.एल.एज. का अभिकथित निश्कासन तथा विधान सभा अमले के विरूद्ध हिंसा

श्री कंवल सिंहः स्पीकर साहब, कल यहां बारह हरियाणा पुलिस की गाड़ियां कुछ गुण्डों को लेकर आई और उन्होंने एम. एल.एज. के साथ बदसलूकी की, ज्यादती की और उनकी बेइज्जती की (शोर) स्पीकर साहब, मेरे एक साथी के पास उन गाड़ियों के

नम्बर प्लेट्स भी मौजूद हैं। (इस समय एक सदस्य गाड़ियों की नम्बर प्लेट्स श्री अध्यक्ष को देने गए।)

कुछ आवाजें: स्पीकर साहब आप इस बात की पूरी इंक्वायरी करवाये (शोर) तब आपको सारी असलियत का पता चल जाएगा।

चौ. सतबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, यह बड़े अफसोस की बात है। इसके लिए चीफ मिनिस्टर को * आनी चाहिए और हाउस के सामने उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वे यहां पर एम.एल.एज. को मरवाने की, पिटवने की बात करते हैं (शोर

*Expunged as ordered by the Chair.

एवं व्यवधान) चीफ मिनिस्टर ने हाउस की डिगनिटी के खिलाफ बात की है। ये कितने मैन है * * * *(शोर) स्पीकर साहब, इस बात की इन्क्वायरह होनी चाहिए कि पुलिस की गाड़ियां कहां से मंगवाई गई और किस लिये मंगवाई गई ताकि सारी सच्चाई सामने आ सके।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, सी.बी.आई. वालों से इस बात की इंक्वायरी करवाई जाएं

चौ. सतवीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, हम यहां पर बंसी लाल जैसी बातें नहीं होने देंगे। (शोर)

एक आवाज: यह बंसी लाल जैसी बात करता है (शोर)

परिवहन मंत्री (श्री जगत नाथ)ः स्पीकर साहब, इनको यह समझाया जाए कि ये जरा * * * * से बात करें। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. हुक्म सिंहः स्पीकर साहब, इस तरह से पुलिस ने एम.एल.एज. के साथ ज्यादती की है और फिर हमें उसके विरूद्ध आवाज भी नहीं उठाने दी जाती। ऐसी ज्यादतियां तो अंग्रेजों के वक्त में भी नहीं होती थी। स्पीकर साहब, लोगों को घसीअ घसीट कर मारा गया है। इसमें सरकार का पूरा पूरा हाथ है (शोर) सरकार ने यहां पर अपने आदमी बुलाये हुए हैं। (शोर)

उद्योग मंत्री (डा. मंगल सैन)ः स्पीकर साहब, मैं आपकी परमिशन से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई मैम्बर यह कहता है कि उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो आप इस हाउस के प्रिजाइटिंग अफसर होने के नाते स्वयं निर्णय ले सकते हैं सरकार का इससे कोई ताल्लुक नहीं है और न ही सरकार का कोई आदमी इससे सम्बन्धित है। सरकार कोई आदमी यहां भेज नहीं सकती। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. सतवीर सिंह मलिकः स्पीकर साहब, हरियाणा गवर्नमेंट के आर्मड पुलिस के आदमी थे। फिर ये कहते हैं कि इनका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है अभी भी कई आदमी यहां पर हैं।

श्री अध्यक्षः साहेबान, कल हाउस में चार मैम्बर सस्पैण्ड हुए थे और हाउस एडजर्न होने के बाद उनमें से तीन और एक अन्य सदस्य बगैर किसी इजाजत के, बगैर किसी कानून के हाउस के अन्दर बैठे रहे। हमारे सचिवालय के स्टाफ ने रात के तकरीबन 8 बजे मुझे बताया कि चार मैम्बर साहेबान अभी तक हाउस में ही बैठे हुए हैं। उनको बाहर निकालने के लिये क्या कार्यवाही की जानी चाहिए। मैंने अपने स्टाफ की बताया कि

*Expunged as ordered by the Chair.

आप रूल्ज को स्टडी करके बताइये कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो सकती है। उन्होंने रूल्ज को स्टडी करके बताया कि हाउस एजर्डन होने के एक घन्टे बाद तक मैम्बर साहेबान हाउस में रह सकते हैं अगर एक घन्टे के बाद वे हाउस में ही बैठे रहे तो उनसे बिनती की जा सकती है कि वे हाउस को खाली कर दें। मैंने अपने स्टाफ से कहा कि इन रूल्ज के अनुसार कार्यवाही की जाए ओर जो चार मैम्बर साहेबान हाउस के अन्दर बैठे हुए है, उन्हें नम्रतापूर्वक बिनती की जाए कि वे हाउस को खाली कर दें। मेरे स्टाफ ने जब उनसे जाकर ऐसा करने के लिये निवेदन किया तो उन मैम्बर साहेबान ने बाहर जाने से इन्कार कर दिया और और कहा कि वे सिर फोड़ देगे या फड़वा लेगे लेकिन हाउस से बहार नहीं जाएगे। जब मेरे स्टाफ ने मेरे को टेलीफोन पर यह सारी बात बतायी तो मैंने उनको आदेश दिया कि आप उन्हें इन–राइटिंग में दे दीजिए लेकिन इसके बावजूद भी वे नहीं माने।

मैम्बर साहेबान, आप खुद अन्दाजा लगाएं कि अगर एम.एल.एज. साहेबान भी रूल्ज को ब्रेक करेंगे तो उसका पब्लिक पर क्या असर पड़ेगा। मेरे बारम्बार उनसे रिकवैस्ट करने पर भी, वे बाहर जाने से इन्कार करते रहे, उसके बाद फिर मैंने अपने स्टाफ से कहा कि अब रूल्ज के अनुसार कार्यवाही की जाए मैंने अपने स्टाफ को यह भी आदेश दिया कि यह एनशोर किया जा कि किसी भी आनरेबल मैम्बर को किसी भी प्रकार की कोई आंच न आने पाये। मैंने अपने स्टाफ को मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी सूझबूझ से काम लिया और किसी भी मैम्बर साहेबान को बिना किसी चोट आने के उन्हें उठाकर बाहर कर दिया। लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि मेरे स्टाफ के एक आदमी को बुरी तरह से पीटा गया और उसे अधमरा कर दिया गया और इसके अतिरिक्त अन्य तीन चार आदमियों को भी चोटें आई। मैंने अपनी फाइनेन्शल पावर के अनुसार अपने स्टाफ को आनरेरीयम भी देने का फैसला किया है।

साहेबान इसके बाद मुझे टेलीफोन किया गया कि विधान सभा का सारा स्टाफ अन्दर ही बन्द पड़ा है, बारह नहीं निकल सकते। 60–70 आदमी बाहर लाठियां लेकर खड़े हैं और थ्रेट कर रहे हैं। फिर मैंने यू.टी. के आई.जी. को टेलीफोन किया कि विधान सभा स्टाफ को प्रोटेक्शन दी जाए, उनको घर पहुंचाने की कृपा कीजिए। उन्होनें एक एस.पी. और 15 पुलिस के आदमी भेजे और उन्होंने स्टाफ को बाहर निकालने में मदद की। विधान

सभा के बारह दो ग्रुप्स थे एक ग्रुप तो बाहर आने वालों को थ्रेट कर रहा था और दूसरा ग्रुप का मालूम नहीं कि वह किस से सम्बन्धित था। उन दोनों के बीच मुझे पता लगा है कि कुछ मुठभेड हुई लेकिन मेरे स्टाफ की तरफ से किसी को चोट नहीं पहुंची। उसके बारे में मैंने आदेश दिये हैं कि इंक्वायरी की जाए। हाउस के अन्दर ऐसा इंसीडेन्ट हुआ, यह बहुत अफसोस की बात है। दोनों तरफ से थाने में रपट दर्ज करवा दी गयी है, जब वहां से रिपोर्ट आएगी, उसको स्टडी करने के बाद मैं अपनी रिपोर्ट दूंगा।

उससे पहले अगर किसी मैम्बर साहेबान के पास कोई सबूत है और कोई मैम्बर मुझे कोई बात बताना चाहता हे वह मेहरबानी करके मेरे चैम्बर में आकर उस बात के विशय में पूरी बात कर सकता है।

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, इसी पर मैंने एक एडजर्नमेंट मोशन दिया था, उसका क्या बना?

श्री अध्यक्षः मेरे सैक्रेटरी ने मुझे बताया है कि यह मोशन आज सुबह ही आया है। आपको मालूम है कि साढ़े नौ बजे तो सैशन शुरू हो गया, इसलिये मैं उसे अभी तक स्टडी नहीं कर सका। उस पर अभी विचार हो रहा है और मैं अपना फैसला बाद में दूंगा।

श्री शमशेर सिंहः स्पीकर साहब, मैंने भी ड्राउट के बारे में एक काल अटैन्शन मोशन दिया था, उसके बारे में मुझे अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है।

श्री अध्यक्षः आपको नोटिस एडमिट हो चुका है, जब मौका आएगा, मैं उसके बारे में बताऊंगा।

श्री रणसिंह मानः स्पीकर साहब, कल के इन्सीडैन्ट के बारे में आपने जो कुछ सदन में कहा है, हो सकता हे उसके बारे में आपको पूरी इनफर्मेशन न हो ....

श्री अध्यक्षः मुझे इसके बारे में मालूम है, मैं रात को डेढ़ बजे यहां आय। था।

श्री रण सिंह मानः स्पीकर साहब, यहां पर हरियाणा पुलिस आई और उसने तीन बार अटैक किया। मैं जानना चाहात हूं कि क्या यहां पर पुलिस आपकी इजाजत से आई या सराकर की इजाजत से आई? इसके लिये सरकार की भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है और इस सदन के एक—एक सदस्य की भी जिम्मेदारी है। इसलिये इस घटना की जांच करने के लिये सदन के सदस्यों की एक कमेटी मुकर्रर की जाए। यहसरकार बर्खास्त होने के लायक है और हमें चीफ मिनिस्टर की कार्यवाही का विरोध करना चाहिए। (शोर)

श्री अध्यक्षः जो कोई भी इस बारे में एवीडैन्स देना चाहता है, वह मेरे पास चैम्बर में आए। मैं हाउस को विश्वास

दिलाना चाहता हूं कि हाउस के अन्दर जिन एम.एल.ए. साहेबान ने रूल्ज के खिलाफ कार्यवाही की उनमें से किसी को भी हाउस के अन्दर चोट नहीं आई। हाउस के अन्दर पुलिस का कोई भी आदमी नहीं था। मेरे वाच एंड वार्ड स्टाफ ने उनको फिजीकली उठा कर बाहर किया और हाउस के अन्दर किसी भी मैम्बर को चोट नहीं आई।

श्री हीरा चन्द आर्य: स्पीकर साहब, आपने रात को यहां पर आने का कश्ट किया था तो आपने बाहर पुलिस की गाड़ियां भी देखी होंगी (शोर)

श्री अध्यक्ष: मैं पहले ही कह चुका हूं कि सारे मामले की इन्क्वायरी होगी। पुलिस की इनवैस्टीगेशन की रिपोर्ट जब मेरे पास आएगी तक मैं इस पर गौर करूंगा।

श्री हीरा चन्द आर्य: स्पीकर साहब, उन गाड़ियों में से एक गाड़ी का यह लाइसैस मैरे पास मौजूद है। (शोर)

स्थानीय शासन मंत्री (चौ. खुरशीद अहमद): स्पीकर साहब, आर्य साहब जो लाईसैन्स दिखा रहे हैं ये चोरी करके लाए है (शोर)

श्री हीरा चन्द आर्य: स्पीकर साहब, पुलिस ने सदस्यों को जिस प्रकार से घेर रखा था उसको देखते हुए हम चाहते हैं कि भजन लाल मिनिस्टरी को बर्खास्त किया जाए। (शोर)

श्री अध्यक्ष: हाउस के बाहर जो दोनों ग्रुप्स का झगड़ा हुआ, उसके बारे दोनों ग्रुप्स की ओर से पुलिस में कम्पलेंट दर्ज करवाई गई है मुझे ऐसा मालूम हुआ हैं मैं इसकी जांच करवाउंगा लेकिन साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे स्टाफ की बहुत बेइज्जती हुई है और उनको मार पड़ी है। मेरे को यह बताते हुए बहुत खेद है कि एक एम.एल.ए. को कतई शोभा नहीं देता कि वह विधान सभा के गरीब क्लर्क या वाच एन्ड वार्ड स्टाफ के गरीब आदमी को पीटे (शेम शेम की आवाजें) जिस मांगे राम नाम के आदमी को पीटा गया वह बहुत गरीब और कमजोर आदमी है, उसको पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। (शोर)

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, यह डी.आई.जी. (सी. आई.डी.) की जीप का लाइसैन्स है। (शोर)

श्री अध्यक्ष: हाउस में कोई डाकुमैंट नहीं लिया जाएगा, आप मेरे चैम्बर में आ जाएं। (शोर)

Ch. Khurshid Ahmed: This is a clear case of theft and this is to be recovered by the police.

श्री अध्यक्ष: देखिए साहिबान, मैंने इस विशय में जो कुछ कहना था वह मैंने कह दिया। अगर आप लोगों ने ध्यान न दिया हो या आपका ध्यान दूसरी तरफ बंट गया हो तो मैं एक बार फिर बता देता हूं।

कल राम करीब आठ बजे मेरे को विधान सभा से टेलीफोन गया कि चार एम.एल.एज. जिनमें से तीन वे हैं जो सस्पैन्ड हुए हुए हैं, विधान सभा के चैम्बर में अभी तक मौजूद हैं। मेरे स्टाफ ने मेरे से आदेश मांगा कि उनको इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करनी चाहिए। मैंने स्टाफ से कहा कि आप प्रैसीडैन्टस देखिए और रूल्ज की स्टडी कीजिए फिर मेरे को एडवांइस दीजिए कि क्या कार्यवाही करनी चाहिए। तकरीबन आधे घंटे के बाद मेरे स्टाफ ने मेरे को फिर टेलीफोन किया और बताया कि रूल्ज और प्रेसीडैन्टस के मुताबिक हाउस एडर्जन होने के एक घंटे के बाद तक आनरेबल मैम्बर्ज हाउस में बैठ सकते हैं, उसके बाद उनको यहां बैठने की कतई इजाजत नहीं है। मैंने अपने स्टाफ को आदेश दिया कि रूल्ज और प्रैसीडैन्टस के मुताबिक कार्यवाही की जाये। मैंने यह भी आदेश दिया कि ये चार एम.एल.एज. साहेबान जो मेरे भाई हैं, साथी हैं, और कम्पेनियन हैं, इनको नम्रता के साथ मेरी तरफ से रिक्वैस्ट की जाये कि वे सदन से चले जाएं और अगर वे मुनासिब समझें तो मैं खुद अपने घर से आकर उनको रिकवैस्ट करने के लिए तैयार हूं। सभी मैम्बर्ज को रूल्ज के मुताबिक काम करना चाहिए। हम जो पब्लिक के रिप्रेजैंटेटिवज हैं और पब्लिक ने हमें चुनकर जो हमारे ऊपर भरोसा दिखायाहै, अगर हम ही रूल्ज को नहीं मानेंगे तो पब्लिक के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? मेरे स्टाफ ने नम्रता के साथ इन चार एम.एल.एज. साहेबान को बार बार रिकवैस्ट की लेकिन उसके बावजूद भी वे नहीं माने। फिर मैंने अपने स्टाफ से कहा कि आप इस सम्बन्ध में उनको लिख कर

रिक्वैस्अ कर दें। उन्होंने कहा कि मैम्बर साहेबान कहते है कि सिर फड़वा लेंगे या सिर फाड़ देंगे लेकिन बाहर नहीं जाएंगे। मैंने अपने स्टाफ को फिर आदेश दिया कि मैम्बर साहेबान को उठा कर बाहर कर दे परन्तु किसी को रत्ती भर भी चोट नहीं आनी चाहिए। पुलिस का कोई भी आदमी सचिवालय या हाउस के अन्दर नहीं था, मैंने खुद रात का डेढ़ बजें देखा था। मुझे अपने स्टाफ पर पूरा कन्फीडैन्स है कि वह कोई गल्त बात नहीं कर सकता। वाच एवं वार्ड स्टाफ ने उनको बाहर किया। उसके बाद मैम्बर्ज ने अटैक किया। एक नौजवान विधायक ने कुर्सी उठा कर मारने की कोशिश की लेकिन मेरे एक आदमी ने पीछे से कुर्सी की टांग पकड़ ली। मेरे स्टाफ को बहुत मार पड़ी है। मैं समझता हूं कि यह बहुत दुख की बात है। मैंने भी फौज में नौकरी की है। मैं लड़ाई के दौरान अपने सिपाहियों से हमेशा आगे रहता था ताकि कोई गोली लगे तो पहले मुझे लगे बाद में मेरे सिपाहियों को (तालियां) मैं यह बात कतई बर्दास्त नहीं कर सकात कि विधान सभी के स्टाफ की पिटाई हो। अगर ऐसा होता है तो मैं अपने स्टाफ से पहले पिटूंगा, उसके बाद मेरे स्टाफ के साथ कुछ हो सकता है। इन सब बातों के होने के बावजूद भी विधान सभी के स्टाफ ने बहुत नम्रतापूर्वक और शान्तिपूर्वक काम लिया लेकिन उसके बावजूद भी उनकी पिटाई हुई। जब मुझे उनकी पिटाई की खबर मिली और यह भी बताया गया कि 60—70 आदमी विधान सभी के बाहर लाठियां लेकर खड़े हैं और विधान सभी के स्टाफ को रोके हुए हैं तो मैंने आई.जी. (यू.टी.) श्री मेहरा को टेलीफोन

किया कि मेहरबानी करके आप अपना कुछ स्टाफ भेज करके मेरे स्टाफ को प्रोटैक्शन दें और उनको अपने घर जाने के लिए मदद करें। मेहरा साहब ने एक एस.पी. और 15 आदमी भेजे और उन्होंने मेरे से पॅदा कि ये दो ग्रुप कौन है? मैंने उनसे कहा कि यह तो इन्कवायरी से पता चल सकात है और इस सारे मामले की रिपोर्ट भी थाने में लिखवाई गई है मुझे ऐसा पता लगा है। जिस किसी के पास और किसी किस्म का सबूत इस सम्बन्ध में हो, वह दे सकता है। सारे मामले की जांच होने के बाद ही मैं उचित कार्यवाही करूंगा। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे मैं विधान सभा के स्टाफ के लिए मरने के लिये तैयार हूं, वैसे ही मैं हरेक आनरेबल मैम्बर की ओनर और डिगनिटी को प्रोटैक्ट करने के लिये भी मरने के लिए तैयार हूं। (तालियां) मैं अपनी तरफ से कड़ी से कड़ी कार्यवाही करूंगा लेकिन किसी विधायक द्वारा विधान सभा के गरीब चपड़ासी, क्लर्क और वाच एण्ड वार्ड स्टाफ पर हाथ उठाना मैं समझता हूं कि एक बहुत ही शर्मनाक बात है।

श्री रण सिंह मानः स्पीकर साहब, कल के वाकयात के बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्षः यह मैटर अब क्लोज हो चुका है, आप कोई और बात पूछें।

श्री रण सिंह मानः स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो कुछ हुआ यह सब सरकार की शह पर हुआ ....

श्री अध्यक्षः मैंने अपनी तरफ से विश्वास दिलाया है कि अगर किसी माननीय सदस्य के साथ ज्यादती हुई है तो मैं पूरी कार्यवाही करूंगा। मैं तो यह सब कुछ इन्कवायरी होने के बाद ही कर सकता हूं। अगर आप यह चाहे कि अभी मैं किसी को फांसी चढ़वा दूं वह तो मैं नहीं कर सकता।

स्थगत प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon. Members, Shri Mool Chand Jain, M.L.A., has given notice of an adjournment motion to discuss the matter regarding the enquiry by the Jagmohan Reddy Commission against Chaudhri Bansi Lal, former Defence Minister of India and former Chief Minister of Haryana. The basic principle for admitting an adjournment motion is as under :-

"The crucial test is always as to whether the question proposed to be raised has arisen suddenly and created an emergent situation of such a character that there is a prima facie case of urgency and the House must, therefore, leave aside all other business and take up the consideration of this most urgent matter at the appointed hour. The urgency must be of such a character that the matter really brooks no delay and should be discussed on the same day when the notice has been given."

Keeping in view the principle enunciated above, the adjournment motion given notice of by Shri Mool Chand Jain M.L.A., is disallowed as no such emergent situation has arisen. If anybody has got any complaint, I have consulted my legal officers, he is at liberty to go to a court of law and move against the withdrawal of any case that might have taken place.

Hence the adjournment motion is disallowed.

ध्यानाकर्शण सूचना

नहरी पानी तथा बिजली आदि की अनियमित सप्लाई सम्बन्धी

Mr. Speaker: Hon. Members, I have received two notices of Call Attention Motions from Shri Sant Kanwar M.L.A. and Shri Shamsher Singh Surjewala, M.L.A. concerning the irregular supply of canal water and electricity etc. As the matter is of an urgent nature and of public importance, I have admitted the notices.

Now, I would request one of the hon. Members to read the notice and would also request the Irrigation and Power Minister to make a statement

Shri Shamsher Singh: I want to draw the attention of the House to the unprecendented drought in the State of Haryana which has caused near famine conditions in all the districts of the State. Standing crops of jawar, bajra, maize, charri, gowar and pulses have completely withered away. Cotton, sugarcane and paddy crops are severely damaged. In the Northern districts of the State which are paddy growing,

the damage to the paddy crop is from 50 to 70 percent. In some places, the paddy crop has also withered away. The total loss estimated to the standing crop is more than Rs. 200 crores.

Besides complete absence of rains, the erratic supply of electricity to the tube-wells, shortage of canal waters, acute scarcity of diesel have combined together to burn the drought into near famine conditions. Average supply of electricity to the tube-wells ranged 6 to 10 hours only and that too with fluctuations. It is reported on Indian Express date-lined .

Chandigarh, 21st September, 1979 under the caption : “Releases from Bhakra reduced”. It is reported that releases from Bhakra have been reduced from 24000 cusecs to 22000 cusecs today. The Board has decided to reduce the releases from the Pong Dam in phases. The present release to 22000 cusecs will be cut by 2000 cusecs from the 1st October. This is going to cause a further set back to the irrigation prospects for the crops at the time of maturity.

The situation in the State and especially in the southern districts of the States is grim as far as the scarcity of fodder is concerned. The farmers are resorting of distress sale of the cotton and are also thinking to move their cattle heads to some distant places to save them from perishing.

To mitigate the hardship, the problem should be tackled at war footing as it could not brook any delay. To obviate a part of the loss, the State Government should press upon the central government to liberally help the State and

substantially raise support price of paddy from Rs. 95/- per quintal to Rs. 110/- per quintal of course grains by at least Rs. 20/- per quintal and of wheat at Rs. 150/- per quintal from this season.

The State Government should immediately:

(1) start round the clock supply of electricity to the tube-wells;

(2) to restore the cut imposed by the B.M.B. on the releases of water from the Bhakra and Pong Dams, so as to ensure uninterrupted supply of canal waters upto tails;

(3) to arrange adequate supply of diesel and to curb black-market by doubling the quota of the State;

(4) to remit land holding tax, water charges, electricity bills of tube-wells, all kinds of interest of loans and also to postpone recovery of all kinds of taccavi loans, including those of co-operative institutions;

(5) to make quick and adequate arrangement for the supply of fodder at subsidised rates and to open fodder centres in the affected areas;

(7) to pay compensation to farmers and share-croppers to the tune of at least Rs. 500/- per acre as crops have withered away or partly damaged; and

(8) to make arrangements for advancement of loans for seed, fertilizers, diesel etc. for the sowing of next crop.

वक्वव्य –

सिंचाई तथा बिजली मंत्री द्वारा

Mr. Speaker: Now the Irrigation and Power Minister may please make the statement.

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौ. रिजक राम): अध्यक्ष महोदय, जो ध्यानाकर्शण प्रस्ताव आपकी अनुमति से सदन के सामने पेश हुआ है, उसके बारे में मैं चन्द शब्द अर्ज करना चाहता हूं इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस साल बड़ा भंयकर सूखा हरियाणा प्रान्त में ही नहीं बल्कि देश के अनेक भागों में पड़ा है। अध्यक्ष महोदय, आप हैरान होंगे कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जहां से हमारी नदियों में पानी आता है, वहां भी वर्शा की बहुत भारी कमी हुई है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के इलाकों पर भी इस सूखे का प्रभाव पड़ा है। इस तरह से सूखा पड़ने के हालात देश में कब

11.00 बजे

पैदा हुए, इसके बारे में बहुत खोज की गई और ऐसा अन्दाजा लगाया जाता है कि जो कहतसाली इस साल रही इसकी मिसाल आस पास के वर्शों में नहीं मिलती। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि 1906 का ऐसा वर्श ाि जिसमें देश के बहुत ज्यादा भागों में 21 दिन तक अगस्त के महीने में वर्शा नहीं हुई। आज 1979 हैं, और यह 73 साल पहले की बात है। इस तरह 1877 का वश्र था जब अगस्त के महीने में बिल्कुल वर्शा नहीं हुई, जिसको 102 साल से ज्यादा अर्सा हो चुका है। उन दिनों हरियाणा में ही नहीं बल्कि

सब प्रान्तों में अगस्त के महीनें में वर्शा नहीं हुई थी जिसकी वजह से सारे देश में भयंकर कहतसाली फैली थी, लोग फसल की बीजाई नहीं कर पाये थे और जो फसल बीजी जा चुकी थी वह खराब हो गई थी। किसानों को बड़ी भारी परेशानी और नुकसान का सामना करना पड़ा था। यह 102 साल पहले की बात है। स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक आज के हालात में बिजली और पानी के प्रबन्ध करने का सवाल है, बिजली बोर्ड की तरफ से, बोर्ड के कर्मचारियों की तरफ से यानि मककमें की तरु से जितनी ज्यादा से ज्यादा कोशिश हो सकती थी, बिजली और पानी पहुंचाने की कोशिश की गई। टयूबवैल को बिजली ज्यादा देने के लिए बोर्ड ने असैन्शल इंडस्ट्रीज को छोड़ कर बाकी इंडस्ट्रीज पर 3 दिन की कटौती लगाई ताकि किसानों के टयूबवैल्ज को पूरी बिजली मिल सके। टयूबवैल्ज को डेली 18 घंटे तक बिजली दी गई, बल्कि कुछ इलाकों में 24 घटें रोजाना बिजली टयूबवैल्ज को देते रहे। स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा हाउस से अर्ज करना चाहता हूं कि इन्द्रप्रस्थ थर्मल प्लांट, फरीदाबाद थर्मल प्लांट, भटिंडा थर्मल प्लांट और राजस्थान का ऐटोमिक पावर प्लांट, इन सब प्लांटस में खराबी आई और काफी अर्से तक बन्द रहे। यू.पी., राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा का एक कौमन ग्रिड है जिसकी वजह से हरियाणा को कई बार बिजली कम मिलती है क्योंकि इन्द्रप्रस्थ थर्मल प्लांट में जब कभी खराबी आई, तो हरियाणा के हिस्से की बिजली, हमारी अनुमति के बगैर दिल्ली का इलाका लेता रहा।

इन्द्रप्रस्थ का हिस्सा नहीं मिला, भटिंडा थर्मल प्लांट खराब होने से पंजाब में बिजली की मांग ज्यादा हुई। राजस्थान का इलाका भी बिजली हासिल करता रहा क्योंकि इन दिनों उनका ऐटोमिक पावन प्लांट एक महीने तक बन्द रहा जिसकी वजह से उन्हे बिजली की कमी पैदा हो गई थी। स्पीकर साहब, इस कमी का खास कारण यह भी हुआ कि जितनी बिजली हमारे पास थी, उसका ट्रांसमीशन ठीक ढंग से नहीं कर पाये, क्योंकि ट्रांसमीशन लाइन्ज जो पहले ले–डाउन की गई थी, वह ठीक ढंग से नहीं ले की थी, इसकी तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया था जिसकी वजह से, जितनी बिजली हम टयूबवैल्ज को देना चाहते थे, नहीं दे पाये और काफी रूकावट पैदा हुई। मिसाल के तौर पर स्पीचर साहब, मैं आपकी इजाजत से सदन को बताया चाहता हूं कि अम्बाला, करनाल और कुरूक्षेत्र जिलों में ट्रांसमीशन लाईन की कपैसिटी 35 मैगावाट हे जबकि डिमांड 48 मैगावाट है। इसी तरह पहेवा के इलाके में 36 मैगावाअ की कपैसिटी है लेकिन डिमांड 42 मैगावाट की है। इसी तरह कैथल और कई दूसरे इलाकों में भी कपैसिटी कम है लेकिन अब हम कपैसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। छछरौली का सब–स्टेशन कमीशन हो चुका है, इसी तरह कोसली सब–स्टेशन का उद्घाटन हमारे मुख्य मंत्री ने 10 तारीख को किया था और अटेली सब–स्टेशन का उद्घाटन 2 तारीख को कर रहे हैं। बिजली की सप्लाई और वोल्टेज में कुछ कमी रही। एक ट्रांसमीशन लाईन, जो जींद में नरवाना के इलाके में, आज से तीन साल पहले मुकम्मल होनी चाहिए थी, मुकम्मल न होने के कारण

उस इलाके में हम पूरी बिजली नहीं दे पाये। इस लाईन को मुकम्मल करने के लिए पूरे जोर–शोर से काम शुरू किया गया है। स्पीकर साहब, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सारे इलाके में बहुत कम वर्शा होने के कारण बिजली की डिमांड सारे हरियाणा में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आप जानते हैं कि पिछले दो–तीन सालों में बहुत ज्यादा वर्शा होने के कारण सारे हरियाणा में बाढ़ आती रही। इसके इलावा पिछले सीजन में, कमाद बहुत सस्तें भाव पर गया। जिस भाव की किसान उम्मीद करते थे, वह नहीं मिला और कुछ वशा्र ज्यादा होने के कारण नुक्सान हो गया। किसान को गन्ने की पूरी कीमत न मिलने की वजह से इस साल किसानों ने रतिया (सिहार) के इलाके में गन्ना कम और पैडी ज्यादा काश्त की। इसका नतीजा यह हुआ कि 30 परसैन्ट के करीब धान की ज्यादा काश्त की गई। लेकिन इस साल वर्शा ही नहीं हुई परिणाम यह हुआ कि सारे हरियाणा मे ंपानी की डिमांड ज्यादा बढ़ गई। पानी की मांग के कारण बिजली की मांग ज्यादा बढ़ी लेकिन बिजली पहले ही कम थी। स्पीकर साहब, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर फील्ड मे ंटयूबवैल्ज को पिछले साल 1978 के अगस्त महीने के मुकाबले में इस साल अगस्त महीने में ज्यादा बिजली देते रहे। पिछले साल अगस्त में 88 लाख यूनिट डेली कंजम्पशन नहीं हुइ लेकिन इस साल अगस्त के महीने में 1 करोड़ 25 लाख से एक करोड़ 28 लाख यूनिट तक डेली कंजम्पशन हुई है। पिछले साल की निस्बत टयूबवैल्ज को इस साल ज्यादा बिजली देते रहे और इसके मुकाबले में इंडस्ट्रीज को

कम बिजली दी है। स्पीकर साहब, मेरे पास अगस्त महीने में बिजली की कंजम्पशन की फिगर तारीखवाद मौजूद है। 1 अगस्त, 1978 तक पिछले साल जो एग्रीकल्चर पर कंजम्पशन हुई है वह 68.6 परसैन्ट, 53.5 परसैन्ट, 52.2 परसैन्ट, 52.6 परसैन्ट है जो सारे महीने की एवरेज 52.2 परसैन्ट के करीब बैठती है। इसी प्रकार इंडस्ट्रीयल सैक्टर पर 46 परसैन्ट, 47 परसैन्ट, 49 परसैन्ट, 50 परसैन्ट, 62 परसैन्ट तक है। यानि अगस्त 1978 मैं इंडस्ट्रियल सैक्अर पर 62.2 परसैन्ट तक बिजली की कंजम्पशन हुई। अब मैं अगस्त 1979 के फिगर देता हूं। एग्रीकल्चर फील्ड में 70 परसैन्ट तक बिजली दे पाये हैं। मैं कुछ फिगर पढ़ देता हूं जैसे 62 परसैन्ट, 60 परसैन्ट, 63 परसैन्ट, 64 परसैन्ट, 70 परसैन्ट। जब इंडस्ट्रीज पर कट लगाई तो एग्रीकल्चर फील्ड में बिजली की कंजम्पशन ज्यादा बढ़ गई और इंडस्ट्रीज में कम हो गई। अगस्त, 1978 में इंडस्ट्रीड पर 46 परसैन्ट, 47 परसैन्ट, 52 परसैन्ट, 62 परसैन्ट, 56 परसैन्ट तक कंजम्पशन हुई है और इसके मुकाबले में अगस्त 1979 में किसी दिन भी 39 परसैन्ट से ज्यादा बिजली नही दे पाये है। एग्रीकल्चर फील्ड में ज्यादा बिजली देने के कारण इंडस्ट्रीयल फील्ड में बिजली की काफी शिकायत रही। स्पीकर साहब, जब पैडी और कौटन को पानी की ज्यादा जरूरत पड़ी तो असैन्शल गुडज की फैक्ट्रीज को छोड़कर बाकी सब फैक्ट्रीज पर तीन दिन के लिए बिजली की कट लगा दी और सारी बिजली टयूबवैल्ज को दे दी। टयूबवैल्ज को रैगूलेट करना जरूरी था। कुछ इलाकों में सुबह से लेकर दिन के 11 बजे तक या 12 बजे

तक देते थे। इसी तरह जहां तक पानी की सप्लाई का सवाल हैं मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगस्त के महीने में कोई नहर बन्द नहीं हुई, बाकायदा चलती रही। अब भाखड़ा में पानी कम हो गया है। दरिया जमुना में अगस्त के महीने में ताजेवाला के मुकाम पर एक लाख क्यूसिक्स पानी चलात था, इस समय 10 हजार, 11 हजार क्यूसिक्स पानी चलता रहा लेकिन इस वक्त केवल 6 हजार, 7 हजार क्यूसिक्स पानी चल रहा है। इसमें दिल्ली और यू.पी. का भी हिस्सा है। इन दोनों नहरो की यह स्थिति होने के बावजूद भी हमने पानी का इन्तजाम किया, औगमैन्टशन टयूबवैल चलाए और सितम्बर के महीने में रोटेशन में पानी देना शुरू किया है। हमने पैडी और कौटन के एरियाज में भी पानी दिया है। कौटन की क्रोप को मैच्योरिटी तक पहुंचाने के लिये नहर बन्द नहीं होने दी। इसके साथ ही साशि मे। यह भी दावे के साथ कह सकता हूं कि टयूबवैल्ज के लिए भी हमने बिजली कम नहीं दी। हमारे से लगता हुआ यू.पी. का एरिया है। वहां आल्टरनेट डेज पर केवल पांच छः घंटे बिजली मिलती है।

राव बीरेन्द्र सिंहः यू.पी. में हमारी मर्जी के खिलाफ जो बिजली ज्यादा दी जा रही है उसके बारे में भी जरा रोशनी डाले।

चौ. सतवीर सिंह मलिकः स्पीकर साहब, दरअसल बात तो यह है कि जबसे यह अभागी सरकार बनी है तब से एक बूंद वर्शा की नहीं पड़ी और सारी नहरों का पानी सूख गया है। (शोर)

आवाजें: सैन्टर की सरकार की वजह से ऐसा हुआ है। (शोर)

चौ. सतवीर सिंह मलिक: इस अभागी सरकार से भगवान भी खुख नहीं है। यह अब अपने अन्तिम सांस ले रही है और दो चार दिन में यह अपना दम तोड़ जाएगी। (शोर)

स्थानीय शासन मंत्री (चौ. खुरशीद अहमद): अध्यक्ष महोदय, सच तो यह है कि सैन्टर की सरकार जिस दिन से बनी है उस दिन के बारिश बन्द हुई है। (शोर)

चौ. रिजक राम: स्पीकर साहब, सूखा तो है लेकिन यह सैन्टर में तबदीली से पड़ा है या यहां की तबदीली से पड़ा है, यह भववान ही जानता है। लेनिक एक बात जरूर अर्ज कर दूं कि अगर यह हमारी वजह से होता तो सैन्टर में सरकार बनने के पश्चात वर्शा हो जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस बात पर कोई बहस की जरूरत नहीं है।

स्पीकर साहब, आपके द्वारा में एक बात हाउस में अर्ज करना चाहता हूं। बिजली की सप्लाई में हमारे सामने मुश्किले आई हैं जिसकी वजह से बिजली होने के बावजूद भी हम देहात तक बिजली नहीं पहुंचा सके। जिस ट्रांसमिशन लाइन्ज का काम आज से तीन साल पहले शुरू होकर आज तक खत्म हो जाना चाहिए था, उसका काम अब हमने शुरू कियाहै। अब भी स्पीकर साहब, देहात मैं कई जगह तार सड़े पड़े हैं और कई जगह दूसरे

अरेन्जमैंटस और सिस्टम आदि में कमी है। मैं किसी पर आक्षेप नहीं करता बल्कि आपकी वसातत से हाउस में अर्ज करना चहता हूं कि हमारे सामने क्या मुश्किले हैं।

चौ. उदय सिंह दलाल: चौधरी साहब, दिल्ली में तो बिजली से फव्वारे चल रहे हैं। (शोर)

चौ. राम लाल वधवा: दिल्ली तो यूनियन टैरिटरी है और सैन्टर के नीचे है (विघ्न)

श्रम मंत्री (चौ. मेहर सिंह राठी): स्पीकर साहब, ये तो दिल्ली की बात करते है फव्वारे अगर देखने हों तो चौटाला के पास देखे केसे चलते हैं? (शोर)

चौ. रिजक राम: स्पीकर साहब, दिल्ली में फव्वारे चलते हैं, डैकोरेटिव भी और वैसे भी यह मैं मानता हूं लेकिन जिस दिन हमें बिजली की कमी महसूस हुइ वहां के लैफटीनैन्ट गर्वनर से मैंने भी बात की, हमारे मुख्यमंत्री जी खुद भी गए और हमारी सैन्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी कमेटी के जो चेयरमैन हैं मिस्टर रोवाय, उनसे मिले, चीफ सैक्रेटरी से मिले और कहा कि दिल्ली में भी बिजली पर पाबन्दी लगाएं परन्तु दिल्ली की सरकार तक तो इनकी पहुंच है हमारी नहीं है।

चौ. सतवीर सिंह मलिक: दिल्ली को सप्लाई बन्द कर दो। (शोर) तेरी * * * *

मुख्य संसदीय सचिव (श्रीमती शान्ति देवी): * * * *

चौ. उदय सिंह दलाल: * * * *

Mr. Speaker: That should not be recorded.

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): स्पीकर साहब, आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह सब जो इन्होंने कहा है हाउस की कार्यवाही से निकाल दिया जाए। इसके साथ ही हाउस के सब माननीय सदस्यों से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि जब कभी वे किसी बहिन के बारे में कुछ कहें तो मर्यादा में रह कर बात करें।

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष: मैंने पहले ही रिकार्ड न करने के लिए कह दिया है। लेकिन मैं भी अपनी तरफ से आनरेबल मैम्बर्ज से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे डिबेट के स्तर को थोड़ा ऊंचा रखने की कोशिश करें। किसी हद तक तो स्तर नीचे जा सकता है लेकिन इसे ज्यादा नीचे लाने की कोशिश न करें।

चौ. बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, आपने फरमाया कि डिबेट का स्तर ऊंचा होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आनरेबल मिनिस्टर से रिक्वैस्ट करूंगा कि पहले वे गला साफ करा लें फिर बोलना शुरू करें। (हंसी एवं शोर)

चौ. रिजक राम: स्पीकर साहब, मैं अजीज बीरेन्द्र सिंह का मश्कूर हूं कि इन्होंने मेरे गले की तरफ ध्यान दिया। वैसे तो मैंन इसका इलाज करवाया है लेकिन फिर भी यदि कोई कमी रह गई हो तो मैं इसका और इलाज करवा लूंगा। (विघ्न) आपकी काल अटैन्शन मोशन है। अगर आप इसका जवाब शान्ति से सुनना चाहे तो सुन ले और अगर नहीं सुनना चाहे तो आपकी मर्जी है। मैं तो डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको सारे वाक्यात का पता लग जाए और हम सब मिल कर इसका जो भी समाधान कर सकते हों, वह करें। एक बात अध्यक्ष महोदय, मैं ट्रेजरी बैंन्चिज से भी आपके द्वारा अर्ज करना चाहता हूं कि अगर विपक्ष की तरफ से कोई बात आए तो उसके जवाब देने का काम मेरे ऊपर छोड़ दें। मैं खुद जवाब दे सकता हूं। वधवा साहब और दूसरे साहेबान कृपया इंट्रप्ट न करें।

स्पीकर साहब, जो मेरे साथियों ने बताया कि वहां फव्वारे चल रहे हैं और जो हाउस की भावनाएं हैं, इन सब बातों को हम दिल्ली की सरकार तक पहुंचा देंगे, यह मैं हाउस को विश्वास दिलाता हूं ताकि वहां भी ज्यादा से ज्यादा पाबन्दी लगाई जाए। आप हैरान होंगे कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन हमारी मर्जी के खिलाफ 300 से 360 मैगावाट बिजली इस्तेमाल करती रही है। हमने जब इस बारे में बार–बार प्रोटेस्ट किया तब अपने हिस्से की बिजली हासिल की। स्पीकर साहब, आपको यह जान कर हैरानी होगी कि खुफिया तौर पर सैन्टर की सरकार की तरफ से हिदायत

हुई है या कोई और कारण है, यू.पी. प्रदेश जिसका भाखड़ा की बिजली में कोई हिस्सा नहीं है, वह 60–65 मैगावाट तक बिजली इस्तेमाल करता रहा है। इस बारे में हमने प्रोटैस्ट किया।

चौ. बीरेन्द्र सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, हरियाणा के हिस्से की जो बिजली यू.पी. को डायवर्अ की गई, क्या उसकी चह वजह तो नहीं थी कि सैन्टर में इरीगेशन एंड पावर मिनिस्टर यू.पी. के हैं?

चौ. रिजक राम: मैं पर्सनल बातों में नहीं जाना चाहता कि कौन मिनिस्टर कहां का है।

चौ. जगजीत सिंह पोहलू: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, जब हरियाणा के लोग बिजली की कमी के कारण तंग हो रहे हैं तो यू.पी. को बिजली क्यों जा रही है ? अगर यह सरकार इसको बन्द नहीं कर सकती है तो यह महकता मुझे दे दो, मैं बन्द करके दिखाता हूं।

श्री अध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। आनरेबल मैम्बर्ज थोड़ा बहुत हंसी मजाक होना तो बहुत अच्छी बात है लेकिन जब स्टेट के बारे में किसी खास बात पर डिस्क ान चल रही हो, उस समय हंसी मजाक की बात करना उचित नहीं है। आप सभी लोग गांवों मे जाते हैं, आपको मालूम है कि हरियाणा मे ड्राउट आया हुआ है, लोगों की फसल तबाह हो गयी है। मैं भी देहातों में चक्कर लगाता हूं। महेन्द्रगढ़ के इलाके

में 90 परसैन्ट खरीफ की फसल बरबाद हो चुकी है और रबी की फसल की भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। जिस बता का मिनिस्टर साहब जवाब दे रहे हैं, यह बड़ा सीरियस मामला है, आपको मिनिस्टर साहब को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए कि वे जमींदारों को क्या कुछ छूट देने जा रहे हैं और क्या सुविधायें भविश्य में देने जा रहे हैं।

श्री लछमन सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि यू.पी. में बिजली चली गई। उनको यह पता है कि बिजली का कोटा फिक्सड है, फिर उनको बिजली कैसे चली गई ?

श्री अध्यक्षः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, यू.पी. की स्टेट भाखड़ा से पैदा होने वाली बिजली में पार्टनरि ाप नहीं है और न ही उसका किसी दूसरी चीज में हिस्सा है। उन्होंने जो भी बिजली हासिल की है, वह अन–अथेराइज्ड तरीके से हासिल की है। स्पीकर साहब, अब हमारे सामने प्र न है कि आगे के लिए हम बिजली का इन्तजाम कैसे करे ? जैसा कि अभी आपने फरमाया है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पीने का पानी भी नहीं है। वहां पर जोहड़ खु क पड़े हुए हैं। उन इलाकों मे फसल का कोई तिनका नहीं हैं और न ही आगे अनाज पैदा होने की सम्भावना है। गांवों मे जो मजदूर तबका है, जिनके पास न फसल का साधन है और

न कोई अन्य साधन है, वे और भी अधिक परे ाान है। स्पीकर साहब, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, गुड़गांव, हिसार और भिवानी के इलाके ऐसे हैं जहां पर जोहड़ों के अन्दर भी पानी नहीं है। आप सभी साथियों को जानकारी होगी कि अब भी काफी देहात ऐसे हैं जहां इन्सान भी जोहड़ों का पानी पी कर गुजारा करते हैं। उन इलाकों में आज यह हालत हो गई है कि न मवेि ायों के लिए पानी है और न ही इन्सानों के लिए पीने का पानी है। आज बड़ी घोर समस्या और संकट हमारे सामने हैं। आप सभी इस बात को भी जानते होंगे कि इस साल दरिया जमुना में और भाखड़ा में भी पानी की कमी होती होती जा रही है क्योंकि ऊपर पहाड़ों में बारि ा नहीं हुई है। पानी की इतनी कमी होने के बावजूद भी हम जवाहर लाल कैनाल में लगातार चार सौ क्यूसिक पानी दे रहे हैं। इसी तरह से जुई कैनाल और लोहारू कैनाल में भी बराबर पूरा पानी दे रहे हैं। जितना उनका पिछले सालों में कोटा रहा है उतना ही पानी दे रहे हैं। हमने हांसी और दिल्ली ब्रांच को तो रोटे ान से पानी दिया है लेकिन उन खु क इलाकों को बराबर उतना ही पानी दिया है जितना पहले मिलता था ताकि उन खु क इलाकों को कुछ राहत मिल सके।

स्पीकर साहब, सारे हरियाणा में कोई 15—16 हजार के करीब ट्यूबवैल्ज की दरखास्तें पैंडिंग पड़ी हैं जिनको कुनैक ान देने हैं। हमने पड़ताल की है कि महेन्द्रगढ़ और रिवाड़ी के इलाके में 1500 और 1000 दरखास्तें फी डिवीजन में बकाया पड़ी है

जिनको अभी कुनैक ान देने हैं। इस बारे में हमने फैसला किया है कि जिनकी टैस्ट रिपोर्ट आ जायेगी उनको 90 दिन से ज्यादा पैंडिंग नहीं रखेंगे। दूसरा हमने यह किया है कि जो सूखे इलाके हैं ....

श्री रण सिंह मानः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम सूखे इलाकों में कुनैक ान ज्यादा से ज्यादा देने की कोि ा ा कर रहे हैं लेकिन मैं उनके नोटिस में लाना चाहता हूं कि हम ग्रामीण लोगों से और महकमे ंके लोगों से मिलते रहे हैं। बहुत सारे इलाके तो ऐसे हैं जहां कुनैक ान देने तो दूर रहे, जो पुराने ट्यूबवैल्ज गांवों से काफी दूर खेतों में पड़तें हैं उनके ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। उन ट्रांसफार्मर्ज को जले हुए दो–दो, तीन–तीन महीने हो गये हैं लेकिन अभी तक नये ट्रांसफार्मज नहीं दिये गये। वे बेचारे डेढ़–दो मील से पीने का पानी लाते हैं। उनकी पहली फसल तो खराब हो ही गई है और अगली फसल की बिजाई का वक्त भी जा रहा है,उसको भी नहें बो पायेंगे।

श्री अध्यक्षः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। हर एक इलाके में भिन्न–भिन्न प्रकार की तकलीफें हैं। मैं मैम्बर साहेबान से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे रूल्ज के अनुसार ही प्वायंट आफ आर्डर करें।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, चौधरी रण सिंह मान जो कुछ फरमा रहे हैं, वह गलत बात नहीं है। मैं भी देहात के लोगों से मिला हूं। उन इलाकों में ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं, खराब हो गये हैं और हम उनको रिप्लेस नहीं कर सके हैं अब इसमें किस का दोश है, इस बात में नहीं जाना चाहता लेकिन मैंने पहले भी अर्ज किया था कि बिजली बोर्ड के पास ट्रांसफार्मर्ज की बहुत भारी कमी है इसलिए वह रिप्लेस करने में मजबूर हैं।

श्री दीप चन्द भाटियाः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि जो कुछ चौधरी रिजक राम जी यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं वह तो सबको मालूम है लेकिन मैं तो उनसे यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने अब तक क्या ऐक ान लिया है ? जब से वे मिनिस्टर बने हैं उसी दिन से हरियाणा का बेड़ा गर्क हो गया है।

Ch. Khurshid Ahmed: There can be no point of order during the statement on a Call Attention Motion......... (Interruptions.)

Mr. Speaker: I would request the hon. Minister to make it brief. (Interruptions)

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, जो कुछ भाटिया साहब ने कहा है उसका मुझे गिला नहीं है लेकिन जब से उन्होंने दल बदला है तभी से हरियाणा का बेड़ा गर्क हो गया है। स्पीकर साहब, अभी मेरे साथी फरमा रहे थे कि सरकार क्या स्टैप्स ले

रही हैं, वह मैं हाउस को बताने जा रहा हू। खु क इलाके जैसे महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, भिवानी और हिसार के है, उनकी छः हजार एप्लीके ान्ज ट्यूबवैल्ज के कुनैक ानज के लिए पैंडिग है। उनको कुनैक ान देने के लिए हमने सामान खरीदने के लिए तीन प्रचेज सब–कमेटियों बनायी हैं। हमने आर्डर किये हैं कि वे किसी भी कीमत पर कन्डक्टर, ट्रांसफार्मर और अन्य सामान खरीदें और जो हमारी वर्क ााप हैं जहां पर ट्रांसफार्मर बनते हैं या रीपेअर होते हैं, वहां की भी कैपेसिटी बढ़ा दी है और वरकर्ज को भी इनसैन्टिव दिया है। हमारी कोि ा ा है कि जिन इलाकों में वर्शा की बहुत कमी है उन इलाकों में 15 अक्टूबर तक ट्यूबवैल्ज को कुनैक ान दे देंगे लेकिन भार्त यह है कि ये कुनैक ान उन्हीं को दिये जा सकेंगे जिनकी टैस्ट रिपोर्ट आ जायेगी। इसके बाद हमारे पास नौ हजार दरखास्तें बकाया रहेंगी, अगर भारत हैवी इलक्टिकल लिमिटिड से हमें सामान मिल गया तो नवम्बर की तीस तारीख तक, जो भी एप्लीके ान्ज पैडिंग हैं अगर उनकी टैस्ट रिपोर्ट आ गई तो उनको कुनैक ान देने में प्रायरिटी देंगे। स्पीकर साहब, ट्यूबवैल का कुनैक ान देने के लिए पिछली सरकार 2500 रूपये की जमानत लेती थी, अब हमने इस 2500 रूपये की जमानत को खत्म कर दिया है। अब ट्यूबवैल्ज को कुनैक ान देने में प्रायरिटी दी जायेगी और जो डोमैस्टिक या कमर्ि ायल कुनैक ान हैं, उनको अब प्रायरिटी नहीं दी जायेगी। खु क इलाकों में 30 नवम्बर तक ट्यूबवैल्ज को कुनैक ान दे दिए जायेंगे ताकि किसान ट्यूबवैलों से आबपा ी कर सके। हमने 3

सब कमेटियां बनायी हैं और जो हमने रूल्ज बनाये हुए हैं उनमें भी रिलेक्से ान दी है ताकि जल्दी से जल्दी सामान खरीद सके। हमारी पूरी कोि ा ा है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को बिजली मिलें। जहां किसानों को फीडर की जरूरत है वहां फीडर देने के लिए सरकार ने 7 करोड़ रूपये इस मद में रखे हैं और हमारी कोि ा ा है कि जितनी ज्यादा सहूलियतें किसानों को दे सकते हैं, दे रहे हैं।

Land Holding Tax and Abiana would be remitted/suspended on the following grade scales:-

(a) where 'Kharba' exceeds 50 percent the remission shall be full.

(b) Where 'Kharba' exceeds 25 percent, but does not exceed 50 percent, the remission shall be 75 percent.

(c) Where the 'Kharba' exceeds 25 percent or less there shall be no remission

Taccavi realization would be suspended for a period of six month, where the loss is more than 50 percent.

श्री भागी रामः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय ने हिन्दी के बारे मे कुछ आ वासन दिलाया था कि हिन्दी मे बोलेंगे लेकिन मिनिस्टर महोदय फिर भी अंग्रेजी मे बोले जा रहे है। मैं भी अंग्रेजी नही जानता और न ही हमारे मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल जी अंग्रेजी जानते है। इसलिये मंत्री महोदय को हिन्दी मे जवाब देना चाहिए।

श्री अध्यक्षः स्पीकर साहब, सबसिडाइज्ड रेट्स पर चारा देने का इंतजाम किया जा रहा है। हमने एक कमेटी बनायी है, जिसके चेयरमैन सैक्रेटरी एग्रीकल्चरल है वह चारे को प्रोक्योरेमेंट के लिये मुकर्रर की गयी है ताकि जिन इलाकों मे चारे का कमी है उन इलाकों मे सबसिडाइज्ड रेट पर चारा दे सके। 3 करोड़ रूपया हमने फर्टीलाईजर काइंड की भाक्ल मे दिया जायेगा, नकद नहीं A provision of Rs. 8.50 lakhs is also being made for treatment against termites and Rs. 68/- lakhs for need control etc. 72 हजार रूपये का बीजों के लिये और दूसरी फसलों के लिये इंतजाम किया जा रहा है। इस समय हरियाणा मे जो नुकसान हुआ है। उसके अंदर सरकार भी अपनी तरफ से मदद के तौर पर कुछ हिस्सा देगी।

राव बीरेन्द्र सिंहः मंत्री महोदय ने सबसिडी देने के बारे मे हाउस को बताया हे कि कुछ ऐसे इलाके है जहां पर 60 फीसदी फसल ओलो की वजह से तबाह हुई थी और वहां पर सिर्फ तकावी लोन मिला था। कुछ लोन वसूल हो चुका है बाकी लोग दे नही पाये है। अब डबल कहत पड़ गया। क्या यह गवर्नमैंट उन लोगो को रिलीफ देने के बारे मे सोच रही है ? जिन की पिछली तकावी रकम अभी वसूल नही हुई है, मैं चाहता हूं कि सरकार उस तकाबी को सबसिडी मे तबदील कर दे बजाये इसके कि उन पर डबल बोझ पड़े, क्योंकि यह रकम वह लोग दे नही सकतें इसलिये मेरा कहना यह है कि उस सुझावों को माफ

कर दिया जाये और जिनसे वसूली हो चूकी है उनको रिफांड कर दिया जाये ताकि वह दूसरी फसल बोने के काबिल हो सके।

चौधरी रिजक रामः राव साहब ने जो सुझाव दिया वह बहुत ठीक है। सरकार इस पर विचार कर रही है कि जहां पर पिछली दफा ओलो की वजह से फसल तबाह हो चुकी थी, इस समय भी वहां पर कोई फसल नही है। ऐसे इलाकों मे तकावी मे पूरी राहत दी जाये, यह बात सरकार के विचारधीर हैं जल्दी ही इस बारे मे फैसला किया जायेगा। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: मैं आपकी मारफत वजीर साहब से यह कहना चाहता हूं कि इस बार बहुत से इलाकों मे जीरी की फसल फेल हो चुकी है लेकिन वहां पर आबयाना की वसूलों की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि जहां पर जीरी की फसल फेल हो चुकी है क्या वहां पर आवयाना खत्म किया जायेगा ?

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, इसके बारे मे अभी हमने स्पै ाल गिरदावरी के आर्डर इ ू कर दिये है कि जिन इलाकों मे लोगों ने जीरी की आबपा ी, चाहे नहरो से या टयूबवैलो से पानी देकर की हो, वहां पर स्पै ान गिरदावरी की जाये। अगर वहां पर वाकई फसल फेल हो गयी है तो सरकार उसके बारे मे भी विचार करेंगी।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस मे कोई दो राय नही है कि सारे प्रदे ा मे बहुत सूखा पड़ा हुआ है। सरकार को बड़ी भारी परे ानी है। चौधरी रिजक राम जी ने बहुत सी बाते डिटेल मे बतायी है। लेकिन मैं 2–3 बाते स्पश्ट करना चाहूंगा कि जहां पर फसल 50 प्रति ात से ज्यादा खराब हो चुकी है, चाहे वह जीरी की फसल हो, चाहे कपास की फसल हो, चाहे और कोई फसल हो, उन सभी इलाकों मे जहां पर 50 फीसदी फसल खराब हो गयी है, यहां पर हमने आबियाना तथा लैण्ड रैवेन्यू भी माफ कर दिया है।

श्री सुरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मैंने एक काल अटें ान मो ान दी थी। मुझे अभी अभी चिट्ठी मिली है कि आपने वह काल अटें ान मो ान डिसअलाऊ कर दिया है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाईये। Please come and talk to me in my Chamber.

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरूद्ध अवि वास प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: मेरे पास दोनों कांफीडैंस मो ान आए है। ऐ मेरे खिलाफ नो कांफिडैंस मो ान है, जो श्री मूलचंद जैन जी ने दिया है, जो हमारे बुजुर्ग है, हमारे मित्र है। उसने उन्होंने यह लिखा है–

"Due to his many acts of commission & Commission and due to his gross partiality, the House has lost confidence in the Speaker."

यह सारे हाऊस के सामने है कि मैंने पार ौलेटी या इम्पार ौलटी से काम किया है।

इसी तरह एक नो कांफिडैंस मो ान सर्वश्री राम लाल वधवा, खुर ीर अहमद, देवेन्द्र भार्मा तथा श्रीमती भाान्ति राठी जी ने कंवर विजय पाल सिंह, डिप्टी स्पीकर साहब, के खिलाफ हाऊस का अवि वास होने पर दिया है।

रूल्ज के अनुसार इन नो कान्फिडैंस मो ान के एडमिट होने के लिये 14 दिन के नोटिस की जरूरत होती है। चूंकि इनके एडमिट होने के लिये हमार रूल्ज और कांसटीच्यू ान के अनुसार स्ट्रिकटली 14 दिन का नोटिस होना जरूरी है, इसलिये ये मो ान्ज एडमिट हनी हो सकती। लेकिन रूल्ज भी हमारे और आप जैसे विधायकों ने ही बनाये हुए है। यहां पर एक बहुत ही एक्स्ट्रआर्डीरी सिचुए ान क्रिउट हो गयी है कि दोनो के खिलाफ यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ नो कांफिडैंस मो ान आया हुआ है। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो मो ान था, उसको तो मैं रिजैक्ट कर चुका हूं। लेकिन मेरे खिलाफ जो मो ान आया हुआ है, उसके लिये मैं इस हाउस से इजाजत मांग रहा हूं कि आप मुझे इस मो ान को एडमिट करने की इजाजत दीजिए ताकि मेरे खिलाफ जो चार्जिज लगाए गए है उनका मैं स्पश्टीकरण दे

सकूं। जो चार्जिज मेरे खिलाफ लगाए गए है, हो सकता है उनमे से कोई टरू भी हो और भाायद गलत भी हो। मेरे विचार मे रूल्ज एक चीज है और हाउस चूंकि सुप्रीम है, यह एक दूसरी चीज है। इसलिये मैं आपसे यह दरख्यास्त करूंगा कि कम से कम मेरे खिलाफ जो मो ान आयी है, उसको एडमिट करने की इजाजत दी जाये। I am ready to face it.

श्री मूल चंद जैनः स्पीकर साहब, मुझे जो खबर मिली है उसके मुताबिक तो आप उसे नोकान्फिडे ान मो ान को रिर्जक्ट कर चुके है। क्या आप उस पर इस हाउस मे नजरसानी कर रहे है ?

श्री अध्यक्षः जी हां, मैं नजरसानी कर रहा हूं।

श्री मूल चंद जैनः तो फिर आपको रूल 11 के तहत काम करना होगा। रूल 11 के तहत अगर 23 मैंबर्ज मेरी उस मो ान को स्पोर्ट करेंगे तो आपको उस मो ान को इजाजत देनी होगी। फिर उस पर डिस्क ान होगा और उस डिस्क ान के वक्त आप चेयर पर नही हो सकते। (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्षः मैं तो हाउस से इजाजत मांग रहा हूं। मैंने अपनी बात बड़े स्पश्ट तौर पर कही है। (व्यवधान व भाोर)

श्री मूल चंद जैनः स्पीकर साहब, जहां पर हम सब सदस्यगण इन रूल्ज के पाबन्द है, वहां पर आप भी इन रूल्ज के पाबन्द है।

एक आवाजः अगर हाउस कहेगा तभी तो मो ान एडमिट होगा।

श्री अध्यक्षः बाबू जी, पता नही जो कुछ मैंने कहा, आप सुन सके या नही। मैंने यह कहा है कि स्पश्ट तौर पर मै भी रूल्ज से बंधा हुआ हूं। रूल्ज के अनुसार तो मैं आपको एडमिट नही कर सकता लेकिन चूंकि यहां पर एक एकस्ट्राआर्डीनरी सिचुए ान अराईज हो गयी है। इसलिये मैं हाउस से इस बात की अनुमति मांग रहा हूं।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): जब आप इसको डिस्अलाऊ कर चुके और दूसरे रूल्ज के मुताबिक 14 दिन का नोटिस चाहिए, कायदे कानून के हिसाब से यह एडमिट हो नही सकता। इसलिये इस पर दोबारा विचार करने की जरूरत नही है क्योंकि हाउस को आप मे कोई अवि वास नही है बल्कि हाउस का पूरा कांफीडेंस आप मे है। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेहरबानी करके इस मामले को खत्म कीजिए। (व्यवधान व भाोर)

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी रिजक राम): आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, यह मो ान जो रूल्ज आफ बिजनैस इस हाउस के सामने है, उनसे ताल्लुक नही रखता। वह तो हमारे कांस्टीच्यू ान मे प्रोवीजन है जो कि मैंडेटरी है कि 14 दिन का नोटिस होना लाजमी है। अभी जो मो ान सरकुलेट

हुई है, उस के मुताबिक आज हाउस साइने डाई एडजर्न हो रहा है। इसलिये 14 दिन का नोटिस किसी भी तरह से पौसीबल नही है। इस बारे मे एक बार पहले भी सवाल उठा था जबकि बाबू मूल चंद जी मिनिस्टर होते थे, श्रीचन्द जी के विरूद्ध इसी हाउस मे नो कांफीडेंस मो ान आया था ओर इसी बिना पर वह रिजैक्ट हुआ था कि चूंकि हाउस अलगे दिन एडजर्न हो जाना था। इसलिये 14 दिन का नोअिस मुमकिन नही था। इसलिये वह मो ान रिजैक्ट हो गयी थी। आज जो मो ान एक दफा रिजैक्ट हो चुका है, उस पर इस हाउस मे आप मेरे ख्याल से नजरसानी फरमा नही सकते क्योंकि कांस्टीच्यू ान के प्रोविजन को न तो यह हाउस और नही आप इग्नौर कर सकते है। अगर हमारे रूल्ज आफ बिजनैस मे यह प्रोविजन होता तब तो आप इसको रिलैक्स कर सकते है, उनको इग्नोर भ कर सकते है क्योंकि हाउस सुप्रीम है। लेकिन कांस्टीच्यू ान मे जो इस बारे मे प्रोविजन है, वह मैंडेटरी है, उसकी वायले ान यह हाउस भी नही नही कर सकता। इसलिये स्पीकर साहब, मैं आपसे मोअदबाना गुजारि ा करूंगा कि जो फैसला आपने एक बार कर दिया है वह वैलिड हे और एकोडिंग टू ला है। वह मानाना चाहिए और इस को अब समाप्त किया जाना चाहिए।

आवाजें: हां जी, समाप्त किया जाना चाहिए।

Mr. Speaker: I accept the wishes of the house and close the matter.

श्री मूल चंद जैनः स्पीकर साहब, जब आप हमारी बात सुनने के लिये तेयार ही नही है तो हमारे बैठने का कोई फायदा ही नही है। इसका नतीजा तो यहा होगा कि......(व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्षः अगर आप मुझे नतीजा दिखाकर थ्रैट कर रहे है तो वह थ्रैट भी मैं देख लूंगा। (व्यवधान व भाोर)

श्री मूल चंद जैनः स्पीकर साहब, आपको गलत फहमी हुई है। मैंने यह कहा है कि फिर हमारा यहां बैठने का क्या फायदा है अगर हम अपनी बात भी नही कह सकते (व्यवधान व भाोर) आपने सरकार द्वारा श्री बंसी लाल के खिलाफ केसिज वापिस लेने के बारे हमारा एडजर्नमैंट मो ान रिजैक्ट किया, उस वक्त मैं खड़ा, हुआ, तब आपने हमारी बात नही सुनी। उसके बाद मैं तीन बार खड़ा हुआ, तब आपने हमारी बात नही सुनी। उसके बाद मैं तीन बार खड़ा हुआ हूं लेकिन आपने मुझे बोलने का मौका ही नही दिया।।

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

स्थानीय भाासन मंत्री (चौधरी खुर ीद अहमद): मैं प्रस्ताव करता हूं–कि आज के लिये नि चत की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक मे अनि चत काल तक नियम ''सभा की बैठको'' के उपबंधों से मुक्त किया जाये।

चौधरी सतवीर सिंह मलिकः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। हर आदमी का इस हाउस मे अपनी बात कहने का हक है।

जब एडजनैमैंट मो ान की बात आयी, उस वक्त भी आपने इन्हे बोलने से रोक दिया। क्या सारे के सारे रूल्ज बाबू मूल चंद जैन पर ही लागू हो रहे है या किसी दूसरे के ऊपर भी लागू हो रहे है। एक बात मेरी समझ मे नही आयी कि आप इनको बोलने क्यों नही देते। कम से कम जो कुछ ये कहना चाहते है, इनहे कह तो लेने दे। मेरी प्रार्थना यह है कि इनको बोलने का मौका दिया जाये। इनको अपनी बात तो कहने दे। (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्षः कायदे के अनुसार देखा जा सता है कि जितना टाईम आप बाबू मूल चंद जी को मिला है, उतना किसी दूसरे सदस्य को नही मिला है। यह तो रिकार्ड की बात है। (व्यवधान व भाोर)

श्री मूल चंद जैनः मैंने तो सप्लीमैंट्री सवाल किये है और तो कुछ बोला ही नही हूं। (भाोर) यदि आप मेरी एडजर्नमैंट मो ान के बारे मे बालने नही देते, तो हमें वाक आउट करन पाड़ेगा।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि आज के लिये नि चत की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक मे अनि चत काल तक नियम ''सभा की बैठको'' के उपबंधों से मुक्त किया जाये।

श्री हीरा नंद आर्यः अध्यक्ष महोदय, आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्षः क्या प्वायंट आफ आर्डर इसी मो ान के ऊपर है ?

श्री हीरा नंद आर्यः मैं यह कहना चाहता हूं कि............. ....(व्यवधान व भाोर)

Mr. Speaker: No point of order except on this motion, please. आप बैठ जाइये।

श्री हीरा नंद आर्यः जिस तरीके से कांस्टीच्यू ान को रेप किया गया है, इसकी कोई मिसाल नही है। अध्यक्ष महोदय, जिस आदमी ने रैडी कमी ान के सामने एफीडैविट आन ओथ दिया हो, वही व्यक्ति उन केसिज को वापिस ले ले और यह कहता है। (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्षः आप तो पुराने पार्लियामैंटरियन है। यहां पर मो ान कुद मूव हुआ है और आप प्वायंट आफ आर्डर दूसरी चीज पर उठा रहे है ?

चौधरी सतवीर सिंह मलिकः स्पीकर साहब, यह बात हमने सारे हाउस को और सारी जनता को बतानी है। (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्षः आप कृपया बैठ जाइये।

प्र न है–

कि आज के लिये निि चत की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक मे अनिि चत काल तक नियम ''सभा की बैठको'' के उपबंधों से मुक्त किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

वाक आउट

चौधरी सतवीर सिंह मलिक: चूंकि हमे अपनी बात कहने के लिये समय नही दिया गया इसलिये हम सब वाक आउट करते है।

(इस समय सदन मे उपस्थित जनता (एस) के सभी सदस्य सिवाये कंवर विजय पाल सिंह के सदन मे वाक आउट कर गये)।

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

स्थानीय भाासक मंत्री (चौधरी खुर ीद अहमद): मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिि चत काल के लिये स्थगित रहेगी।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिि चत काल के लिये स्थगित रहेगी।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां): स्पीकर साहब, दरअसल रूल 15 के तहत जो नान स्टाप सिंटिंग का मो ान था पर मैं बोलना चाहता था.................

श्री अध्यक्ष: वह तो पास हो चुका है।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह: दरअसल आप इस समय ज्यादा बिजी थे, मेरी बात आपने नही सुनी। स्पीकर साहब, जब कभी भी नान स्टोप सिंटिंग की बात आती है तो चेयर की तरफ से यह बात कही जाती है कि यह बजनैस एडवाजरी कमेटी का यूनानिमस डिसिजन है, इसलिये इसको मानना पड़ेगा। स्पीकर साहब, हाउस एक सुप्रीम बौडी है उसकी कोई कमेटी अगर हाउस के बारे मे कोई फैसला करती है तो उसको ठीक या गल्त देखना स्पीकर का या सारे हाउस का फर्ज बनता है। स्पीकर साहब, आप मुझे माफ करेंगे कि पिछले सै ान मे और इससे पहले जब कभी भी आपसे बात हुई तो अपने हाउस के अंदर भी और बाहर भी आ वासन दिया कि जो भी लेजिस्लेटिव बिजनैस होगा, उसमे सभी सदस्यों को, जो बोलने का पूरा टाईम दिया जायेगा और बिल की हर क्लाज और हर सैक ान पर बालने का पूरा स्तय दिया जायेगा। स्पीकर साहब, बात यह है कि कोई प्रथा डालना या न डालना इस पर स्पीकर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और किसी प्रथा को बदलना और उसको ठीक करना भी स्पीकर की जिम्मेदारी है। इसलिये मैं आपसे गुजारि ा करूंगा कि हाउस के सामने जो लेजिस्लेटिव बिजनैस है वह इतना अधिक हे कि नान स्टोप सिटिंग

(व्यवधान) । मैं यह नही चाहता कि मैं अकेला ही बोलूं और आप अपने सदस्यों को न बोलने दें (व्यवधान) अपने सदस्यों को यह निर्दे ा दे दे कि वह कोई न करें कि मैंबर्ज भी बैठे बैठे थक जायें और आप भी थक जायें और बिल्ज के बारे मे जो बात मैंबरर्ज से निकलती हो वह न निकल सके और मैंबर्ज, जो सही सलाह दे सकते हो, वह न दे सके।

Mr. Speaker: I assure the hon. Members that I will give them maximum time to speak on the bills. लेकिन मैं यह भी कलीयर करना चाहता हूं कि हाउस सुप्रीम है और जैसा हाउस चाहेगा उस तरह कार्यवही की जायेगी। जि समय बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो रही थी उस समय यह बात सामने आई थी कि जो बिल्ज हे वे आर्डिनेस की भाक्ल मे पे ा हो चुके है इस तरह के कई बिल है, जैसे इंडियन स्टाम्प अमैंडमैंट बिल है, एक सोलजर्ज बोर्ड के बारे मे बिल है, इन पर डिस्क ान की कोई खास गुंजाइ ा नही है। एक दो इम्पोर्टटैंट बिल है, जैसे हिन्दु सक्से ान बिल है, इन पर मैं मैंबरज को बोलने का मैक्सीमम टाईम दूंगां जब तक मैंबर्ज बोलना चाहेंगे मैं टाईम दूंगा।

प्र न है–

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनि चित काल के लिये स्थगित रहेगी।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र

श्री अध्यक्ष: अब एक मंत्री महोदय हाउस की मेज पर कागल पत्र रखेंगे।

Local Government Minister (Ch. Khurshid Ahmed)" Sir, I beg to lay on the Table the Central Administration Department's Notifications Nos. (i) G.S.R.91/Const./Art.320/Amd. (3)/78, dated the 24th August, 1978 and (ii) G.S.R.53/Const./Art.320/Amd. (1)/79, dated the 25th August, 1979, regarding amendments in the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1973, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

दि हरियाणा बोर्ड आफ स्कूल एजुके ान (अमैंडमैंट) बिल, 1979

ि ाक्षा मंत्री (स्वामी अग्निवे ा): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विद्यालय ि ाक्षा बोर्ड (सं ाोधन) विधेयक, 1979 पे ा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि हरियाणा विद्यालय ि ाक्षा बोर्ड (सं ाोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि हरियाणा बोर्ड आफ स्कूल एजुके ान (अमैंडमैंट) बिल पर तुरंत विचार किया जाये।

श्री सुरेन्द्र सिंह (तो ाम): अध्यक्ष महोदय, यह जो हरियाणा बोर्ड आफ स्कूल एजुके ान (अमैंडमैंट) बिल ि ाक्षा मंत्री महोदय ने पे ा किया है मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा सरकार ने इस पर ठीक तरह से गौर नही किया। (इस समय भी उपाध्यक्ष पदासीन हुए।) ि ाखा के मामले मे केवल राजनैतिक पहलू को ही महत्व कियाजाये यह गल्त बात है। हमारे प्राप्त मे जब से यह एजुके ान बोर्ड बना हे केवल कांगेस सरकार के वक्त मे यह बहुत अच्छी तरह से काम करती रहां पिछले दो साल मे जब से आप लोगो की सरकार आई और मौजूदा सरकार भी उसी पार्टी की है और जो पीछे चेयरमैन थे, स्वामी अग्निवे ा, जो आज ि ाक्षा मंत्री हो गये है, उनके जमाने मे हरियाणा प्रांत मे ि ाक्षा के क्षेत्र मे काफी गिरावट आई। । स्वामी जी को पहले बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया और कुछ दिन के बाद इनको हटाया गया। जब इनको हटाया गया तो इन्होने हाई कोर्ट मे एक रिट की`ा रिट महज इसलिये की कि मुझे चेयरमैन रखा जाये। (व्यवधान) बहन जी कह रही है कि यहां से हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट मे एक और वह केस अभी

भी पेडिंग है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का मतलब यह है कि ि ाक्षा के महकमे मे और खास तौर से बच्चों की ि ाक्षा को इस कदर न बिगाड़ा जाये कि बच्चे स्कूल मे न तो किताब ले सके, न कापी खरीद सके और न इम्तहान दे सके और अगर कुछ प्रिंसिपल के टोवर्ज है जिनका तालमेल एजुके ान डिपार्टमैंट से हे उनका भी ऐसा ही हाल हो तो यह कहां तक ठीक है। आज स्वामी जी ऐजूके ान मिनिस्ट है और मुझे अखबारो मे पढक्ष्ने का मौका मिला है कि इनको तबादले करने के पूरे अधिकार है लेकिन सवामी जी सुबह से भााम तक तबादलों मे बिजली रहते है। आज हालत यह है कि एक पोस्ट के लिए बीस बीस मास्टर अपने आर्डर लिये फिर रहे है और जो स्कूल अपग्रेड किये गये थे उनको अब डाउन ग्रेड कर रहे है और खासतौर से भिवानी जिले के जितने स्कूल अपग्रेड किये गये थे (व्यवधान) यानी जित स्कूल को आठवीं से दसवीं तक किया गया था और वहां पर बच्चो ने नवीं क्लास मे दाखिला ले लिया था अब उन स्कूलों को डाउन ग्रेड किया जा रहा है ऐसी हालत मे वे बच्चे कहां जायेगे। उपाध्यक्ष महोदय, आप इस अमैंडमैंट बिल को ही देखिये। इसकी सैक ान 4–ए मे लिखा है–

"4A. Chairman, Vice Chairman and members to held office during pleasers of State Government Not with standing anything contained in section 3 or Section 4 or any other provision of this Act, the Chairman Vice Chairman and members of the Board shall hold office during the pleasure of State Government."

What is the pleasure of the State Government? It is as long as Government continues. उपाध्यक्ष महोदय मैं इस बात को अच्छी तरह से मानता हूं कि अगर कोइ सरकारी महकमा हो, कोढ पोलिटीकल बाडी हो या कोई और ट्रस्ट हो जिसको सरकार मदद करना चाहे और सरकार यह महसूस करे कि इस आर्गेनाइजे ान के चेयरमैन या इसका मैनेजमैंअ आम राज्य के मफाद मे ठीक काम नही कर रहा है तो उसको तोड़ देना चाहिए लेकिन इस सैक ान का केवल यही मतलब है कि सरकार जिस वकत चाहे बोर्ड तो तोड़ देगी। यह स्टेट की एजुके ान के साथ खिलवाड़ है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस कदर एम.एल.एज. साहेबान के पास आज मार्स्टज आते है, टीर्चज आते है, या दूसरे इम्पलाइज आते है कि उनका ट्रांसफर कर दिया जाये, उनका ट्रांसफर रोक दिया जाये या उनका परमो ान कर दिया जायें इस तमाम अमैंडमैंट को पढ़कर मैं यह अंदाजा लगा सकता हूं कि अगले कुछ दिनो मे एम.एल.एज. साहेबान के पास और मिनिस्टर्ज साहेबान के पास कुछ लोग आयेंगे और वे यह कहेंगे कि हमे मैट्रिक का सर्टीफिकेट दिलवा दिया जायें अगर एजुकेशन इंस्टीच्यू ांज का कोई पालिटिकल हैड होगा तो उससे आप यही उम्मीद कर सकते है कि वह पालिटीकल एंबायरनमैंट मे, पालिटीकल प्रे ार से काम करेगा। कैस करेगा जेसा कि स्वामी जी अपने चुनाव क्षेत्र मे काम करते है। आज हर वोटर अगर उसके अपने परसनल काम, या नहर, बिजली, पानी वगैरह के काम न हो तो वह नाराज हो जाता है। यहां चाहे कोई किसी किस्म की तकरीर कर ले लेकिन स्वामी

जी के पास अगर कुछ आदमी आए कि स्वामी जी, हमारे बच्चे के ऊपर अन फेयर मीन्ज का केस हो गया है नकल मारता हुआ पकड़ा गया है, आपको हमने वोट दिया था और आप हमारा यह काम करवाए। अगर उस बोर्ड का चेयरमैन को एस.एल.ए. है या कोई पालिटीकल आदमी है तो उसको ऐसी सिफारि ा जरूर की जायेगी। अगर उसको सिफारि ा न की जायेगी....... (विघ्न) स्वामी जी के तो क्या पता कि कितने बच्चे है, सारे बच्चे जो स्टेट मे पढ़ते है, स्वामी जी के ही है (हंसी) अगर कोई इधर उधर भी होगा तो आपको मेरे से ज्यादा पता होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि हम एम.एल.एज. के हल्कों के स्कूलों मे जब नकल के केस होते है तो वे सिफारि ा करते थे कि नकल मारने वाले लड़को को निकाला ना जाये। अगर बोर्ड ने उनको तीन साल के लिये डिसक्वालीफाई कर दिया तो कहते थे कि चलो एक दो साल घटा दो और बाई चांस उस वक्त अगर कोई मिडटर्म पोल आ जाये, उप चुनाव आ जाये तो फिर उस हल्के के लोगो की बात को इग्नौर नही कर सकते। मेरा कहने से मतलब यह है कि (विघ्न) मेरा कोइ परसनल मामला नही है आप लोगो के पास आज हाउस मे इतनी मैजोरिटी नही हैं आप लोग पहले 76 बनकर आये थे और टूट फूट कर कुछ ऐसे हो गये कि आप किसी एम.एल.ए. को नाराज नही कर सकते। इसको एक ही हल है कि आप किसी ऐसे आदमी को इस बोर्ड का चेयरमैन बनाएं जिसका पालिटिक्स से कोढ ताल्लुक नही है। आप किसी रिआर्यड जज को ले ले, किसी पब्लिक सर्विस कमी ान के रिटायर्ड मैंबर को ले ले या

किसी अच्छे एजेके ानिस्ट हो और वह किसी आदमी के प्रे ार मे न आये। (चौधरी मेहर सिंह राठी की ओर से विघ्न) चौधरी हरद्वारी लाल जी को आप ने ही लगाया था और अब आप ही उसके खिलाफ भाोर कर रहे है, हमारा उससे क्या ताल्लुक है। (ाोर) मैं तो इस बात को भी गल्त मानता हूं कि वि वविद्यालयों मे, युनिवर्सिटियों म `और दूसरे एजुके ानल इंस्टीच्यू ानज मे किसी पालिटीकल आदमी को लगया जाये। आप एजुके ानल इंस्टीच्यू ानज को मंदिर के सामान माल कर चहे। वहां के बच्चो का स्टैंडर्ड हो, वहां अच्छी ि ाक्षा हो और उनको पूरी फैसिलिटीज दी जायें हमने पिछले दिनो सुना कि एजुके ान बोर्ड मे अगर 50 परसैंट रिजल्ट आया है तो उस पर डिसपलईयर भाो की जाती है कि रिजल्ट खराब आ गया हे और कहा जाता है कि परसैंटेज और बढ़ाओ। तो यह बात हमारी स्टेट के बच्चों की एजुके ान के हक की नही है। दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, एडमिनिस्ट्रेटर लगाने की है अगर सरकार बोर्ड को तोड़ देती है तो गवर्नमैंट एक साल तक जब तक कि बोर्ड दोबारा नही बनेगा, उस वक्त तक एडिमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करेगी। वह एडिमिनिस्ट्रेटर कोई भी हो सकता है, कोई एम.एल.ए. भी हो सकता है कोई आई.ए.एस. आफिसर भी हो सकता है और वह आदमी भी हो सकता है जिसकी लोगो मे कमांड हो। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को यह कहना चाहूंगा कि आप इस बिल को वापिस ले। आप इसमे जल्दी न करें इसकोक री कांसिडर करके, अच्छी तरह सारे आसपैक्ट देखकर, इसे अगले सै ान मे हाउस के सामने ले आए

ताकि यह बिल एजुके ान के इंट्रैस्ट मे लगे और लोग यह महसूस करें कि यह बिल जल्दी मे पास नही हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर के आगे इन्होंने एक बात और लिखी है–

"Provided that the administrator may, subject to the approval of the State Government, delegate any of his powers, duties or functions to such other person as he may think fit."

अब एडिमिनिस्ट्रेटर तो लगा दिया और अगर एडिमिनिस्ट्रेटर चाहे तो वह आगे अपनी पावर्ज को डैलीगेट कर देगा। वह आदमी कौन होगा, इसमे कोइ सफैसिफिक प्रोवीजन नही लिखा हैं He is not having any sort of qualification. उसकी क्वालिफिके ान की जरूरत नही है। आज तो मेरे एक लायक दोसत कोई एम.एल.ए. है जोकि एजुके ान बोर्ड के चेयरमैन है, वे बड़े पढ़े लिखे आदमी है। अगर कोई एम.एल.ए. पावर्ज डेलीगेट कर दे तो वह पावर डेलीगेट इस तरह होगी जैसे हमने इलैक ान एजेन्ट बना दिया और वह इलैक ान मे सब तरह के काम करेगा। तो उपाध्यक्ष महोदय, मै। सरकार से रिक्वैस्ट करूंगा कि वह इस बिल को वापिस लेकर इस को रीकंसिडर करें। यूनीवर्सिटीज, आटोनोमस बोडीज के बिल को देखकर इसको ड्राफ्ट करे कि फील्ड मे इसका क्या रूप होगा, एजुकें ान के महकमे मे इसका क्या रूप होगा। इसके बावजूद भी अगर सरकार इस बिल को पास करवाना जरूरी समझती है, इस अमैंडमैंट को अडाप्ट करना जरूरी समझती है तो क्या जरूरत है कि बोर्ड को रीकस्टीचूट किया जाये। सरकार अपनी एजुके ान डिपार्टमैंट मे इसको ले ले तो मैं सरकार से गुजारि ा करूंगा कि अगर सरकार इस महकमे को स्वयं ले लेगी तो बोर्ड मे किसी चेयरमैन को नामीनेअ करने की जरूरत नही पड़ेगी। यह तो मै समझता है कि बोर्ड मे किसी आदमी को चेयरमैन लगाना एम्पलायमैंट देना भी है लेकिन आप इसे अपने डिपार्टमैंअ मे ले ले ताकि आपकी कोआर्डीने ान बन सकें आप यह देख सके कि सारा काम सुचारू रूप से चलता है

या नही। इन बातो को मद्देरजर रखते हुए मै। सरकार से गुजारि ा करूंगा कि इस बिल को वापिस लेकर रीकंसिडर करे और यह देखे कि सदन द्वारा यह बिल जल्दी से पास करवाने की वजह से हरियाणा के बच्चों की एजुके ान पर क्या असर पड़ेगा? मैं इन भाब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं।

श्रीमती सुशमा स्वराज (अम्बाला छावनी): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक अभी सदन मे प्रस्तुत किया गया है मुझे अनुमोदन करते हुए बहुत झिझक और हिचक का अनुीाव हो रहा है इससे पहले कि मैं बिल की धाराओ के ऊपर जरा भी चर्चा करूं, मैं इसके उद्दे यों और कारणो का विवरण जो बिल मे अंत मे लिखा गया हे, उसी को पढ़ देना चाहूंगी और इसी से वह मूल भावना, जो इस बिल के पीछे छिपी हुई है वह सदन के सदस्यो के सामने जागृत हो जायेगी। उद्दे यों और कारणा का विवरण लिखते हुए स्वयं ि ाक्षा मंत्री ने यह जिक्र किया है कि–

''मंत्रिपरि ाद ने दिनांक 4–7–79 को हुई अपनी बैठक मे अन्य निर्णयों के साथ निर्णय लिया कि राज्य सरकार के अधीन काम करने वाली गैर सरकारी सदस्यों वाली समितियो/बोर्डो को भंग कर दिया जाये। चूंकि हरियाणा विद्यालय ि ाक्षा बोर्ड सांविधिक उपबंधो के अधीन गठित किया गया था, अतः मंत्रिपरिशद के निर्णय अनुसार इसको भंग नही किया जा सका, क्येाकि विद्यालय ि ाक्षा बोर्ड अधिनियम, 1969 मे ऐसा कोई उपबंध नही है जिसके द्वारा कि विद्यालय ि ाक्षा बोर्ड अधिनियम,

1969 मे सं ाोधन किया जाये ताकि उस सं ाोधन द्वारा क्षमतादायक उपबंध किया जा सके कि जिससे राज्य सरकार को अपनी इच्छा के अनुकूल बोर्ड कौ भंग करने की या गैर सरकार सदस्यो को हटाने की भाक्ति प्राप्त हो। बोर्ड का अधीक्षण और नियंत्रण राज्य सरकार करेगी। अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।''

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खेद है कि स्वामी अग्निवे ा जी जिनको हम ि ाक्षा भाास्त्री मानते थे, वे स्वय इस बिल को लेकर आये है। अगर और कुछ नही तो कम से कम इस की भाशा तो इस तरह की बना देते कि इतना क्रूढ़ बीहेवियर, इतनी क्रूढ़ लैंगवेज, जो राज्स सकरार को इस बोर्ड को भंग करने के लिये ताकत दे रही है, वह इसमे न आती। यह विधेयक इसलिये प्रस्तुत किया गया है ताकि सरकार इसके गैर सरकारी सदस्यो को हटा सके। अच्छा होता उपाध्यक्ष महोदय, अगर स्वामी अग्निवे ा इसके उद्दे यो और कारणों के विवरण मे कुछ ऐसी चीजो, कुछ ऐसी कठिनाइयो का वर्णन करते जिनके कारण राज्य सरकार का नियंत्रण आव यक होता। वे कुछ ऐसी वर्तमान कठिनाइयों का वर्णन करते जिससे राज्य सरकार का नियंत्रण न होने से वे कठिनाइयां पैदा हो रही है और बिना राज्य सरकार के नियंत्रण होने के वे कठिनाइयां दूर नही हो सकती थी। मुझे अुसोस है कि ऐसी किसी कठिनाइ का वर्णन, ऐसी किसी मुि कलात का वर्णन इस बिल के अंदर नही किया गया बल्कि राज्य सरकार के हाथ मे ताकत देने के लिये कि वह अपनी इच्छा

के अनुकूल बोर्ड को भंग कर सके, यह विधेयक यहां पर लाया गया है उपाध्यक्ष महोदय, मूल एकट की धारा 11 को सं ोधित किया गया और अब उसमे लिखा गया है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्षा ओर सदस्य राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे यानी डयूरिंग दी प्लैयर आफ दी स्टेट गवर्नमैंट जब तक सरकार खु ा रहेगी तब तक बोर्ड का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उस पद पर बना रहेगा। इस बिल के द्वारा ि ाखा को पूर्ण रूप से राजनैतिक बनाने की को ि ा ा की जा रही है। हर सरकार के स्टेंडर्ड और मापदण्ड अपने अपने होते है। एक सरकार अध्यक्ष को यह समझ कर बनाती है कि यह एक अच्छा ि ाक्षा भाास्त्री है और बार्ड को अच्छी तरह से चला कर सुचारू रूप से ि ाखा के प्रचार और प्रसार मे सहयोगी बनेगा। लेकिन ज्या ही दूसरी सरकार आती है क्योंकि सरकारो का आना तो आज कल एक आम सी बात हो गई है, तो ज्यो ही दूसरी सरकार आती है, वह आकर यह देखती है कि फलां आदमी हमारी इच्छा के अनुकूल नही है इसलिये उसका प्रसाद, उसका पलईयर उस आदमी के प्रति समाप्त हो जाता है और सरकार फौरन उस बोर्ड को भंग कर देती है जिसका कि वह चेयरमैन है। उपाध्यक्ष महोदय, यह पर पैचुअल कार्यवाही है ऐसी बात नही कि यह थ्यूरिटीकल या सैद्धान्तिक हो। यह वह बात है जो प्रैक्टिकल रूप मे हमारे सामने दो बार आ चुकी है। स्वयं स्वामी अग्निवे ा इस बोर्ड मे चेयरमैन थे। देवी लाल की सरकार ने इन्हे लगाया था लेकन कुछ ऐसे हालात पैदा हो गये जिनकी वजह से वही सरकार इनके लिये डिसपलईयर बनी। उसी सरकार

का पलईयर से खो बैठे क्योंकि उस सरकार के पद चिन्हों पर और इच्छा के अनुसार ये काम नही कर सके। इसलिये सरकार अपना प्रसाद इनके प्रति समाप्त कर बैठी और उसने स्वामी जी को चेयरमैन के पद से हटाने के लिये उस बोर्ड को भंग कर दिया। स्वामी जी ने इस चीज को बुरा महसूस किया कि ि ाक्षा मे राजनीति लाने की कोि ा ा की जा रही है। अभी जैसे भाई सुरेन्द्र सिंह ने कहा कि इन्होंने हाई कोर्ट मे रिट दायर की । जब हाई कोर्ट से रिट खारीज हो गई तो ये अपना अधिकार प्राप्त करने के लिये सुप्रीम कोर्ट तक गये। सुप्रीम कोढ मे आज भी वह रिट पैंडिंग है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदे ा का कि एक तरफ तो इसी ि ाक्षा मंत्री की एज ए एक्स चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट मे रिट पैंडिग है और दूसरी तरफ इनके एक महीने के अंदर अंदर ि ाक्षा मंत्री बनने के बाद सरकार की तरफ से यह बल अपनी ही रिट के खिलाफ सदन के सामने ला रहे है (ोम भोम की आवाजे)। अब ये चाहते है कि भिाक्षा मे राजनीति आनी चाहिए और सरकार के प्रसाद पर्यंत पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहना चाहिएं मुझे समझ नही आ रही कि ये किस तरह से इस बिल को यहां पर लेकर आये है ? इनकी जगह पर सरकार ने जो दूसरी आदमी चेयरमैन बनाया, उसको ि ाक्षा मंत्री बनने के बाद ये अपना प्रसाद नही दे सके और अपना पलईयर उस तक नही रख सके। इसलिये इन्होंने भी उसको सामप्त किया। मैंने इनसे अलग से पूछा कि क्या उसके विरूद्ध कोई चार्ज भीट या आरोप आपके पास है? इन्होंने कहा कि आरोप तो कोई नही लेकिन सरकार की

इच्छा उनको हटाने की है। उपाध्यक्ष महोदय मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब इन बोर्डो को बनाया गया था, केवल एजुके ान बोर्ड को ही नही बल्कि दूसरे बोर्डो को भी जब बनाया गया ाा तो उनके पीछे एक उद्दे य था। वह उद्दे य था कुछ स्वायतता ओर स्वतंत्रता वाली बाडीज और समितियो का गठन करनां यह सोचा गया था कि सरकार के कामो मे नियंत्रण कही ज्यादा हे, सरकार के विभागो से कुछेक काम नही हो सकते इसलिये कुछ स्वतंत्र बाडीज और स्वतंत्र संस्थाएं स्थापित की जाये जिनको बोर्ड का नाम दिया जा सके। उनमे स्वायतता हो, स्वतंत्रता हो और उस स्वायतता वाली बोडीज को सरकार के नियंत्रणसा से दूर रखा जा सके। आप यह जो बिल आया है इससे वह उद्दे य अपने आप समाप्त हो जाता है। मैं यह कहती हूं कि अगर ये मान बैठे है कि सरकार की अच्छा के अनुकूल ही बोर्ड की अध्यक्ष/उपाध्यक्ष रहना चाहिये ओर जब इस बोर्ड को बनाने का उद्दे य ही समाप्त हो रहा है तो ये एक ऐसा बिल ले आये जिससे यह बोर्ड सदा सदा के लिये समाप्त हो जाये। अगर हमारी सरकार यह मान चुकी हे कि स्वायतता और स्वतंत्रता वाली बाडीज की आज जरूरत नही हे तो इस बिल को लाने की क्या जरूरत है ? आप कोई ऐसा बिल लाइये जिससे यह बोर्ड सदा सदा के लिये समाप्त हो जाये और इसकी पुनर्स्थापना न हो और सरकार इन्हे अपने नियंत्रण मे लेकर काम कर सकें यह दिखावा करने की जरूरत नही कि स्वायत संस्था भी हमने कायम रखी हुई है और उसके ऊपर राज्य सरकार का पूरा पूरा नियंत्रण भी हों इस

दिखावे की वजाये अगर ऐसा बिल लाया जाता कि कोई स्वतंत्र संस्था और कोई स्वतंत्र बोर्ड इस प्रदे ा मे नही चलेगा, केवल मात्र राज्य सरकार के विभाग ही चलेगे तो हम मान लेते और हम उसका अनुमोदन भी कर देते लेकिन इस बिल का अनुमोदन करने मे हम लोगो को झिझक है। इन्ही भाब्दो के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां): उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा बोर्ड आफ स्कूल एजुके ान बिल ि ाक्षा मंत्री जी ने सदन के सामने रखा और मेरे से पहले बोलने वाले साथियो ने इस के इन पहलुओ पर विचार कियाजो इस बात को द ार्ते है कि सरकार इस बिल के द्वारा कितनी आरबीट्रेटरी पावज्र औरकितनी एतरफा कार्यवाही सदन से अपने हक मे पास करवाना चाहती है। उपाध्यक्ष महोदय, बात तो कुछ नही लेकिन कहे बगैर नही रहा जा सकतां अभी कुछ दिन पहले स्वामी जी से मैंने कुछ टीचर्ज की ट्रांसफर्ज के लिये कहा था। स्वामी जी का सीधा सा बौर बड़ा अच्छा जवाब था कि बंधु बात यह है कि हमाने ि ाक्षा जगत मे बहुत सुधार करने है इसलिये हब यह ट्रांसफर्ज का झगड़ा छोड़ो । हमने भी कहा कि ठीक है आप नही करते तो हम मुख्य मंत्री जी से करवा लेंगे, मुख्य मंत्री जी हमारे अच्छे मित्र है। (हंसी) मेरे कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि स्वामी जी भाायद वह सुधार ि ाक्षा बोर्ड का बिल लाने मे कर रहे थे, वही सुधार की बात इनके दिमाग मे भी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अपने

साथियों से यह कहना चाहूंगा कि इस बिल के अंदर सैक ान 4–ए एड किया गया है उसमे 'ड्यूरिंग दि पलईयर आफ दी स्टेट गवर्नमैंट' ये ऐसे भाब्द है जिनकी कोई व्याख्या नही की जा सकती। यह कोइ गारंटी की बात नही है एक सरकार को खु ी एक आदमी के साथ हमे ाा चलती रहे। हो सकता है कुछ दिन के बाद वह खु ी न भी रहे। तो मैं यह बात सिर्फ इसलिये कह रहा हूं कि हमे ाा यह होता आया है कि जहां गवर्नमैंट खुद अपनी आरबीट्रेरी पावर्ज को इस्तेमाल करती है वहां ऐसा भी प्रावधान और प्रोवीजन होता है कि किसी किस्म की कोई इन्क्वायरी अगर करवानी है तो वह किसी इंडीपैडैंट आदमी से करवाई जाये जो यह देखे कि सरकार की ऐसा करने की सिर्फ मर्जी या खु ी ही है या ि ाक्षा के विपरीत है या उससे ि ाक्षा के अंदर जो धारणाएं है उनको समाप्त किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि ये वर्ड जो सैक ान 4–ए के अंदर इनसर्ट किये गये है ये एक स्मि के इतने अधिनायकवादी और अथोरेटेरियन है निकी कोई मिसाल नही मिल सकती है। जैसे अभी बहिन सुशमा जी ने कहा कि स्वामी जी हाई कोर्ट मे इसलिये गये कि वे यह नही चाहते थे कि ि ाक्षा जगत मे राजनैतिक हस्तक्षेप हो। बल्कि स्वामी जी इसलिये गये थे कि उन्हे पद का लालच था, उनको पद से चिके रहने का स्नह था। उपाध्यक्ष महोदय, मै आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि इस बिल को जो सैक ान 16 है, उसमे अमैंडमैट की गई है कि जो दूसरी नई चीजे इनसर्ट की गई है उसमे एडमिनिस्ट्रेटर के बारे मे जिक्र

किया गया है एडमिनिस्ट्रेटर जो है वह एक साल तक अगर बोद्ध कांस्टीच्यूट नही होगा , जो उसका कार्यभार उसको सौंपा जायेगा और उसके साथ साथ यह बात भी लिखी है कि एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा किये गये सारे कार्यो की एप्रूवल स्टेट गवर्नमैंट देगी। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी सरकार को इस बात की भी तसल्ली नही है कि कोई सरकार आदमी, जिसको सरकार एडमिनिस्ट्रेटर लगाने की बात सोचती है वह भी उनकी नजरों म `रहे और उनकी खु ी के काम करे यानी वह भी सरकार की पलईयर पर काम करे। ये जो इस बिल के अंदर बाते रखी गई है इनसे साफ जाहिर होता है कि यह बिल किसी राजनीजिक उद्दे य से लाया जा रहा है। ि ाखा के अंदर ऐसे राजनीजिक हस्तक्षेप दुर्भाग्यपूर्ण बात है और यह बात कहना कि एक आदमी एक दिन अच्छा ि ाक्षा भाास्त्री था और दूसरे दिन नही था, यह वहां तक उचित है। इन्ही की सरकार ने जो जनता पार्टी की सरकार पहले थी और अब भी है, जो बोर्ड का अध्यक्ष बनाया वह एब अच्छा भाास्त्री है। इसमे कोइ दो राय नही कि वह अच्छा पढ़ा लिखा और अच्छा ि ाक्षा भाास्त्री है मगर सरकार के बदलने से उनका ि ाक्षा भाास्त्री होना गलत सिद्ध होता है। यदि कोठ ऐसा आदमी जो पहले अच्छा ि ाक्षा भाास्त्री नही था और वह अब अच्छा ि ाक्षा भाास्त्री बनता है तो यह एक बहुत ही निराधार बात है। इस बिल से यही जाहिर होता है कि पालिटिकल मोटिव के तहत चंद लोगा को अकमोडेट करने के लिये और अपनी गद्दी कायम रखने के लिये यह बिल लाया जा रहा है। उपाध्यक्ष

महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वामी जी से यह दरख्वास्त करूंगा कि जो इस किस्म के आबीट्रेरी भाब्दो का प्रयोगा किया गया है और यह प्रस्ताव किया गया है कि आरबीट्रेरी ताकत सरकार को दी जाये, यह एक निहायत ही भार्मनाक बात है। उसके साथ साथ मैं यह बात भी कहने से नही हिचकिचाऊंगा कि अगर इसी तरीके से करपोरे ांज और बोर्ड को चलाया गया तो उनको कोई उद्दे य नही रह जाता है। इससे तो साफ जाहिर होता है कि स्वामी जी यह चाहते है कि बोर्ड का जो भी चेयरमैन बनाया जाये, वह सरकार की मर्जी का हो और स्वामी जी की मर्जी का हो। ऐसे तो बहुत से 'वे ा' स्मामी जी के पास होंगे, उनमे से किसी को चेयरमैन लगा दे या अपने पी.ए. को चेयरमैन लगा दे.....

स्वामी आदित्यवे ाः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्र न है। माननीय सदस्य इस बिल पर बोल रहे है या किसी और चीज पर बोल रहे है।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, इससे साफ जाहीर होता है कि इस तरीके से जो चेयरमैंन कापोरे ांज या बोर्ड मे रखे जाते है, वे पालिटिकल प्रै ार से व एडमिनिस्ट्रेटिव एक ान से ऊपर हो कर काम करे। ऐसी बहुत सी कारपोरे ांज है जो कमर् िलाइज्ड है और वे बिजनैस करती है, उनमे जो चेयरमैन की नियुक्ति हो वह नियुक्ति हो वह सरकार की मर्जी से हो और उसको सरकार अपनी मर्जी के खिलाफ न चलने दे। यदि वह सरकार की मर्जी के खिलाफ चले और सरकार उससे नाराज

हो तो उन्हे हटाया जा सकता है लेकिन यह जो विधेयक सदन मे प्रस्तुत किया गया है ऐसा विधेयक लोने से जो प्रजातान्त्रिक ढांचा है वह सारा खतरे मे पड़ सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, अंत मे मैं यही कहूंगा कि स्वामी जी मैंबबर्ज के विचारो को ध्यान मे रखते हुए इसमे कम से कम इतना अव य करे कि इस बिल मे जो पलईयर आफ दी गवर्नमैंट की बात कही गई, इसमे यह प्रोवीजन होना चाहिए कि इनडिपेंडैअ आदमी, चाहे वह हाई कोर्ट का जज हो, चाहे कोई दूसरा आदमी हो, उनसे इंकवायरी करवाई जाये और अगर वह दोशी पाया जाये तभी उस बोर्ड के चेयरमैन को या कारपोरे ांज के चेयरमैन को उसके पद से हटाया जायें यह मेरा सुझाव है इस पर सरकार गौर करे।

स्वामी आदित्यवे ाः उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे योग्य महानीय सदस्यो ने इस बिल के संबधं मे अपने अपने विचार रखें मैं उनसे निवेदन करना चाहूंग कि उन्होंने इस बिल की गहराई मे जाने का प्रयास नही कियां प्रजातांत्रिक व्यवस्था मे जनता सर्वोच्च है और जनता के बाद सर्वोच्च है जनता के प्रतिनिधी, जिनको उसने यहां पर चुन कर भेजा है। इसलिये बोर्ड सरकार से सर्वोच्च नही है। हमारी सरकार ने यह महसूस किया कि बोर्ड सरकार से भी सुप्रीम बनता जा रहा है इसलिये बोर्ड पर यह रोक लगाने के लिये सदन के सामने यह बिल पे ा किया गया है। मैं समझता हूं कि यह बिल लाना बहुत ही जरूरी था क्योंकि यदि कोई भी आदमी स्वतंत्रता से मनमाने ढंग से काम चलाता है तो उसकी

मनमानी पर लोक लगाने के लिये ऐसा करना जरूरी था और इसीलिये सरकार ने ऐा विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूं कि सरकार ने यह बहुत अच्छा कदम उठाया है। जहां तक मेरे साथियों ने कहा कि स्वामी जी चेयरमैन बनने के लिये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट गये ऐसा नही बल्कि चौधरी देवी लाल की बदले की भावना के खिलाफ गये थें 8 मई को चौधरी देवी लाल की लीडरि ाप के खिलाफ नो कांफीडैंस हुआ था उसके बाद उन्होंने बदले की भावना से 10 मई को स्वामी जी को, बोर्ड से बर्खास्त कर दिया था। राजनीतिक बदले की भावना से इनको बर्खास्त किया गया था। स्वामी जी देवी लाल की बदले की भावना की वजह से ही हाई कोर्ट मे गये थे। हाई कोर्ट ने उनकी रिट पर ध्यान नही दिया होगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिट पर गम्भीरता से विचार किया और स्वीकार कर लिया। इसलिये मैं समझता हूं कि स्वामी जी ने पद के लालच के लिये यह कदम नही उठाया था बल्कि चूंकि उनको बदले से हटाया गया था इसलिये वे न्यायालय मे गये। आज सदन के सामने ि ाखा बोर्ड के संबंध मे जो बिल रखा गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

ि ाक्षा मंत्री (स्वामी अग्निवे ा): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खु ी हुई हे कि हमारे माननीय सदस्यो ने इस विधेयक पर बहुत खुल कर अपने विचार प्रकट किये है। मैं इनका एक एक उत्तर दे करके फिर उसके बाद जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसके बारे मे अपने विचार प्रकट करूंगा। हमारे साथी चौधरी सुरेन्द्र

सिंह जी ने कहा कि कांग्रेस के समय मे इस बोर्ड को राजनीति से अलग रखा गया था। कांग्रेस के समय इस बोर्ड मे कोई घपलेवाजी नही हुई थी। कांग्रेस के समय मे बोर्ड का कार्य बहुत बढ़िया ढंग से करता था। उपाध्यक्ष महोदय, मै आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्शित करूंगा कि कांग्रेस के समय इस बोर्ड का गठन हुआ था। उसक`बाद जनता पार्टी की सरकार आने तक इस बोर्ड के जो भी चेयरमैंन नियुक्त किये गये थे, उनमे से कोई भी ि ाक्षा भाास्त्री नही था, यह तो कोइ अफसर लगा दिया गया। फिर बाद मे इनको अपने आदे ा स्वयं रद्द करने पड़े क्योंकि इनको पता था कि अब स्टेट मे भी जनता पाटी की सरकार आने वाली है। उससे पहले तो चेयरमैन लगाया हुआ था वह पब्लिक सर्विस कमि ान का रिटायर्ड मैंबर था। रूल्ज के मुताबिक पब्लिक सर्विस कमि ान का कोई भी रिटायर्ड मैंबर किसी बोर्ड या कारपोरे ान आदि का चेयरमैन नही बना सकता लेकिन उसको इन्होंने जबरदस्ती लगा दिया। जब वह 3 साल पूरे करने जा रहा था तो इनको हो ा आया कि हमने तो एकदम गलत काम कर दिया है जिसका कोई औचित्य नही बन सकता। इसके बाद जनता सरकार आने वाली है, इससे पहले पहले इस्तीफा दे दो, इस तरह आपका पीछा छूट सकता है । (व्यवधान) इसके बाद आप अंदाजा लगा सकते है कि कि प्रकार काम होता रहा। इसी दौरान इनके भाासन काल मे जब बोर्ड का संचालन चलता रहा तो इनके खिलाफ लाखों रूपये के घोटाले के आरोप तैयार किये गये। इस की इन्क्वायरी हुई और इन्क्वायरी की रिपोर्ट बन गई। इन्क्वायरी

की रिपोर्ट 1970 से 1977 तक के पीरियड की थी। मेरी अप्यंटमैंट होने के पहले तक की रिपोर्ट थी जो सरकारी महकमे ने तैयार करके रखी हुई थी। जब चौधरी देवी लाल ने मुझे चेयरमैन बनाया तो उन्होंने मुझे अपने अनुकूल नही पाया। उन्होंने सोचा था कि मैं उनके इ ारों पर नाचू। अप्वायंटमैंअ करते वक्त यह सोचा था कि टुकड़ा डाल दिया है, इस पर यह आराम से पड़ा रहेगा, मेरे खिलाफ बयान दिया तो इनको बरदास्त नही हुआ। ये सोच भी नही सकते थे कि वह चेयमैन जिसको उन्होंने चेयरमैन बनाया है, उसके खिलाफ ब्यान दे। इस बिना पर उन्होंने मेरे साथ बातचीत करनी बंद कर दी। इसके बाद 1970–71 की वह रिपोर्ट के आधार पर मुझ पर आरोप लगाकर कहा कि क्यो न बोर्ड को भंग कर दिया जाये। जब मै। हाई कोर्ट मे गया तो जज ने एडवोकेट जनरल से सवाल पूछा कि क्या वे आरोप इन के समय के है ? एडवोकेट ने स्वीकार किया कि जब तक ये चेयरमैन रहे, कोई आरोप इनके खिलाफ नही है........

श्री भाम ोर सिंहः डिप्टी स्पीकर साहिब, स्वामी जाी बिल पर बोलने की वजाये पर्सनल एक्सप्लेने ान दे रहे है। इन से कहा जाये कि बिल पर बोलें।

स्वामी अग्निवे ाः बिल के ऊपर आप खुद बोलते तो बात होती । खुद एलीगे ान लगाते है और जब मै बोलता हूं तो एतराज करते है। मुझे इनकी बातो का जवाब देने का अधिकार है। मैंने केस इस लिये नही किया, जैसे सुरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि

मुझे रूपये का लालच था। अगर मुझे लालच होता तो मुझे वेतन छोड़ने की जरूरत नही थी। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी देवी लाल ने जब मुझे लगाने की धोशण कर दी तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको बात स्वीकार करने के लिये तैयार नही हूं। मैंने प्राईम मिनिस्टर श्री मोरारजी देसाई से कहा कि मैं इस सिद्धांत के खिलाफ हूं कि एक एम.एल.ए. आफिस आफ प्रौफिअ होल्ड करे। उन्होंने कहा कि आप आफिस की जिम्मेवारी ले लो और प्रौफिट का हिस्सा छोड़ दे। उनको आदे ा मानकर और अपने साथियो की राय लेकर मैंने दोबारा नोटिफिके ान जारी करवाया और घोशित कर दिया कि अढ़ाई हजार रूपये महीने की जो तन्खाह मुझे मिलती है, वह मैं नही लूंगां एक पैसा भी नही लूंगा और उसके बाद मैंने एक पैसा नही लियां यहां तक कि जो टी.ए.डी.ए. आदि बनता था वह भी नही लिया था। जहां तक कार के इस्तेमाल का ताल्लुक है, जहां भी मैंने कार का इस्तेमाल किया, यह बोर्ड के काम के लिये किया, निजी काम के लिये कभी इस्तेमाल नही किया।

श्री भाम ोर सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्वामी जी ने तन्खाह न लेने की बात तो कर दी लेकिन इसके साथ यह नही बताया कि 2200 रूपया महीना उनकी कोठी का किराया था जिसमे वे रहा करते थे। (व्यवधान)

उद्योग मंत्री (डॉ. मंगल सैन)ः कोठी मे तो रहना ही था। (व्यवधान)

स्वामी अग्निवे ाः डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने कार का प्रयोग सार्वजनिक काम के लिये इस्तेमाल किया है, निजी काम के लिये नही किया है। आप कार की लोंग बुक निकाल कर देख सकते है, बोर्ड के काम के अलावा कहीं भी किसी दूसरे काम के लिये कार का प्रयोग नही किया। जहां कहीं आर्य सामज के कार्य के लिये इस्तेमाल किया, वहां मैंने पैट्रोल का बिल दिया, आप देख सकते है। जहां तक कोठी के किराये का ताल्लुक है, उस कोठी का किराया 2200 रूपया नही हे, 800 रूपया महीना है जिसके एक तिहाई हिस्से मे बोर्ड का दफतर बनाया हुआ था, एक तिहाई मे गोडाउन था और एक तहाई मे मैं रहा करता था। मैं यह नही कहता कि इस के लिये चे मुझे प्र ांसा पत्र दे, लेकिन मैं अपने साथियों को अपना पोजी ान स्पश्ट करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, बहन सुशमा जी ने एक सूचना दी है और भाायद उनकी सूचना मेरी सूचना से ज्यादा औथैंटिक होगी। केस मैं लड़ रहा हूं, मैंने सुप्रीम कोर्ट मे फाइल किया था और वह भी ि ाक्षा मंत्री बनने के लगभग साल भर पहले फाईल किया था। केस विदड्रा करने की बात भी हुई। मैंने अपने वकील को, जो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील है, उनसे कहा कि केस वापिस ले लो। मैंने देखा कि अब केसा का कोई औचित्य नही बनता। अकेले बोर्ड की बात नही.......(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः एक्ट के ऊपर अगर आप कुछ कहना चाहते है तो कहे, समय हो रहा है।

स्वामी अग्निवे ा: उपाध्यक्ष महोदय, ये एलीगे ान इसलिये लगाये हे क्योंकि मै ि ाक्षा मंत्री हूं और दूसरी तरफ केस भी कर रहा हूं। ये इस तरह की बाते कर रहे है कि जो इनको भाोभा नही देती। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथियो ने कहा कि ि ाक्षा के क्षेत्र मे ि ाक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिये सरकार ने कोई काम नही किया है। अगर मेरे साथी यह समझते है कि हम अपने हाथ मे अधिकार सीमित करने के लिये यह बिल लाये है तो हम आर्डिनैंस इ ू करके एक साल तक बोर्ड को अपने अधीन रख सकते थे। यदि मेरी नीयत यह होती कि मैं बोर्ड को अपने अंगूठे के नीचे रखूं.....

Sh. Shamsher Singh: Swamiji is making a worng statement. In the statement of objects and reasons, it has been clearly stated that as the Board of School Education was consitituted under statutory provisions, it could not be dissolved in accordance with the decision of th Council of Ministers because there is no provision int he Board of Schook Education Act, 1969, enabling the State Government to do so. Therefore, this Bill has been brought forward to enable the State Government to dissolved the Board or remove non official members at the pleasure of the State Govenrment.

स्वामी अग्निवे ा: जो आर्डिनैंस इ ू किया था उसके अंतर्गत यदि हम चाहते तो एक साल तक बोर्ड मे किसी अधिकारी को प्र ाासन बनाकर रख सकते थे। लेकिन साल भर तो दूर रहा, छः महीने भी नही हुए, जो प्र ाासन हमने नियुक्त किया था

उनकी जगह श्री ई वर सिंह को चेयरमैन के पद पर नियुक्त कर दिया। यह सोचना कि मैं सत्ता का केन्द्रीकरण करना चाहता था इसलिये आर्डिनैंस जारी किया गया, यह बिल्कुल गलत बात है। (व्यवधान)। मेरे विरूद्ध चौधरी देवी लाल ने आरोप लगाए जो मेरे पीरियड से संबंधित नही थे, लेकिन जो आर्डिनैंस सदन मे रैटीफाई करने के लिये सदन मे लाए है, जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है वह छः महीने के पीरियड का है। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड, खादी बोर्ड से संबंधित भी विधेयक है जो सदन मे छः महीने के अंदर लाये है। उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को लाने का फैसला सारी कैबिनेट ने सर्वसम्मति से लिया था, राजनीतिक कारणो से पीड़ित होकर यह निर्णय नही लिया ं कैबिनट ने जो फैसला लिया वह आपके सामने लाया गया और आपको पूरा अधिकार है इसको निरसित करने का। हम सदन के सामने इस आध्यादेश को एक्ट के रूप मे इसलिये लाए है ताकि सदन इसकी पुश्टि कर सके क्योंकि यह सरकार ताना ाही की तरफ नही जाना चाहती, सरकार किसी के अधिकारो को कम नही करना चाहती। सरकार ने उस व्यक्ति को हटाकर जनता का प्रतिनिधि बैठा दिया हैं उनकी योग्यता यह भी कि उन्होंने चौटाला से चण्डीगढ़ तक एक किताब लिखी थी और वे उनके अपने इलाके के रहने वाले थे। (विघ्न) मैं इन सब बातो मे नही जाता। (विघ्न)

(इस समय श्री अध्यख पदासीन हुए)

श्री बलदेव तायलः स्पीकर साहब, मैं अपने मंत्री महोदय को सुझाव दूंगा कि अगर वे स्त्रियों और बालको के आरोपो को हंसते हंसते सह ले तो बेहतर होगा। (हंसी)

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, मैं पर्सनल ऐक्सप्लेने ान पर कुछ कहना चाहूंगी। (विघ्न)

श्री सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय यदि बिल के बारे मे कुछ जानते हो तो बोले वरना इन पोलिटिकल बातो को जाने दे। (विघ्न)

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री बलदेव तायल जी का आरोप बहुत निराधार एवं गलत है। हम मे से प्रस्येक सदस्य एक लाख जनता की नुमायंदगी यहां करता है। माननीय सदस्य अगर हमारे आरोपो को स्त्रियों और बालकों के आरोप कह कर टालना चाहते हो तो यह बड़ी बात है और उसे हाउस की कार्यवाही मे से ऐक्सपंज किया जाये। (विघ्न)

श्री बलदेव तायलः अध्यक्ष महोदय, जो बात मैंने कही और जिस पर सुशमा जी को एतराज हुआ, उसको मैं अपने ऊपर लेता हूं और बहिन सुशमा जी ने जो कहा वह मुझे स्वीकार है। (विघ्न)

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, यह तमाम महिला जगत का अपमान है, यह तमाम स्त्री जाति का अपमान है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। देखिये, हाउस के सामने बिजनैस बहुत लम्बा है। मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि सदन का समय जायान करे बल्कि इसे जल्दी से जल्दी समाप्त करने की कोि ाश करे। जिन्होंने कुछ कहना है, वे अच्छी तरह से कह ले, मैं कतई नही रोकूंगा।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी रिजक राम): स्पीकर साहब, बलदेव तायल जी ने एक आरोप लगाया है लेकिन आपके द्वारा मैं उनसे कहना चाहूंगा कि महज कद की बिना पर बालक कहना ठीक बात नही है। (हंसी)

स्वामी अग्निवे ा: अध्यक्ष महोदय, यहां ि ाक्षा के स्तर को ऊंचा करने की बात कही गई । हमारी सरकार इस दि ाा मे आव यक कदम उठा रही है। हरियाणा मे हजारो अध्यापक 6—6 महीने के लिये लगाए जाते थे और हटाये जाते थे। यहां यह एक परम्परा चली आ रही थीं लेकिन हमने दस दस साल से सिक्स मंथस बेसिज पर लगे हुए अस्थाई अध्यापको को स्थाई कर दिया है।

Mr. Speaker: I would request the Hon. Minister to stick to the points in the Bill.

स्वामी अग्निवे ा: चूंकि समय कह है, इसलिये मैं इन बातो मे नही जाता। (व्यवधान)

श्री भाम ोर सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, स्वामी जी को बोलते हुए आधे घंटे से ज्यादा हो गया है लेकिन उन्होंने एक लफ्ज भी बिल के क्रिटिसिजम के जवाब मे नही कहा। पहले ये अपनी पर्सनल ऐक्सप्लेने ान देते रहे और अब कह रहे है कि हमने अध्यापक पक्के कर दिये जब कि इस बात का बोर्ड से कोई संबंध नही है।

स्वामी अग्निवे ाः ज्यादा न कहते हुए अब मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि इस विधेयक को पास किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्र न है कि–

दि हरियाणा बोर्ड आफ स्कूल एजुके ान (अमैंडमैंट) बिल पर तुरंत विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगां

क्लाज 2

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं जब बिल पर बोल रहा था तो मैंने बिल मे से ये वर्डन कोट किये थे– "Chairman, Vice Chairman and Members to hold office during pleasure of State Government." इसके बारे मे मैंने स्पैसिफिकली

अपनी बात कही थी लेकिन स्वामी जी ने बहस का उत्तर देते हुए इस बात को कोई जिक्र नही किया।

Mr. Speaker: Have you given an amendment.

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः मैंने अमैंडमैंड नही दी लेकिन अपने भाशण मे मैंने यह बात कही थी। कम से कम ये इसका जवाब तो दें

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): जवाब लिख कर भेज देंगे।

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 4

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 4 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

ि ाक्षा मंत्री (स्वामी अग्निवे ा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

दि हरियाणा बोर्ड आफ स्कूल एजुके ान (अमैंडमैंट) बिल पास किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि हरियाणा बोर्ड आफ स्कूल एजुके ान (अमैंडमैंट) बिल पास किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि हरियाणा बोर्ड आफ स्कूल एजुके ान (अमैंडमैंट) बिल पास किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दी मैडिकल कालेज रोहतक (रिपीलिंग) बिल, 1979

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती डॉ. कमला वर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं आयुर्विज्ञान महाविद्यालय रोहतक (निरसन) विधेयक, 1979 प्रस्तुत करती हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करती हूं कि–

कि आयुर्विज्ञान महाविद्यालय रोहतक (निरसन) विधेयक, पर तुरंत विचार किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि मैडिकल कालेज रोहतक (रिपीलिंग) बिल, पर तुरंत विचार किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्र न है कि–

दि मैडिकल कालेज रोहतक (रिपीलिंग) बिल, पर तुरंत विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती डॉ. कमला वर्मा): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करती हूं–

कि आयुर्विज्ञान महाविद्यालय रोहतक (निरसन) विधेयक, पास किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि मैडिकल कालेज रोहतक (रिपीलिंग) बिल, पास किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्र न है कि–

दि मैडिकल कालेज रोहतक (रिपीलिंग) बिल, पास किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दी हरियाणा हाउसिंग बोर्ड (अमैंडमैट) बिल, 1979

विकास मंत्री (राव राम नारायण): अध्यक्ष महोदय, मैं दी हरियाणा हाउसिंग बोर्ड (अमैंडमैट) बिल, 1979 प्रस्तुत करता हूं।

प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करती हूं कि–

कि हरियाणा हाउसिंग बोर्ड (अमैंडमैट) बिल, पर तुरंत विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि हरियाणा हाउसिंग बोर्ड (अमैंडमैट) बिल,, पर तुरंत विचार किया जाये।

श्रीमती सुशमा स्वराज (अम्बाला छावनी): अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विद्यालय ि ाक्षा बोर्ड पर मैंने अपने विचार रखे थे। यह भी वैसा ही बिल है लेकिन एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगी। अभी स्वामी आदित्यवे ा जी ने बोलते हुए जिस आधार पर उस बिल को पास करवाने योग्या माना था वह यह था कि क्योंकि जनता की सत्ता सर्वोच्य है इसलिये सरकार का नियंत्रण ऐसे बोर्ड पर जरूरी है। इसी लिये उन्होनें इसकी सरहना भी की थीं इस

सिलसिले मे मैं एक बात कहना चाहती हूं कि ऐसी कार्पोरेशन मे जहां एम.डी. का प्रोवीजन हे और एम.डी. लगे हुए है वहां सारी एग्जेक्टिव पार्वज मैनेजिंग डायरेक्टर के हाथ मे होती है यानि आई.ए.एस. और एच.सी.एस. आफिसर्ज के हाथ मे है । वहां तो उनकी यह दलील स्वाभाविक जंच सकती है कि उसके ऊपर ऐसा चेयरमैन लगाया जाये जो कि जनता को सर्वोच्च सता को कायम रख सके, जो जन प्रतिनिधि हो और गैर सरकार हो। वहां तो उनको यह दलील, उनका यह सुझाव चल सकता है। लेकिन ये जो बोर्ड है, स्टेयूक्री बाडीज है इनमे कहीं भी एम.डी. का प्रोवीजन नही है, न हाउसिंग बोर्ड मे है और नही एजुके ान बोर्ड मे है। यहां पर तो चेयरमैन ही नान आफि ायल उन पर राज्य सरकार का नियंत्रण हो तो यह बिल्कुल उल्टी बात पड़ जाती है। राज्य सरकार सैक्रेट्रीज के हाथो से चलती है और ये राज्य सरकार मे आई ए.एस. आफिसर होते है। अब यहां यह हो गया है कि जिन जिन प्रतिनिधियों के हाथो मे बोर्डो को सत्ता दी जा रही है, उनके ऊपर राज्य सरकार का नियंत्रण लगा कर वे अपनी ही दलील को इस बात से काटते है। इसलिये मैं यह कहती हूं कि जनता की सर्वोच्च सत्ता वाली जो बात है वह बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगी कि जब हमने एक क्लाज रखी है, इस तरह का प्रावधान रखा है कि सरकार की प्रसाद पर्यात ही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद धारण करेगा और अपने पद पर बना रहेगा तो उसमे जो सबसे बड़ी भांका भी गैर राजनीतिक हो जो प्रदे ा की सेवा करना चाहता हो, वह इस तरह के पदों

पर नियुक्त नही होना चाहेगा क्योंकि जो आदमी राजनैतिक होगा वह तो during the pleasure of the Government ही चेयरमैन रह सकता है। इन बोर्डो के पीछे एक भावना थी कि बहुत अच्छे लोग इन के अध्यक्ष लगाये जायें जो गैर राजनीतिक हो, जो इन बोर्डो का प्र ाासन अच्छी तरह से चला सके लेकिन अब अच्छे ि ाक्षा भाास्त्री इसलिये नही आना चाहेंगे क्योंकि इस तरह की क्लाज लगाई हुई है। कोइ भी अच्छा आदमी जो गैर राजनैतिक होगा, सरकार की अच्छा के अनुकूल पर धारण करने के लिये तैयार नही होगा। इसलिये ये इन बोर्डो की स्वयतता समाप्त कर रहे है और बहुत गल्त काम करने जा रहे है।

विकास मंत्री (राव राम नारायण): अध्यक्ष महोदय, इस बिल के पीछे जो भावना है वह बहुत अच्छी है ताकि अच्छे आदमी वहां बोर्डो मे लगाये जा सके और वहां का प्र ाासन ठीक प्रकार से चल सके।

श्री अध्यक्षः प्र न है कि–

दि हरियाणा हाउसिंग बोर्ड (अमैंडमैट) बिल,, पर तुरंत विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्षः प्र   न है:—

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्षः प्र   न है:—

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 4

श्री अध्यक्षः प्र   न है:—

कि क्लाज 4 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्र   न है:—

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्र   न हैः–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री अध्यक्षः प्र   न हैः–

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विकास मंत्री (राव राम नारायण): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं किः–

दि हरियाणा हाउसिंग बोर्ड (अमैंडमैंट) बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ किः–

दि हरियाणा हाउसिंग बोर्ड (अमैंडमैंट) बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र   न है किः–

दि हरियाणा हाउसिंग बोर्ड (अमैंडमैंट) बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

दि पंजाब खादी एण्ड विलेज इन्डस्ट्रीज बोर्ड (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1979

उद्योग मंत्री (डा. मंगल सैन): अध्यक्ष महोदय, मैं दि पंजाब खादी एन्ड विलेज इन्डस्ट्रीज बोर्ड (हरियाणा अमैंडमैट) बिल, 1979 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं किः—

दि पंजाब खादी एन्ड विलेज इन्डस्ट्रीज बोर्ड (हरियाणा अमैंडमैट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ किः—

दि पंजाब खादी एन्ड विलेज इन्डस्ट्रीज बोर्ड (हरियाणा अमैंडमैट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र न है किः—

दि पंजाब खादी एन्ड विलेज इन्डस्ट्रीज बोर्ड (हरियाणा अमैंडमैट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचा करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्षः प्र न हैः–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्षः प्र न हैः–

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 4

श्री अध्यक्षः प्र न हैः–

कि क्लाज 4 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 5

श्री अध्यक्षः प्र न है:–

कि क्लाज 5 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 6

श्री अध्यक्षः प्र न है:–

कि क्लाज 6 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 7

श्री अध्यक्षः प्र न है:–

कि क्लाज 7 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्र न है:–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्र न है:–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री अध्यक्षः प्र न है:–

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उद्योग मंत्री (डा. मंगल सैन): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:–

दि पंजाब खादी एन्ड विलेज इन्डस्ट्रीज बोर्ड (हरियाणा अमैंडमैट) बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि:–

दि पंजाब खादी एन्ड विलेज इन्डस्ट्रीज बोर्ड (हरियाणा अमैंडमैट) बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र न है कि:–

दि पंजाब खादी एन्ड विलेज इन्डस्ट्रीज बोर्ड (हरियाणा अमैंडमैट) बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13.00 बजे

दि हिन्दू सक्सै ान (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1979

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं दि हिन्दू सक्सै ान (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1979 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं किः—

दि हिन्दू सक्सै ान (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ किः—

दि हिन्दू सक्सै ान (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाये।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू (पाई): स्पीकर साहब, आज हरियाणा के लिए बहुत ही ज्यादा खु ी का दिन है। स्पीकर साहब आज से कई साल पहले यह काला कानून पास किया गया था। इस कानून की वजह से हरियाणा में हजारों नौजवानों के कत्ल हो चुके हैं। घरों के अन्दर भाई और भाई—बहनों में झगड़ा हो चुका है ओर आज हालत इतनी खराब हो चुकी है कि कई गांवों में जमीन के कारण काफी झगड़े हुए हैं जिसके कारण गांवों

के लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। आज मैं इस सरकार का और खास कर के मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल जी को दिल से मुबारिकबाद देता हूं जिन्होंने कई सालों के बाद हरियाणा की जनता के हित में इस काले कानून का रद कराने के लिए विधेयक पे ा किया। हमने सन् 1967 में, अब राव बीरेन्द्र सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, तब एक रेजौल्यू ान पास करके सेन्ट्रल सरकार को भेजा था कि इस काले कानून को बदला जाए लेकिन सेन्ट्रल सरकार ने नहीं बदला। जो पहली सरकार थी वह किसानों की ठेकेदार थी लेकिन वह ठेकेदार सरकार भी इस कानून को नहीं बदल सकी। मुझे बड़ी खु ी है कि यह सरकार इस बिल को इस भाक्ल में लायी है। मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं, जैसा कि सत्यार्थ प्रका ा मं लिखा है कि रि ते नाते दूर होने चाहिए, बेटी को दूर ब्याहना चाहिए। मैं वकील हूं रोजाना हमारी बहनें भाईयों के नाम जमीन जायदाद करवाने के लिए दिवानी अदालतों में चककर लगाती रहती हैं। उनको वहां पर काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। इस तरह से जो हमारे समाज का ढांचा है, वह काफी खराब हो चुका है और अब लोगों में इतना लालच आ गया है कि वह सगाई लेते वक्त यह सोचा करते हैं कि ऐसे कुनबे में लड़का ब्याहा जाना चाहिए जहां कि लड़की का कोई भाई न हो और अल्टीमेटली वह लड़का घर जमाई बन जाता है इस तरह से गांवों में हालत बहुत खराब हो चुकी है। मैं यह चाहता हूं कि जो जमाई गांवों में आकर बस गए हैं, उनको उल्टा भिजवा दो। (हंसी) जो लड़की का हिस्सा पहले कानून के मुताबिक मायके में

मिलता था वह बड़ी खराब चीज थी, उससे उसका प्यार वहां पर कम हो जाता था क्योंकि अल्टीमेटली जमाई ही उसका मालिक होता था। स तरह से भाहरों में हालत खराब नहीं हैं। इसके लिए यह जो बिल लाया गया है यह बहुत अच्छा बिल है। इसलिये मैं कांग्रेस 'आई' की तरफ से इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं और यह चाहता हूं कि इसको सर्वसम्मति से पास कर दिया जाये।

राव बीरेन्द्र सिंह (अटेली): स्पीकर साहब, यह जो बिल लाया गया है यह वाकई इस सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है। सन् 1967 में चौधरी रिजक राम जी ने असैम्बली में एक रेजौल्यू ान पे ा किया था जो कि उस वक्त यूनानीमसली पास किया था कि इस कानून का इस तरीके से बदला जाये जिस तरह से कि यह सरकार तजवीज कर रही है। मुझे बड़ी खु ी है कि चौधरी रिजक राम जी के रखे हुए रेजौल्यू ान पर आज 12 साल के बाद अमल हो रहा है। इस बात पर असैम्बली में यह सरकार इस बिल को लायी है इसके लिए मैं ट्रेजरी बैचिंज को और सरकार को मुबारिकबाद देता हूं। हकीकत में गांवों के अन्दर जमाबन्दी टूटने लगी थी। यह भी किसी हद तक जरूरी है कि हमारी बहनों का हिस्सा कहीं न कहीं होना चाहिए लेकिन भाहरी जायदाद, नकद पैसे और जमीन की मलकीयत में बहुत फर्क है। जहां तक भाहरी यदाद का ताल्लुक है, लड़कियों का हक मिलता भी है और मिल भी रहा है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे झगड़े पैदा होते है। पराने जमाने में गांवों में लोग

कुनबे के तौर पर या गोत के तौर पर बसे हुए हैं। यह देखने में आया है कि जहां गांवों के अन्दर एक ही गोत के एक ही ब्लड के लोग रहते है उनके अन्दर जमाबन्दी कम होती है झगड़े कम होते हैं जिन गांवों में मुखतलिफ गोत के लोग बसते हैं वहां पर आपस में हीं पंचायतों के झगडे, तो कहीं बैंकों के साथ झगडे और कही पर सोसायटी में इलैक ान के झगड़े इतने ज्यादा हो गए हैं कि गांवों की जिन्द्री तबाह हो रही है। आम तोर पर पहले यह समझा जाता था कि गांवों में रहना ऐ ा और आराम की चीज थी लेकिन अब जो गांवोें के समझदार लोग हैं या पढ़े–लिखे लोग हैं, जो आराम से रहना चाहते है, वे गांवों की जिन्दगी छोड़ कर भाहरों की तरफ भाग रहे है। जमीन जैसी चीज के ऊपर अगर आदमी गुजारा करे तो उसको आराम नहीं मिलता। मु कल से गुजारा ही चल पाता है। चाहे कोई ज्यादा जमीन का मालिक ही क्यों ने हो लेकिन उसको बहुत ज्यादा बचत नहीं होती है। इस तरह से गांवों की जिन्दगी खराब हो रही थी। बहनों का हक उनको उनकी सुसराल में देने के लिए तजवीज की जा रही है। यह ठीक है कि बहने अपनी सुसराल में अपना हिस्सा लें मायके में हिस्सा होने से गांवोें में जो भाई–बहनों के झगड़े होते है, और उनमें जमीन के मामले में कई बार कत्ल तक हो जाते है, वह भी नहीं होंगे और बहनों की सुसराल में इज्जत बढ़ेगी, यह एक बहुत ही मुनासिब कदम है। लड़कियों को हिस्सा अपने बाप की जायदाद की बजाये सुसराल की जायदाद से मिले ताकि उनकी सुसराल में भी इज्जत हो और मायके में भी इज्जत बनी रहें।

दूसरी बात यह है कि जमीन के जितने ज्यादा हिस्से होंगे, उतनी ही ज्यादा होंल्डिग अन–इकौनोमीकल होगी। इससे जो हमारी माताएं और बहिनें खुदकु ी करती थीं, वे भी कम होंगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि खुदकु ी के वाकयात अब कम होंगे। उनका सुसराल में और मायके में प्यार बढ़ेगा। जब तक लड़कियों का प्यार अपने मायके और सुसराल दोनों में नहीं होगा तब तक वह अपने घर में बस नहीं सकती। इसलिये दोनों के लिए यह बिल सराहनीय है। लड़कियों का सुसराल में हिस्सा होने की वजह से उनकी इज्जत बढ़ेगी और भाईयों में अपने मां–बाप और कुनबे के अन्य सदस्यों मे उनका प्यार बढ़ेगा। यह एक बहुत अच्छी चीज लड़कियों के लिए की जा रही है। मं उमीद करता हूं कि इससे सारे बहिन–भाई खु ा होंगें जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैंने तो 1967 में यह ऐलान किया था कि अगर मेरी गवर्नमैंट कुछ दिन और कायम रही तो उस रैजोल्यू ान को, जो चौधरी रिजक राम जी ने पे ा किया था कानून में तबदील करूंगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती वह रही कि हम उसे कानून की भाक्ल में पास नहीं कर पाये। अब जो यह एक्ट में सं ाोधन किया जा रहा है, इसके लिए मैं इस सरकार का धन्यवाद करता हूं और इस अमैंडमैंट का समर्थन करता हूं।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी रिजक राम): स्पीकर साहब हिन्दू सक्सै ान एक्ट में तरमीम का प्र न तीसरी बार अब सदन के सामने आया है। जैस कि हमारे दोस्त राव साहब ने

फरमाया है कि सन् 1967 मे ंमैंने एक प्रस्ताव रखा था कि हिन्दू सक्सै ान एक्ट में सं ाोधन किया जाये जिसके ऊपर राव साहब, जो उस समय मुख्य मंत्री होते थे, न आ ावासन दिया था कि इसके बारे में जल्दी ही सं ाोधन किया जायेगा। उसके बाद स्पीकर साहब आपको याद होगा कि सन् 1977 में पोहलू साहब ने बजट के ऊपर हुई बहस के दौरान यवह प्र न उठाया था जिसके ऊपर चौधरी देवी लाल जी ने मुख्य मंत्री होने के नाते यह वि वास और आ वासन इस सदन को दिलाया था कि हम इस एक्ट में जल्दी ही तरमीम करेंगे। उस वक्त करनाल का बाई इलैक ान नजदीक था। उन दिनों अखबारों मे यह खबर खूब मोटी सुर्खियों में छपी थी। मुझे बड़े दु:ख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि सदन के अन्दर आ वासन देने के बावजूद भी कोई बिल पिछली सरकार ने इस एक्ट में तरमीम करने के लिए पे ा नहीं किया। स्पीकर साहब, आप हैरान होंगे कि किसान सम्मेलन में जो 20 डिमान्डज का चार्टर दिल्ली की सरकार को पे ा किया गया था उसमें भी इस एक्ट में सं ाोधन करने के लिए कोई मांग नहीं की गयी थी। आज ये लोग अपने आपको किसानों के हमदर्द होने का दावेदार कहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने यह बिल पे ा करके किसानों की और देहात की जो असल लड़ाई–झगड़े की बीमारी थी, उसको दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। स्पीकर साहब, अभी राव साहब ने यह फरमाया कि देहात में हालत बहुत खराब है। वहां पर लोगों की आर्थिक द ाा बद से बेहतर होती जा रही है। इसमें संदेह नहीं है

कि पिछले 30–31 साल के अर्से में देहात में, चाहे किसान है या वह मजदूर है, गरीबी बढ़ी है। उसका मुख्य कारण यह है कि जमीन के टुकड़े ज्यादा होते चले गये हैं। मैं इस बात की बहुत ज्यादा तफसील में न जाते हुए स्पीकर साहब, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1967 में हरियाणा में पांच एकड़ तक की होल्डिंग के किसान 16 प्रति ात थे जबकि सन् 1971 में इनकी परसैंटेज 66 प्रति ात तक पहुंच गयी। 1975 में जो नया सैन्सस हुआ है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पांच एकड़ तक की भूमि के मालिक हरियाणा में 73 प्रति ात हो गये हैं। यानी 100 में से 73 ऐसे बिसवेदार हैं जिनके पास पांच एकड़ या इससे कम भूमि है। स्पीकर साहब, आप यह जानकर हैरान होंगे कि 53 प्रति ात बिसवेदार ऐसे हैं जिनके पास अढ़ाई एकड़ तक या इससे कम भूमि है। 100 में से 37–38 भूमि के मालिक ऐसे हैं जिनके पास एक एकड़ या उससे भी कम भूमि है। यह हालत हरियाणा में जमीन के छोटे–छोटे टुकड़े हो जाने के कारण पैदा हो गयी है। इसी कारण देहात में गरीबी ज्यादा बढ़ रही है। यह भी आप मानेंगे कि गरीबी और आबादी का आपस में गहरा गठजोड़ है। जितने ज्यादा आदमी गरीब होंगे उतनी आबादी ज्यादा होगी और उससे बिसवेदार ज्यादा बढ़ेंगे। दूसरा कारण यह है कि 1956 में जो यह कानून बना था, इससे यह हुआ कि एक मरहूम बाप की जायदाद आगे 8–8 या 10–10 टुकड़ों में बंट गयी। इसका नतीजा यह हुआ कि 1961 से लेकर 1975 तक जो 5 एकड़ तक के बिसवेदार 16 प्रति ात थे उनकी परसैंटेज 73 तक पहुंच गयी।

इसलिए ऐसी होल्डिंग इकौनोमीकल नहीं हो सकती। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस एक्ट में सं ाोधन करना बहुत ही लाजमी था। स्पीकर साहब, इस एक्ट में इस तरमीम से लड़की का हक बिल्कुल खत्म नहीं किया गया है बल्कि उसको हक उसके सुसराल में दिया गया है। यदि कोई अनमैरिड लड़की है तो जब तक उसकी भाादी नहीं होती, उसका बाप की जायदाद में हक कायम रहेगा। भाादी होने के बाद उसके भाई या परिवार के दूसरे मैम्बरज को जायदाद में हक मिलेगा। एक इस अमैंडमैंट के द्वारा ओर अच्छी बात की गयी है। पहले एक्ट में एक बड़ी सीरियस एनोमली थी। वह यह थी कि मान लो किसी परिवार में तीन या चार भाई हैं, एक भाई लावल्द चला जाता है, दूसरे के लड़के मौजूद हैं, तीसरा भाई जिन्दा है और चौथे भाई की बेबा है। तो आप यह सुनकर हैरान होंगे कि वह सारी की सारी जायदाद एक भाई जो जिन्दा होता था, उसको ही मिल जाती थी, आप खुद ही सोचिए कि इससे बड़ी और ज्यादा गलत बात और कोई हो नहीं सकती। इस अमैंडमैंट के द्वारा सब को बराबर का हक दिया गया हैं एक तीसरा सं ाोधन इस एक्ट के अन्दर और किया जा रहा है। वह यह है कि आप देखते हैं कि देहात में आम तौर पर हमारी जो बहिनें या माताएं हैं या महिलाएं हैं, वे अनपढ़ होती है और जहां उनके नाम कोई जायदाद हुई कि चालाक लोग उनको बहकाकर फुसला कर फर्जी तौर पर उनसे जमीन ऐंठ लेते हैं। फर्जी रजिस्ट्री करवा लेते हैं। कई बार वे बेचारी खुद किसी मजबूरी की वजह से लाचारी की वजह से जमीन को बेचती है।

उनके जो वारिस है, लड़के हैं या लड़कियां हैं, वे इस वक्त तक लाचार थे क्योंकि अब तक इस एक्ट में कोई ऐसा प्रोवीजन नहीं था कि अगर कोई फीमेल मैम्बर जायदाद बै कर दे या रहन कर दे तो वह वापिस भी ली जा सके। इस सं ाोधन के अनुसार अगर कोई मेल मैंम्बर की जायदाद को इस तरह भाराब पिला कर, बगैर पैसा दिये या किसी भी दूसरे नाजायज तरीके से खरीद लें, तो उसकी पांच पीढ़ियों तक उस बै या रहन को मन्सूख करा सकती है। लेकिन अगर कोई महिला किसी जमीन को फरोख्त कर दे या रहन कर दे तो दफा 14 के तहत क्योंकि वह फुली ओनर है, किसी को अख्तियार नहीं था कि वह दावा करके उस फर्जी बै या रहन को मन्सूख करा सके।

इसलिये आज जो कानून मेल्ज के लिए है उसी तरह का कानून फीमेल्ज के लिए बनाया जा रहा है और इस तरह की तरमीम इस बिल में की जा रही है। पहले वाले बिल में जो खराबियां थी, उनको दूर करने के लिए यह बिल हाउस के सामने लाया गया है और राव साहब तथा पोहलू साहब ने जिस तरह से इसकी ताइद की हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं मुख्य मंत्री महोदय का भी बहुत भाुक्रगुजार हूं कि उन्होंने देहात की असली बीमारी को दूर करने के लिए यह कदम उठाया है। स्पीकर साहब, यह बिल असैम्बली से पास होने के बाद राश्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाएगा। कांस्टीच्यू ान में भी यही प्रोवीजन है कि यहां से पास होने के बाद राश्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाए और

मुझे आ ा है कि राश्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद दो–चार महीने में इस पर अमल भाुरू हो जाएगा।

श्री अध्यक्षः प्र न है किः–

दि हिन्दू सक्सै ान (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2 से 5

श्री अध्यक्षः प्र न हैः–

कि क्लाज 2 से 5 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्र न हैः–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष: प्र   न है:—

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष: प्र   न है:—

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:—

दि हिन्दू सक्सै   ान (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल पास किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि:—

दि हिन्दू सक्सै   ान (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल पास किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्र   न है कि:—

दि हिन्दू सक्सै   ान (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल पास किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दि हरियाणा लैंड होल्डिंग्ज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 1979

राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं दि हरियाणा लैंड होल्डिंग्ज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 1979 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं किः—

दि हरियाणा लैंड होल्डिंग्ज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ किः—

दि हरियाणा लैंड होल्डिंग्ज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र न है किः—

दि हरियाणा लैंड होल्डिंग्ज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः यह सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2 और 3

श्री अध्यक्षः प्र   न है:–

कि क्लाज 2 और 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्र   न है:–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्र   न है:–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री अध्यक्षः प्र   न है:–

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिंह): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं किः—

दि हरियाणा लैंड होल्डिंग्ज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ किः—

दि हरियाणा लैंड होल्डिंग्ज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र न है किः—

दि हरियाणा लैंड होल्डिंग्ज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दि इंडियन स्टाम्प (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1979

राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं दि इंडियन स्टाम्प (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1979 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं किः—

दि इंडियन स्टाम्प (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ किः–

दि इंडियन स्टाम्प (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्र न है किः–

दि इंडियन स्टाम्प (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

श्री उपाध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2 और 3

श्री अध्यक्षः प्र न हैः–

कि क्लाज 2 और 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्र न हैः–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्र न हैः–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री अध्यक्षः प्र न हैः–

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं किः–

दि इंडियन स्टाम्प (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ किः–

दि इंडियन स्टाम्प (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है किः–

दि इंडियन स्टाम्प (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दि ईस्ट पंजाब वार अवार्डज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1979

राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिंह): स्पीकर साहब, मैं दि ईस्ट पंजाब वार अवार्डज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1979 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं किः—

दि ईस्ट पंजाब वार अवार्डज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ किः—

दि ईस्ट पंजाब वार अवार्डज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है किः—

दि ईस्ट पंजाब वार अवार्डज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री उपाध्यक्षः प्र न हैः—

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री उपाध्यक्षः प्र न हैः—

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री उपाध्यक्षः प्र न हैः—

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री उपाध्यक्षः प्र   न हैः–

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं किः–

दि ईस्ट पंजाब वार अवार्डज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ किः–

दि ईस्ट पंजाब वार अवार्डज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्र   न है किः–

दि ईस्ट पंजाब वार अवार्डज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दि पंजाब अरबन इम्मूवेबल प्रोपर्टी टैक्स (हरियाणा रिपीलिंग) बिल, 1979

वित्त मंत्री (लाला बलवन्त राय तायल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं दि पंजाब अरबन इम्मूवेबल प्रोपर्टी टैक्स (हरियाणा रिपीलिंग) बिल, 1979 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं किः–

दि पंजाब अरबन इम्मूवेबल प्रोपर्टी टैक्स (हरियाणा रिपीलिंग) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ किः–

दि पंजाब अरबन इम्मूवेबल प्रोपर्टी टैक्स (हरियाणा रिपीलिंग) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है किः–

दि पंजाब अरबन इम्मूवेबल प्रोपर्टी टैक्स (हरियाणा रिपीलिंग) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 1 की सब–क्लाज (2)

श्री उपाध्यक्षः प्र न हैः–

कि क्लाज 1 की सब–क्लाज (2) बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 2

श्री उपाध्यक्षः प्र न हैः–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1 की सब–क्लाज (1)

श्री उपाध्यक्षः प्र न हैः–

कि क्लाज 1 की सब–क्लाज (1) बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री उपाध्यक्षः प्र न हैः–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री उपाध्यक्षः प्र न हैः–

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वित्त मंत्री (लाला बलवन्त राय तायल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं किः—

दि पंजाब अरबन इम्मूवेबल प्रोपर्टी टैक्स (हरियाणा रिपीलिंग) बिल पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ किः—

दि पंजाब अरबन इम्मूवेबल प्रोपर्टी टैक्स (हरियाणा रिपीलिंग) बिल पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है किः—

दि पंजाब अरबन इम्मूवेबल प्रोपर्टी टैक्स (हरियाणा रिपीलिंग) बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बैठक का समय बढ़ाना

चौधरी राम लाल वधवाः उपाध्यक्ष महोदय, हाउस के सामने बिजनैस को ध्यान में रखते हुए, मेरी आपसे प्रार्थना है कि हाउस का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्षः अगर हाउस की सैन्स है तो समय बढ़ाया जा सकता है।

आवाजें: हां जी, बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्षः बैठक का समय आधे घन्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

दि हरियाणा पब्लिक मनीज (रिकवरी आफ डयूज) बिल, 1979

उद्योग मंत्री (डा. मंगल सैन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा लोक–धन (देय–वसूली) विधेयक, 1979 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूंः–

कि हरियाणा लोक–धन (देय–वसूली) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ किः–

कि हरियाणा लोक–धन (देय–वसूली) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है किः–

कि हरियाणा लोक–धन (देय–वसूली) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाजिज 2 से 4

श्री उपाध्यक्षः प्र न हैः–

कि क्लाजिज 2 से 4 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री उपाध्यक्षः प्र न हैः–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री उपाध्यक्षः प्र न हैः–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री उपाध्यक्षः प्र न हैः–

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उद्योग मंत्री (डा. मंगल सैन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूंः–

कि हरियाणा लोक–धन (देय–वसूली) विधेयक पास किया जाये।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ किः–

कि हरियाणा लोक–धन (देय–वसूली) विधेयक पास किया जाये।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है किः–

कि हरियाणा लोक–धन (देय–वसूली) विधेयक पास किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दि पंजाब कोआपरेटिव सोसाइटीज (हरियाणा अमैंडमैंट एण्ड वैलीडे ान) बिल, 1979

सहकारिता तथा योजना मंत्री (ठाकूर बीर सिंह): मैं दि पंजाब कोआपरेटिव सोसाइटीज (हरियाणा अमैंडमैंट एण्ड वैलीडे ान) बिल, 1979 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि:—

दि पंजाब कोआपरेटिव सोसाइटीज (हरियाणा अमैंडमैंट एण्ड वैलीडे ान) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि:—

दि पंजाब कोआपरेटिव सोसाइटीज (हरियाणा अमैंडमैंट एण्ड वैलीडे ान) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है कि:—

दि पंजाब कोआपरेटिव सोसाइटीज (हरियाणा अमैंडमैंट एण्ड वैलीडे ान) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्ष: अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाजिज 2 से 4

श्री उपाध्यक्ष: प्र न है:—

कि क्लाजिज 2 से 4 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री उपाध्यक्षः प्र न हैः–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री उपाध्यक्षः प्र न हैः–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री उपाध्यक्षः प्र न हैः–

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सहकारिता तथा योजना मंत्री (ठाकूर बीर सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं किः–

दि पंजाब कोआपरेटिव सोसाइटीज (हरियाणा अमैंडमैंट एण्ड वैलीडे ान) बिल पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ किः–

दि पंजाब कोआपरेटिव सोसाइटीज (हरियाणा अमैंडमैंट एण्ड वैलीडे ान) बिल पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है किः–

दि पंजाब कोआपरेटिव सोसाइटीज (हरियाणा अमैंडमैंट एण्ड वैलीडे ान) बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दि हरियाणा पब्लिक प्रिमसिज एण्ड लैण्ड (इविक ान एण्ड रैन्ट रिकवरी) अमैंडमैंट बिल, 1979

राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं दि हरियाणा पब्लिक प्रिमसिज एण्ड लैण्ड (इविक ान एण्ड रैन्ट रिकवरी) अमैंडमैंट बिल, 1979 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्तुत करता हूं किः–

दि हरियाणा पब्लिक प्रिमसिज एण्ड लैण्ड (इविक ान एण्ड रैन्ट रिकवरी) अमैंडमैंट बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ किः–

दि हरियाणा पब्लिक प्रिमसिज एण्ड लैण्ड (इविक ान एण्ड रैन्ट रिकवरी) अमैंडमैंट बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है किः—

दि हरियाणा पब्लिक प्रिमसिज एण्ड लैण्ड (इविक ान एण्ड रैन्ट रिकवरी) अमैंडमैंट बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री उपाध्यक्षः प्र न हैः—

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री उपाध्यक्षः प्र न हैः—

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री उपाध्यक्षः प्र   न हैः–

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री उपाध्यक्षः प्र   न हैः–

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत करता हूं किः–

दि हरियाणा पब्लिक प्रिमसिज एण्ड लैण्ड (इविक   ान एण्ड रैन्ट रिकवरी) अमैंडमैंट बिल पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ किः–

दि हरियाणा पब्लिक प्रिमसिज एण्ड लैण्ड (इविक   ान एण्ड रैन्ट रिकवरी) अमैंडमैंट बिल पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्षः प्र   न है किः–

दि हरियाणा पब्लिक प्रिमसिज एण्ड लैण्ड (इविक   ान एण्ड रैन्ट रिकवरी) अमैंडमैंट बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Mr. Speaker: The House stands adjourned sine-die.

13.39 Hours

(The Sabha then adjourned sine-die)